खण्ड-186, अंक-8
बुधवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(28 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) (जारी)	७२८
बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमिडियेट एजूकेशन के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन की सूचना	७२८
उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टेडीज के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	७२९
१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) (विचारोपरान्त पारित)	७२९–७४८
नन्धियां	७४९–७५२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

२८ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३३१)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उलफ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरभल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री,
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लालसाहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी , श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल हरदिश, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथ बहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र श्रष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २८ अगस्त, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

सराय परखू, थाना कोठी, जिला बाराबंकी में 'पूर्णमासी कुर्मी' का कत्ल

*१—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सराय परखू थाना कोठी, जिला बाराबंकी में ७ अप्रल की रात में श्री कामताप्रसाद के यहां डाका पड़ा था ?

*२—क्या यह सही है कि डाके में एक कत्ल भी हुआ था ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—सराय परखू में डाके की कोई घटना नहीं हुई। किन्तु श्री कामताप्रसाद के पिता, श्री श्रीराम जो सराय मोहदीन पुर के निवासी हैं, के घर के सामने दिनांक ७, ८ अप्रैल, १९५७ की रात को मारपीट की एक घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति का कत्ल हुआ।

*३—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या यह सही है कि इस मामले की रिपोर्ट में पुलिस ने डाके के स्थान पर चोरी का मामला लिखा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—उस शख्स का क्या नाम है जिसके यहां सरकार की तरफ से चोरी लिखी गयी है ?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उसका नाम पूर्णमासी कुर्मी है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या उसके चोटें भी आई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह मदद करने के लिये आया था, उस पर हमला हुआ, चोट लगी और दूसरे दिन वह अस्पताल में मर गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जो हमले के कारण मृत्यु हुई वह हमला क्या चोरों ने घर से भागते वक्त किया था या चोरी करते वक्त घर के अन्दर हमला हुआ ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा कि कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए उन पर क्या कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ? कोर्ट में केस हो तो मैं ज्यादा ब्यौरा पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, अभी मुकदमा कोर्ट में नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—तो आप उत्तर दे दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह जो रिपोर्ट है वह श्री कामताप्रसाद के पिता श्री श्रीराम जी ने स्वयं लिखकर थाने में भेजी थी और कहा था कि दुश्मनी के कारण हमारे सोते हुये लड़के को मारने के लिये कुछ लोगों ने हमला किया। वह चोरी नहीं थी बल्कि सोते हुये आदमी पर कुछ लोगों ने हमला किया उस मौके पर मदद के लिये यह पूर्णमासी आये। उन लोगों ने ४ आदमियों को मारा, पूर्णमासी को भी मारा और उसके ज्यादा चोट आयी और फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या श्री कामताप्रसाद जी ने भी कोई रिपोर्ट इस सम्बन्ध में थाने में दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उन्होंने भी जो रिपोर्ट की वह कामताप्रसाद क्या असल में श्री रामजी ने रिपोर्ट की थी। उसके बाद जब उसकी जांच शुरू हुई तब कामता प्रसाद की कुछ दरख्वास्तें आयीं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कामताप्रसाद जी ने भी एस० पी० और जिलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था कि हमारी रिपोर्ट डकैती में नहीं लिखी गई, बल्कि चोरी में लिखी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आपके प्रश्न को मैं समझ नहीं सका, लेकिन शायद यह प्रश्न है कि क्या उन्होंने कलेक्टर और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को यह खबर दी थी कि उनकी रिपोर्ट गलत लिखी गई। तो दो दरख्वास्तें ऐसी माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम और डी० आई० जी० के नाम आयी थीं। कलेक्टर का मुझे पता नहीं है। उसकी जांच जब सर्किल-इंस्पेक्टर के जिम्मे की गई तो उन दरख्वास्तों पर कामताप्रसाद जी ने भी और श्रीराम जी, दोनों ने यह कहा कि मेरी भेजी हुई दरख्वास्त नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय पूर्णमासी कुर्मी का डाइंग डिक्लेरेशन भी हुआ और उस डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने डकैती के बारे में रिपोर्ट लिखायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूर्णमासी ने कोई रिपोर्ट तो लिखायी नहीं। रिपोर्ट तो श्रीराम ने लिखायी थी। अब डाइंग डिक्लेरेशन की तो मेरे पास सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर बता सकूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृत व्यक्ति की ओर से कितने आदमियों के विरुद्ध थाने में मारने की रिपोर्ट लिखाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह मैंने निवेदन किया कि डाइंग डिक्लेरेशन की सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस रिपोर्ट की चर्चा अभी माननीय मंत्री जी ने की है वह किन-किन दफाओं में लिखी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह पहले तो लिखी गई मारपीट की भारतीय दंड विधान की ३०७ दफा में, क्योंकि कुछ लोगों ने हमला किया था सोते हुये आदमी पर और उसमें कुछ लोगों को चोटें आयीं जो कि अस्पताल में भर्ती किये गये। दूसरे दिन जब पूर्णमासी की मृत्यु हुई तो उसको ३०२ में परिणत किया गया।

सूचना विभाग द्वारा विधान सभा के प्रश्नोत्तरों को समाचार-पत्रों को देना

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन समाचार-पत्रों में सूचना विभाग की ओर से विधान सभा की कार्यवाही सूचनार्थ छपने के लिये भेजी जाती है ?

गृह मन्त्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—सूचना विभाग से विधान सभा की कार्यवाही छापने के लिये किसी समाचार-पत्र को नहीं भेजी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सूचना विभाग की तरफ से प्रश्नोत्तर काल के जो काम होते हैं और सरकार द्वारा जो मुख्य-मुख्य सवालों पर एलान होते हैं वे छपने के लिये समाचार-पत्रों को भेजे जाते हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि सरकार द्वारा जो समाचार छपने के लिये भेजे जाते हैं उनमें माननीय प्रश्नकर्ताओं के नाम नहीं रहते हैं, बल्कि सरकार द्वारा जो एलान होता है वही रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जहां तक मेरी सूचना है ऐसी बात नहीं है । प्रश्नोत्तर काल में जो कुछ होता है वह भेजा जाता है सब जगह ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो कार्यवाही छपने भेजी जाती है वह सभी हिन्दी, अंग्रेजी अखबारों को दी जाती है या किसी विशेष नियम के आधार पर कुछ को दी जाती है और कुछ को नहीं दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो बराबर हिन्दी और अंग्रेजी के जितने भी अखबार हैं उन सबको भेजी जाती है ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट किसी न्यूज एजेंसी का भी काम करता है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न को जरा स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री त्रिलोकी सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग सरकार के कार्यों की सूचना देने के साथ-साथ जो गैर-सरकारी लोग हैं जो विधान सभा में भाषण देते हैं उनके कार्यों की भी सूचना देता है अखबारों को ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । भाषण इत्यादि की कोई सूचना नहीं देता । केवल प्रश्नोत्तर काल में, जैसा कि लोक सभा में भी है जो प्रश्न यहां पूछे जाते हैं उनके जो उत्तर होते हैं उसी की एक समरी कर लेते हैं जिसको कि वह अपनी मेलिंग लिस्ट के साथ तमाम पत्रों को भेज देते हैं । उसकी प्रति सभी संवाददाताओं को, जो यहां होते हैं, दे दी जाती है और जो यहां के संवाददाता हैं उनको भी दे दी जाती है । वह चाहे उसको यूज करें या न करें ।

श्री त्रिलोकी सिंह—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सूचना विभाग द्वारा इस प्रकार की जो खबर समाचार-पत्रों को दी जाती है उसमें जहां सरकार की गलती हो उसकी सूचना नहीं दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी तो कोई बात नहीं है । अगर कोई ऐसी घटना हुई हो तो विरोधीदल के नेता उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर देंगे तो हम अवश्य उसका सुधार करेंगे । किसी पक्षपात की दृष्टि से कोई रिपोर्ट नहीं की जाती ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सारी कार्यवाही जो सूचना विभाग के द्वारा दी जाती है तो क्या पी० टी० आई० के करसपांडेंट्स भी सूचना विभाग के एक्रेडिटेड करसपांडेंट्स हैं जिनके द्वारा ये समाचार भेजे जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है, जिन-जिन लोगों को इस प्रकार के संवाददाता घोषित किया गया है वे सब उसमें हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जो उत्तर दिया गया है क्या वह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहेंगे नहीं कि मेरा उत्तर गलत है ।

श्री त्रिलोकी सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की भूल यदि सूचना विभाग की तरफ से हुई है, गलत खबर देने की, तो उसका सुधार किस प्रकार से करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो शर्तिया सवाल है। पहले गलती तो बतलाइये।

श्री त्रिलोकी सिंह—माननीय मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो उनको सूचना दी जाय तो वह अवश्य सुधार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—पहले गलती बतलाइये। आपका तो शर्तिया सवाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० इंफार्मेशन ब्यूरो की तरफ से कोई समाचार छापने को दिये जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस प्रकार के समाचारों से आपका मतलब है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा मतलब न्यूज आइटम्स से है जैसे विधान सभा में जो प्रश्नोत्तर होते हैं या जो जिलों के समाचार होते हैं जैसे आफिसर्स के टूर्स वगैरह।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न केवल विधान सभा की कार्यवाही से ही सम्बंधित है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नोत्तर काल में मंत्रियों की ओर से जो उत्तर दिये जाते हैं और समय-समय पर कभी-कभी उनमें संशोधन भी किये जाते हैं तो क्या वे संशोधन भी समाचार-पत्रों को भेजे जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तफसील तो मैं नहीं जानता। प्रश्नोत्तर काल में जो प्रश्नोत्तर यहां होते हैं उनकी एक रिपोर्टिंग सूचना विभाग करता है और जिस प्रकार वह भेजे जाते हैं उसकी भी रिपोर्ट होती है। अगर कोई खास विषय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानना चाहें तो फिर पता लगाया जा सकता है।

सूचना विभाग का आय-व्यय

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के सूचना विभाग में १९५५-५६ में कितना व्यय हुआ तथा कितनी आय हुई ?

श्री इस्तफा हुसैन—१९५५-५६ में सूचना विभाग की कुल आय रु० ८,४४,२३८ हुई थी और व्यय रु० २८,१५,५६९ हुआ था।

उक्त व्यय के अतिरिक्त रु० ८१,३३३-४-९ स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती तथा गणतंत्र दिवस समारोह के सम्बन्ध में मुख्यालय तथा जिलों में व्यय हुआ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो व्यय इसमें दिया गया है उसमें टी०ए० कितना है और वेतन कितना है ?

श्री इस्तफा हुसैन—वेतन जो है उसमें "क—प्रशासन" के अन्तर्गत आफिसर्स का ८८,६६५ रुपये है और कर्मचारियों का ३,४६,१५३ रु० है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आमदनी ८ लाख के लगभग हुई है उसमें यू० पी० इन्फार्मेशन बुलेटिन और इन्फार्मेशन साहित्य की बिक्री से कितनी आमदनी हुई है ?

श्री इस्तफा हुसैन—उसमें तो केवल यह सूचना संचालन कार्यालय के पब्लिकेशन की ओर से जो आमदनी हुई है वह है और इन्फार्मेशन डायरेक्टोरेट के अधीन जो सामुदायिक श्रवण योजनायें चलती हैं उससे कुछ है और कुछ मिसलेनियस किस्म की इन्कम है, जो कि ८,४४,२३८ रुपये के करीब है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रकाशन ब्यूरो का हिसाब कामर्शियल बेसिस पर रखा जाता है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रकाशन ब्यूरो से कई प्रकार के प्रकाशन होते हैं। कुछ तो समूल्य होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समूल्य नहीं होते, वितरण के हेतु होते हैं। तो इस प्रकार से उसको शुद्ध कार्मशियल नहीं कह सकते। लेकिन समूल्य प्रकाशन जो होते हैं, उसको अवश्य देखता हूं कि जो खर्चा होता है उसके हिसाब से अवश्य उपलब्धि हो जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो उन्होंने खर्चा बताया है उसमें से सूचना विभाग द्वारा संयोजित उत्सवों पर कितना खर्चा होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत से उत्सव होते हैं उससे, लेकिन जो गांधी जयन्ती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के उत्सव हैं उनमें साल भर में जो खर्चा हुआ है यहां मुख्य कार्यालय पर या जिलों में, उसका तो उत्तर दे दिया गया है ।

ग्राम अहिरानी, जिला आजमगढ़, में कथित डकैती

*६—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि गत ३० अगस्त, १९५६ को ग्राम अहिरानी (हरिजन बस्ती), थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में, पूरे गांव पर डाका पड़ा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

*७—**श्री झारखंडे राय**—यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तारीख की चर्चा इस प्रश्न में है, उस तारीख को किसी भी प्रकार की घटना होने की सूचना सरकार के पास इस समय है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी भी प्रकार की सूचना तो है नहीं। डाके की बात है, तो डाका तो ३० अगस्त को वहां नहीं पड़ा ।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि उस दिन गांव में डाका पड़ा था, लेकिन उसको लिखाने के लिये जब लोग वहां से गये तो डाका न लिख कर चोरी लिखा जा रहा था और उसके विरोधस्वरूप गांव वाले जब चले आये तो कुछ भी नहीं लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष—आपको इसके लिये अलग सवाल करना पड़ेगा। उन्होंने जवाब तो दे दिया, उससे यह पूरक प्रश्ननहीं उठता। उनको यह पता नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो जवाब यही आयेगा कि कुछ नहीं हुआ ।

श्री झारखंडे राय—क्योंकि घटना सही है।

श्री अध्यक्ष—आप उन्हें इत्तला दे रहे हैं।

श्री झारखंडे राय—मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें उस तारीख को उस गांव में डकैती या चोरी या किसी भी प्रकार की घटना होने की सूचना उपलब्ध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि इस प्रकार का प्रश्न होता कि डकैती या किसी भी प्रकार की घटना हुई, तो उसकी सूचना मान्यवर मिल जाती। प्रश्न किया गया डकैती का, तो उसका उत्तर है कि ३० अगस्त को ऐसा नहीं हुआ और न उससे पहले की या बाद की तारीखों में कोई ऐसी घटना हुई ।

इलाहाबाद कलेक्टरी में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में कलेक्टरी के कम्पाउन्ड में जब कि कचेहरी का कार्य हो रहा था १६ अप्रैल, १९५७ को पुलिस के थानेदारों ने कुछ आदमियों को मारा जिसके कारण कई आदमी घायल हुए ? यदि हां, तो इस झगड़े का कारण क्या था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। घटना यह थी कि दिनांक १५-४-५७ को लगभग ४ बज सायंकाल ४ अभियुक्त, जो कुछ मुकदमे के सिलसिले में कचेहरी आये हुये थे जिनकी एक डकैती के केस में जरूरत थी, पुलिस द्वारा इजलास के कमरे के बाहर गिरफ्तार किये गये। इन अभियुक्तों ने बलपूर्वक गिरफ्तारी का विरोध किया और इस सिलसिले में उन्हें मामूली चोटे आईं। पुलिस द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह डकैती किस गांव में हुई थी और रिपोर्ट किस तारीख को लिखी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास जो सूचना है उससे यह मालूम होता है कि एक डकैती नवाबगंज सर्किल में हुई और उसके सम्बन्ध में बहुत दिनों से पुलिस उन लोगों की खोज कर रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चार आदमियों क अलावा और कितने आदमी इस डकैती में शामिल थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, एक व्यक्ति और है जिसकी खोज अभी तक हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस ने मारपीट नहीं की तो उनके चोटें कैसे आईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह तो अदालत में किसी और केस के सिलसिले में आये थे। जब अदालत खत्म हो गई और वे बाहर निकले तब पुलिस ने उनको पकड़ा। इस पर उन्होंने रेजिस्ट किया, इसलिये चोटें आयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब चोटें आईं तो इस उत्तर का आधार क्या है कि मारपीट नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मारपीट नहीं हुई, लेकिन खींचाखांची तो हुई। जब पुलिस उनको पकड़ कर ले जाने लगी तो उन्होंने रेजिस्ट किया और दरवाजे पकड़ लिये, जमीन में बैठ गये और उन्होंने उठने से इन्कार किया तो उनको उठाकर ले जाया गया। इसमें उनके मामूली चोटें आईं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय कचेहरी चल रही थी और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि उनको अरेस्ट किया गया तो क्या इससे पूर्व पुलिस ने उन लोगों के बारे में प्रिसाईडिंग मैजिस्ट्रेट के सामने सूचना दी थी कि हम इन लोगों को अरेस्ट करना चाहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अदालत के उठ जाने के बाद जब वे बाहर निकले तो उनको अरेस्ट किया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—पुलिस ने दौरान अदालत में उनको पहचान लिया था जब अरस्ट किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, पुलिस को सूचना थी, क्योंकि एक डकैती के सिलसिले में वह बहुत दिनों से खोज कर रही थी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एफ०आई० आर० में यह नामजद किये गये थे?

श्री अध्यक्ष---इसको स्पष्ट कीजिये।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिपोर्ट इब्तदाई में यह मुलजिमान नामजद किये गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है कि एफ० आई० आर० में क्या लिखा था, लेकिन पुलिस बहुत पहिले से उनकी खोज कर रही थी तो उनका नाम रहा होगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े में पुलिस के भी चोटें लगी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, पुलिस के चोट लगने की कोई खबर नहीं है।

पुलिस द्वारा विभिन्न दफाओं में मुकदमे चलाने के सम्बन्ध में कथित आदेश

*९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के जिलाधीशों को इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि जहां तक हो सके, ताजीरात हिन्द की दफा १०७,११७,११४ तथा १५१ के मुकदमे कम लोगों पर चलाये जायं? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश---सरकार द्वारा ऐसे कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं।

*१०---श्री रामसुन्दर पांडेय---[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिला बोर्ड द्वारा राजनीतिक पेन्शन का बन्द करना

*११---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले से सन् १९५६ में उनके पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि कुछ ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को मासिक पेंशन दी जा रही है जो जिला बोर्ड या अन्य संस्थाओं में नौकरी करते हैं तथा जिनकी अवस्था ५० वर्ष से कम है और जेल नहीं गये हैं? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, एक शिकायत आयी थी। जांच की गयी और यह पता चला कि जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी थी वे राजनीतिक पीड़ित हैं तथा जेल गये हैं। जिलाधीश ने भी प्रमाणित किया है कि वे जेल गये हैं। पर जिलाधीश से पता लगाने पर यह भी पता चला कि वे सज्जन जिला बोर्ड में नौकर हैं, अतः उनकी पेंशन बन्द करने का आदेश निकाल दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सज्जन को कितने महीने की और कब सजा हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास जो रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि दस महीने ये सज्जन जेल में रह चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि उनको सजा कितने दिनों की हुई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार ये १८-८-४५ से १७-५-४६ तक जेल में रहे ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सज्जन को जब पेंशन स्वीकार की गयी तो उस समय ये बोर्ड के नौकर थे अथवा पेंशन मंजूर होने के बाद बोर्ड के नौकर हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है । लेकिन जिस समय यह शिकायत आयी और जांच की गयी तो यह मालूम हुआ कि वे बोर्ड के नौकर हैं। ऐसी हालत में उनकी पेंशन को भी बंद कर देने की आज्ञा दी गयी ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ४२ के जन आन्दोलन में जिन व्यक्तियों पर राजनीतिक कारण के भीषण आरोप लगाये गय हों और वे काफी अर्से तक फरार रहे हों और फरारी के बाद जेल भेजे गये हों और फिर छूट गये हों तो उन्हें राजनीतिक पीड़ित माना जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न आप माननीय मंत्री जी के कमरे में जाकर पूछिये।

श्री भगवती सिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये हैं वे किस अभियोग में गिरफ्तार हुये थे और कितने दिन की सजा उनको मिली थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मधुबन कांड के सम्बन्ध में सम्भवतः वे जेल में रहे ।

श्री झारखंडे राय--क्या ऐसा भी कोई नियम है कि पेंशन स्वीकृत हो जाने के बाद वह आदमी कोई नौकरी कर ले तो उसकी वह पेंशन नामंजूर हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हम ऐसे ही लोगों को पेंशन देते हैं जिनके पास जीविका के साधनों का अभाव हो। अगर किन्हीं व्यक्तियों के पास जीविका के साधन हैं तो उन्हें फिर नहीं देते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सज्जन को कितने रुपये माहवार पेंशन मिलती थी और कितने महीनों तक उनको पेंशन मिलती गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--इनको २० रुपये मासिक ४-१-१९५६ से मिलते थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--४-१-१९५६ से कब तक मिलती रही यह २० रुपये कुल था मासिक या इसके अलावा मंहगाई का भत्ता भी था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में शिकायत ३-८-१९५६ को आयी और इसके बाद हमने जांच की और हमारे पास रिपोर्ट १७-८-१९५७ को आयी ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या सरकार ने जो रुपये पेंशन के उनको दिये हैं जब वह सर्विस में थे उनको वापस लेने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ।

खीरी जिले में राजा लौने सिंह का कीर्ति स्तम्भ बनाने की प्रार्थना

*१२--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार मितौली किला (जिला खीरी) के स्थान पर कोई कीर्ति-स्तम्भ राजा लौने सिंह की स्मृति में, जिन्होंने १८५७ की क्रांति में मुख्य भाग लिया था बनाने का, विचार रखती है ?

श्री इस्तफा हुसैन--जी नहीं।

*१३--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार उक्त राजा लौने सिंह की धर्मशाला, जो गोला गोकरननाथ तीर्थस्थान पर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई है, के उद्धार का कोई उपाय करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के कार्य किये जा सकें।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार इस बात को सही नहीं मानती कि राजा लौने सिंह ने सन् १८५७ की क्रांति में भाग लिया अथवा उसको सही मानते हुये भी उनका कीर्तिस्तम्भ बनाने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सही न मानने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न पिछली बार भी कई बार पूछे गये हैं इसी आदरणीय सदन में और मैं निवेदन कर चुका हूं उस समय भी कि कुछ शहीदों के स्मारक बनाने की योजना सरकार ने बनाई और उसको प्रान्तीय स्तर पर बनवाने का प्रयास किया। इसके अलावा उसकी पूरी सहानुभूति है, इच्छा भी है कि अनेक स्थलों पर ऐसे शहीद हुये हैं जिन्होंने सन् १८५७ से लेकर अब तक स्वतंत्रता के यज्ञ में स्वर्णाहुतियां दी हैं। यदि उनके लिये स्थानीय लोग स्मारक बनायें तो उसमें उन्हें अपने साधनों से बनाना चाहिये। जो कुछ हो सकेगा सरकार भी उनमें अपनी टेक्निकल और आंशिक आर्थिक सहायता देगी।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को यह मालूम है की मितौली में राजा लौने सिंह का खेड़ा आज भी एक तीर्थस्थान है और लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अवश्य ऐसा होगा।

श्री देवनारायण भारतीय--ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार उनका वहां पर कीर्तिस्तम्भ बनाने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी, चूंकि उन्होंने एक विस्तृत उत्तर दिया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का कोई इरादा राजा बहादुरशाह का, जो पैरेलल गवर्नमेन्ट के राजा हो गये थे, कीर्तिस्तम्भ बनाने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जितना विचार था उतना मैंने आपसे निवेदन कर दिया। सन् ५७ की शताब्दि के अवसर पर जिन स्मारकों के लिये कमेटी ने निश्चय किया था वे बन गये।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजा लौनेसिंह जिनकी तलवार १८५७ में ६ महीने तक म्यान में नहीं गई और जिनका स्मारक गोलागोकरण नाथ में बना हुआ है और जीर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसका जीर्णोद्धार कराने का वह विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष--जवाब दिया जा चुका है।

*१४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

रायबरेली जिले में बछरावां थाने की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*१५—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना बछरावां, जिला रायबरेली, के अन्तर्गत माह जून सन् १९५७ में कितने कत्ल, राहजनी और लूटपाट की घटनायें हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—कत्ल २, रहजनी १ ।

*१६—श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या सरकार को इस बात का पता है कि बछरावां-शिवगढ़ रोड पर तहीपुर जंगल के पास अक्सर राहगीर लूट लिये जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने वहां सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—केवल २६-६-५७ को एक राहजनी की घटना के अलावा और कोई ऐसी घटना नहीं हुई है । इसके बाद से वहां पर गश्त के लिए आर्म्ड गार्ड भेजा गया है तथा थाना पुलिस भी गश्त कर रही है ।

*१७—श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि थाना बछरावां की पुलिस की निष्क्रियता के कारण वहां की जनता में असुरक्षा का आतंक फैला हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जनता में ऐसा कोई आतंक नहीं फैला हुआ है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर उन्होंने दिया है वह इसी साल की घटना के आधार पर है अथवा पिछले सालों के रेकर्ड के आधार पर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न तो माह जून का था, लिहाजा उसी सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—प्रश्न तो मैंने पूछा था "अक्सर हो जाती हैं", तो अक्सर में कई सालों की बात भी आ सकती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहां तो एक ही ऐसी घटना हुई है । उसके बाद उसका प्रबन्ध भी कर दिया गया है ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि वहां की परिस्थिति के बारे में इस सदन के माननीय चन्द्रिकाप्रसाद जी, एम० एल० ए० ने सरकार का ध्यान खींचा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्भव है कुछ कहा हो । मुझे सूचना नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में उच्च शिक्षा पाने वाले परिगणित तथा पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के प्रत्येक हायर सेकेन्डरी स्कूल एवं कालेज में कुल कितने परिगणित तथा पिछड़ी जाति के इन्टर तथा डिग्री कक्षाओं के छात्र जुलाई, सन् १९५६ से अप्रैल, सन् १९५७ तक पढ़ते रहे ?

*१९—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्रों में से कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं और शेष को क्यों नहीं की गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी और क्या एकत्र हो जाने के बाद सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं तो आशा कर रहा था कि वह सूचना आ जायगी और मैं उत्तर दे सकूंगा, पर वह अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही वह आ जायगी वैसे ही मैं उसे मान्यवर की सेवा में भेज दूंगा।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ के सम्बन्ध में निःशुल्कता का आदेश

*२०—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि गत बाढ़ के सम्बन्ध में निःशुल्कता की सहायता देने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को कब दिया गया और उनके द्वारा शिक्षा संस्थाओं को धन कब दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—अभी सूचना आने में कितना समय लग जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—शीघ्र ही मंगवायी जायगी।

पुलिस की वर्दी

*२१—श्री राम लक्षण (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस के महकमें में किन किन को वर्दियां दी जाती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हेडकांस्टेबिल और उस के नीचे के पदाधिकारियों को सरकारी खर्च पर वर्दी दी जाती है।

*२२—श्री रामलक्षण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर व पुलिस इन्स्पेक्टरों को वर्दियां न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन अधिकारियों को सरकारी वर्दी के स्थान पर वर्दी के लिए सन् १९४७ तक भत्ता दिया जाता था। चालू वित्तीय वर्ष से वर्दी के लिए फिर भत्ता देने की योजना बजट में शामिल की गयी है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय गृह मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों को जो वर्दी दी जाती है उस में क्या-क्या चीज शामिल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, उस में पेटी, पैर की पट्टी, साक्स, हाफ शर्ट, पगड़ी आदि अनेक चीजें होती हैं। उनकी लिस्ट इस समय मेरे पास नहीं है। सूचना होने से विस्तार के साथ बता सकता हूं।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—क्या गृह मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरी वर्दी के बनाने में कितना खर्च पड़ता है और भत्ता कितना दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वे भत्ते तो अलग-अलग हैं छोटे-बड़े अधिकारियों के, तो सब इन्स्पेक्टर को १५० रुपया भत्ता दिया जाता है। नियम यह है कि प्रति पांचवें वर्ष वह भत्ता वर्दी का दिया जाय। यह नियम छोटे बड़े सब के लिए है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुसार प्रदेशीय सरकार का भी विचार वर्दियों का रंग बदलने का है और कुछ नया डिजाइन बनाने का भी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हमारे यहां का डिजाइन बहुत खूबसूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकारों को यह सुझाव दिया है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली पुलिस की नीली वर्दी कर दी है उसी प्रकार से यहां भी प्रदेशीय पुलिस की वर्दी नीली कर दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस इन्स्पेक्टर की वर्दी और पुलिस कप्तान की वर्दी के भत्ते में कितना अन्तर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अन्तर तो बहुत है और इसी तरह से भत्ते में भी अन्तर है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्दी का कपड़ा वह खादी के वेश में देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो माननीय सदस्य का सुझाव है इस पर सरकार विचार कर लेगी। अभी तो जैसी वर्दी चल रही है वह चल रही है ।

थानेदारों का सवारी भत्ता

*२३--श्री रामलक्षण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने थानेदार हैं और कितनों के पास घोड़े हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रदेश में कुल ८२१ थानेदार हैं और उन में से ४९८ के पास घोड़े हैं ।

श्री रामलक्षण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिनके पास घोड़े नहीं हैं वह अपने हल्के में किस प्रकार दौरा करते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिनके पास घोड़े नहीं हैं वह अपने पास मोटर साइकिल या साइकिल रखते हैं जिनका उनको भत्ता दिया जाता है ।

श्री रामलक्षण--क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि थाने में बिना घोड़े की सवारी के कार्य कुशलतापूर्वक नहीं चल सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हम चाहते हैं कि वे घोड़े रखें और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की भी चेष्टा की जाती है। बजट पर विवाद हुआ है, उन्हें घोड़े खरीदने के लिए सहायता में वृद्धि की गयी है और भत्ता भी बढ़ाया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--सब-इन्स्पेक्टर को घोड़े की खरीद के लिए सरकार क्या सहायता देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--४०० रुपये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--घोड़े के और मोटर साइकिल के अलाउंस में कितना अन्तर है और उसे सरकार क्यों वहन कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--साइकिल के लिए ३ रुपये प्रतिमास, मोटर साइकिल के लिए २५ रुपये, घोड़े के लिए क्षेत्रों के अनुसार दिया जाता है, पहाड़ में ५५ रुपये, हेडक्वार्टर पर ५० रुपये और अन्य स्थानों में ४५ रुपये दिये जाते हैं। जो सवारी रखी जाती है उसी के अनुसार भत्ता दिया जाता है ।

थानेदारों की बरखास्तगी

*२४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ से सन् १९५६ तक उत्तर प्रदेश में कितने थानेदार बरखास्त किये गये हैं और कितनों ने स्वयं इस्तीफा दिया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् १९५२ से १९५६ तक उत्तर प्रदेश में ६८ थानेदार बरखास्त किये गये और २१ थानेदारों ने स्वयं इस्तीफा दिया।

श्री झारखंडेराय--जिन थानेदारों ने इस्तीफा दिया उन में कितने ऐसे हैं जिन्हें इस्तीफा देने पर विभाग की ओर से मजबूर किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मजबूर करने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इन थानेदारों की बरखास्तगी के क्या क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विभिन्न प्रकार के जुर्म हैं, बड़ी लम्बी सी लिस्ट है। बेईमानी और भ्रष्टाचार की आम शिकायत, परेड पर उपस्थित न होना, किसी गांव वाले को पीटना, कहीं व्यभिचार के मामले थे, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के मामले हैं।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--बरखास्तशुदा में भ्रष्टाचार के कितने मामले हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--उसके संकलित आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इनमें कितने ऐसे हैं कि जिन्हें दण्डनीय अपराधों के कारण बरखास्त किया गया है और उन पर मुकदमे चलाये गये हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नोटिस की आवश्यकता है।

*२५-२७--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*२८-२९--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में इंचार्ज थानेदारों का अधिक समय तक तबादला न होने कीशिकायत

*३०--श्री जगदीशनारायणदत्तसिंह (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में कितने ऐसे थाना इन्चार्ज दरोगा हैं जो कि जिले में १० वर्ष से अधिक से तैनात हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--खीरी जिले में ऐसा कोई सब-इन्स्पेक्टर नहीं है जो थाने में इन्चार्ज दरोगा के पद पर १० वर्ष से अधिक रहा हो।

*३१--श्री जगदीश नारायणदत्त सिंह--यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रश्न नहीं उठता।

*३२-३३--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[७ अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़, में खुलने वाला नार्मल स्कूल

*३४--श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन में गवर्नमेंट नार्मल स्कूल कब से चालू होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २० राजकीय नार्मल स्कूल खोलने का प्राविधान है। प्रदेश के प्रत्येक जिले की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, ये स्कूल कहां-कहां खोले जाय, इस पर प्रदेशीय शिक्षा संचालक विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः मऊनाथ भंजन में राजकीय नार्मल स्कूल खुलने के सम्बन्ध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

*३५-३६--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*३७-३८--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--[३० सितम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३९--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में डुमरियाडीह पर पुलिस चौकी कायम करने के लिए प्रार्थना

*४०--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के थाना वजीरगंज में डुमरियाडीह पर पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में जनता द्वारा प्रार्थना-पत्र सन् १९५५-५६ में दिये गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, परन्तु चूंकि उस वक्त कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, इसलिए एस० पी० गोंडा ने प्रस्ताव को आगे नहीं भेजा।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर आये दिन रोज चोरियां होती हैं और एस० डी० एम० व दरोगा साहब को वहां की जनता द्वारा बार-बार अर्जी देने पर भी काम नहीं होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य ने यह सूचना दी थी और आदेश भेजे गये हैं कि इसकी आवश्यकता पर फिर से जांच करके रिपोर्ट भेजें।

*४१--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

*४२-४३--श्री मोतीलाल अवस्थी--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*४४-४५--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

राजनीतिक पीड़ित की सजा में हवालात की अवधि को जोड़ा जाना

*४६--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ित माने जाने में जो छः महीने जेलमें रहने की शर्त है उसमें हवालात में रहने के दिन भी जोड़े जाते हैं या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सामान्यतः नहीं। पर यदि सजा देने वाला न्यायाधीश ऐसे आदश दे कि हवालात की अवधि भी सजा की अवधि में जोड़ी जाय तो जोड़े जाते हैं।

श्री गनेशचन्द्र खाछी--क्या सरकार, ऐसे व्यक्ति को जिसे मय हवालात ६ महीने हो जाते हैं, राजनीतिक पीड़ित मानने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है।

सूचना विभाग की ओर से नैनीताल में खेले गये कथित ड्रामे

*४७--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह मालूम है कि गत जून माह में यू० पी० इन्फार्मेशन विभाग की ओर से कुछ ड्रामे नैनीताल में खेले गये थे ? यदि हां तो उनमें कुल कितना धन व्यय हुआ था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। गत जून माह में सूचना विभाग की ओर से नैनीताल में कोई ड्रामा नहीं खेला गया था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*४८-४९--श्री चन्द्रजीत यादव--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बढ़नी स्टेशन बाजार, जिला बस्ती, में वायरलेस लगाने की प्रार्थना

*५१--श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बढ़नी स्टेशन बाजार जिला में, जो नैपाली सरहद पर है, वायरलेस लगाने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*५२-५३--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

रोशन सिंह, निवासी चौकीराजा, जिला एटा की गिरफ्तारी

*५५--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना अलीगंज, जिला एटा के पुलिस स्टेशन आफिसर ने कुछ गिरफ्तारियां ८-७-५७ को की थीं और गिरफ्तार व्यक्तियों को ११-७-५७ तक हवालात में बन्द रख कर चालान किया ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, मौजा इन्द्रपुर, थाना मोहम्मदाबाद, के गांव वालों ने एक अपराधी पंचम को ९-७-५७ को पकड़ा था और १०-७-५७ को एक रोशनसिंह को, जो चौकी राजा का है, रामपुर की पुलिस ने पकड़ा।

*५६--श्री भूपकिशोर--क्या यह सत्य है कि इन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में एस० पी०, जिला एटा को ८-७-५७ को ही तार द्वारा सूचना दे दी गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश--दिनांक ८ जुलाई, १९५७ का एक तार ९-७-५७ को प्राप्त हुआ था जिसमें रोशनसिंह की गिरफ्तारी के बारे में लिखा था। इसे स्टेशन आफिसर के पास पूरे विवरण के लिए भेज दिया गया था।

श्री भूपकिशोर--क्या सरकार बतायेगी कि एक तो रोशन की गिरफ्तारी का तार ८-७-५७ को आया और रिपोर्ट में १०-७-५७ को गिरफ्तार करना लिखा है, इसमें कौन सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो रिपोर्ट आयी वह यह आयी कि १०-७-५७ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ८ तारीख को तार आया था। इसलिये मैंने फिर से जांच करने के आदेश एस० पी० साहब को दे दिये हैं कि वह तफसील में जांच करके रिपोर्ट दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या थानेदार को जो आदेश विवरण के लिये भेजे गये हैं, उसका विवरण प्राप्त हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थानेदार की कोई रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने प्रश्न नम्बर ५६ के उत्तर में यह बताया था कि जो तार आया था उसको विवरण के लिये थाने में भेज दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि थानेदार के पास से कोई विवरण लौटकर आया या नहीं आया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो रिपोर्ट वहां से आयी उसके अनुसार १०-७-५७ को गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो तार आया था वह ८ तारीख को आया था; उसको मैंने एस० पी० के पास भेज दिया है कि यह बात कैसे हुई, उसकी जांच की जाय।

श्री भूपकिशोर--क्या सरकार बतलायेगी कि इस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आई० जी० द्वारा कोई आदेश एस० पी० साहब को जांच करने के लिये भेजे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मैंने यही तो कहा कि जांच करने के लिये आदेश जा रहे हैं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--सरकार ने अभी बतलाया कि पहले तार का विवरण उन्होंने एस० पी० साहब को भेजा, लेकिन माननीय भूपकिशोर जी ने प्रश्न किया कि आई० जी० द्वारा ऐसी कोई इन्क्वायरी एस० पी० के पास भेजी गयी कि वे इस तार के सम्बन्ध में इंक्वायरी करें।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी ने कह दिया है कि उन्होंने स्वयं उसको भेजा है। आई० जी० से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री महोदय उस तार को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसकी कोई जरूरत तो महसूस होती नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी के पास जो काग़जात हों और जो कांफीडेंशियल डोक्यूमेंट्स न हों, उनके बारे में क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--किसी प्रश्न का जवाब वे न भी दें अथवा वे स्थान से उठें ही नहीं, जब यह वे कर सकते हैं तो इसका भी उनको अधिकार है।

एटा जिले में विभिन्न प्रकार के अपराध

*५७---श्री भूपकिशोर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में १ अप्रैल, १९५६ से लेकर २६ जुलाई, १९५७ तक कितने कत्ल, कितनी डकैतियां और कितनी आत्महत्याएं हुईं तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९ के अन्तर्गत कितने चालान हुये ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस अवधि में १९ डकैतियां, ७२ कत्ल, ७७ आत्महत्याएं हुईं तथा धारा १०९ के अन्तर्गत ३६२ व्यक्तियों का चालान किया गया।

बांदा नगरपालिका में बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रार्थना

*५८---श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका में बालिकाओं की शिक्षा कब से अनिवार्य की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह अभी से बताना सम्भव नहीं है।

*५९-६१---श्री रामलक्षण---[११ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७५-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हथियारों के लाइसेंस बढ़ाने की प्रार्थना

*६२---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि हथियारों का लाइसेंस देने में इतनी उदारता से काम लिया जाय कि राज्य का कोई गांव ऐसा नहीं रह जाय जिसमें कम से कम एक भी लाइसेंस शुदा हथियार न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हथियारों का लाइसेंस देने के नियम इतने उदार हैं कि कोई भी व्यक्ति हथियारों की अपनी आवश्यकता तथा विश्वसनीयता प्रमाणित कर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त डाका ग्रस्त जिलों के लिए सरकार ने विशेष रूप से पहले ही आदेश जारी कर रखे हैं कि वहां कोई भी गांव ऐसे न रह जायं जिनमें लाइसेंसशुदा हथियार न हों। गांव रक्षा समितियों के सदस्यों को भी उदारता पूर्वक लाइसेंस देने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके उपरान्त इस सम्बन्ध में अब और कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

*६३-६४---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६५-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखीमपुर के कलेक्टर श्री बिलोनी के बध सम्बन्धी फांसी का दण्ड पाने वाले व्यक्तियों के परिवार को सहायता देने की प्रार्थना

*६५---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९२० व १९२१ के असहयोग आन्दोलन के समय लखीमपुर में कलेक्टर श्री बिलोनी का वध करने के लिये सर्वश्री नसीरुद्दीन, बशीर तथा माशूक अली को फांसी की सजा हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*६६---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार को पता है कि उक्त तीनों व्यक्तियों के परिवार में अब कौन-कौन जिन्दा हैं और सरकार की ओर से इन व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई ?

नोट:---प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इनके परिवार में जीवित व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(१) नसीरुद्दीन--उनके तीन भाई मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, और तजम्मुल हुसैन ।

(२) बशीर--उनके भाई, जिनका नाम मालूम न हो सका ।

(३) माशूक अली--अलताफ भाई और बेवा बहिन मुन्नी ।

नसीरुद्दीन के तीनों भाइयों के आवेदन-पत्र राजनीतिक सहायता के लिये प्राप्त ए जो विचाराधीन हैं ।

*६७--श्री चन्द्रजीत यादव--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६९--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जिला बोर्डों को सहायता

*७०--श्री लोकनाथ सिंह (जिला बाराबंकी)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं में मुफ्त शिक्षा कर देने से जिला बोर्ड द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं से जो फीस वसूल की जाती थी, उसे सरकार पूरी की पूरी जिला बोर्डों को देने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला परिषद् शिक्षा नियमावली के अनुसार प्राइमरी कक्षाओं में जिला परिषदों द्वारा साधारणतया दो आने प्रतिमास प्रति छात्र की दर से शिक्षा शुल्क लिया जाना चाहिये और इसी दर से शासन जिला परिषदों की शुल्क-आय में क्षति की पूर्ति कर रहा है ।

*७१--श्री लोकनाथ सिंह--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति

*७२--श्री लोकनाथ सिंह--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति में सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किये जाते हैं ? क्या वे प्रबन्ध समितियों की बैठक में भाग लेते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति में सरकार द्वारा मनोनीत कोई सदस्य नहीं होते । प्रश्न का अन्य भाग नहीं उठता ।

*७३--श्री प्रताप सिंह--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

ललितपुर, जिला झांसी में श्री सालिगराम के यहां डकैती

*७४--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला झांसी तहसील ललितपुर खास में सालिगराम ठेकेदार के घर अभी माह अप्रैल, १९५७ में डाका पड़ा है ? यदि हां, तो किन तारीखों में एवं डाकुओं द्वारा क्या व कितनी सम्पत्ति लूटी गयी और डाकुओं द्वारा किन-किन शस्त्रों का उपयोग किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्री सालिगराम ठेकेदार के पुत्र द्वारा सूचना मिलने पर दिनांक २३, २४-४-१९५७ की रात्रि को कुछ लोग उनके मकान से सामान चुरा ले गये हैं, एक नकबजनी (Burglary) का मामला थाना ललितपुर में

२४-४-५७ की प्रातःकाल दर्ज किया गया। उक्त ठेकेदार के दिनांक २५-४-५७ के कथनानुसार ६,४०४ रु० नकद तथा आभूषण चुराये गये। जांच के दौरान में कुछ लोगों ने यह बयान दिया कि अपराधियों की संख्या १५-२० थी और वे लाठी, तलवार तथा बन्दूक से लैस थे। अतः मामला धारा ३९५/३९७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत डकैती में बदल दिया गया। मामला लापता रहा।

*७५--श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सालिगराम ठेकेदार के निवास स्थान पर डकैती पड़ने के कितनी देर बाद पुलिस वहां पहुंची ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--डकैती रात्रि में एक बजे के लगभग हुई बताई गई और उसकी सूचना २ बजे दी गई। पुलिस २ १/२ और ३ बजे के बीच मुकाम पर पहुंची।

बेसिक रीडरों के मुद्रण सम्बन्धी कार्य के वितरण के सम्बन्ध में आगरे से शिकायत

*७६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेसिक रीडरों के छपाने आदि के वितरण की नीति का आधार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बेसिक रीडरों के मुद्रण सम्बन्धी कार्य वितरण की नीति के आधार निम्नलिखित हैं :--

(१) अच्छा काम,
(२) छोटे-बड़े सभी प्रकार के प्रकाशकों को प्रोत्साहन देने का ध्यान,
(३) विस्तृत वितरण।

*७७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास आगरा से, आगरा में उपर्युक्त वितरण के सम्बन्ध में इस वर्ष कोई शिकायत आई है ? अगर हां, तो वह शिकायत क्या है और सरकार ने उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, शिकायत में मुद्रकों और प्रकाशकों के पिछले घटिया काम, उनके आपस में सम्बन्ध तथा कम हैसियती का उल्लेख है।

इस समय किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। यदि शिकायतों में कोई तथ्य निकला तो अगले वितरण के समय ध्यान रक्खा जायगा।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल

*७८--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--उत्तर प्रदेश में दो तरह के जूनियर हाईस्कूल-हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी क्यों चलाये जा रहे हैं जब कि उनके पाठ्य-क्रम और अध्यापकों की योग्यता एक होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रदेश में अब केवल एक प्रकार के ही सब जूनियर हाई स्कूल हैं। हिन्दुस्तानी अथवा अंग्रेजी अब ऐसा कोई भेद नहीं है।

*७९--श्री देवीप्रसाद मिश्र --क्या सरकार को ज्ञात है कि अंग्रेजी ढंग के जूनियर हाई स्कूलों की फीस ५० प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक अधिक होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- अंग्रेजी ढंग के अब कोई जूनियर हाई स्कूल न होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

हाई स्कूलों की कक्षाओं में तरक्की देने का अधिकार

*८०--श्री देवीप्रसाद मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि हाई स्कूल के प्रिंसिपलों को ७, ८, ९ और ११ की कक्षाओं में तरक्की देने का अधिकार प्राप्त है किन्तु कक्षा ६ की तरक्की जिला विद्यालय निरीक्षक देते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।

आजमगढ़ जिले में मैनपुरवा ग्राम से पुलिस द्वारा एक भैंस की बरामदगी

*८१--श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मैनपुरवा, थाना मधुबन जिला आजमगढ़ से दुबारो पुलिस चौकी के हेडकांस्टेबिल ने फरवरी सन् १९५७ के १७ या १८ तारीख को कोई भैंस बरामद की थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, २०-२-५७ को एक पाड़ी बरामद की थी।

*८२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भैंस किसी मवेशीखाने से नीलाम पर लाई गई थी? यदि हां, तो कब और कितने रुपये में?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, जिस आदमी के यहां से यह बरामद की गई उसका पट्टीदार इसको १६-९-५६ को एक मवेशीखाने से १४ रु० में नीलाम में लेकर आया था।

*८३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भैंस कहीं पलिस द्वारा बेंच डाली गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, यह एक आदमी की सुपुर्दगी में दी गयी थी और अभी भी उसी के पास है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मैनपुरी जिले में कत्ल

*८४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ ई० से ३० जून, १९५७ तक मैनपुरी जिले में कितने कत्ल हुये हैं? उनमें कितने कत्लों में पुलिस ने चालान किये हैं और उनमें कितने छूटे, कितनों में सजा हुई और कितने विचाराधीन हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना निम्नलिखित है :--

मैनपुरी जिले में १-१-५६ से ३०-६-५६ तक होने वाले कत्लों का विवरण

रिपोर्ट हुए	चालान हुए	छूटे	सजा हुई	विचाराधीन हैं
५०	३१	१६	४	११

गांधी हायर सेकेण्डरी स्कूल समोदपुर, जिला जौनपुर का अनियमित रूप से व्यय किया गया धन

*८५--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल समोदपुर, जिला जौनपुर में जो दस हजार रुपया अनियमित रूप से खर्च करने की बाबत आडीटर ने रिपोर्ट की थी और जिसके विषय में सेशन जज, जौनपुर ने अपने फैसले में शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित किया था, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही हुई या नहीं? यदि हुई, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

गोंडा जिले में दफा १०७ के मुकदमे

*८६--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५७ ई० से ३० जून सन् १९५७ तक गोंडा जिला के प्रति थाने में कितने व्यक्तियों के ऊपर जेरे दफा १०७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमे चले ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी जा सकती है। भारतीय दंड विधान की धारा १०७ के अन्तर्गत कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता। ये मुकदमे दंड विधि संग्रह की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत चलाये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

*८७--श्री बलदेव सिंह--उपर्युक्त मुकदमों की संख्या पिछले वर्ष में इसी समय के अन्दर उपर्युक्त दफा के अन्तर्गत चले हुये मुकदमों से अधिक हैं या कम हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कम है।

गोंडा जिले के थाना मनकापुर के अन्तर्गत डकैतियां

*८८--श्री बलदेव सिंह--क्या यह सही है कि जिला गोंडा के थाना मनकापुर में २५ जून, १९५७ से २८ जून के अन्दर आठ घरों में डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

रायबरेली जिले के थाना शिवरतनगंज में महंगू पासी की मृत्यु

*८९--श्री रामेश्वर प्रसाद--क्या पुलिस मंत्री को पता है कि अभी कुछ ही दिन हुये सन् १९५७ के वर्ष में थाना शिवरतनगंज, जिला रायबरेली की पुलिस की मार से एक हरिजन की मृत्यु हो गई है ?

*९०--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त व्यक्ति की किन-किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई तथा सम्बन्धित किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, गत मई मास में थाना शिवरतनगंज के कुछ पुलिस के सिपाही कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर महंगू पासी नामक एक कुख्यात चोर को पकड़ने के लिए ग्राम टेढ़ई गये। महंगू पासी ने भागने के प्रयत्न में एक व्यक्ति पर लाठी का वार किया और उसे गिरा कर मारने लगा। उसने पुलिस वालों पर भी लाठी चलाई और उनको और अन्य गांव वालों को जो पुलिस की मदद के लिए आये थे, चोटें पहुंचायीं। पुलिस ने भी अपने बचाव में उस पर लाठियां चलाईं जिससे वह घायल हो गया। उसे पकड़ कर थाना शिवरतनगंज ले जाया गया जहां दो घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की गई किन्तु पुलिस का कोई दोष नहीं पाया गया। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल के रसायन विभाग के कर्मचारियों की मांग

*९१--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार के पास राजकीय डिग्री कालेज नैनीताल के रसायन विभाग के कर्मचारियों की यह मांग आई है कि उनके हेतु विषैली चीजों से स्वास्थ्य बचाव हेतु कोई Special Allowance दिया जावे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। विचार करने के पश्चात् अस्वीकार कर दिया गया।

बुलन्दशहर जिले में शिक्षा संस्थाओं को सहायता

*९२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस शिक्षण संस्था को साल सन् १९५६-५७ में क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तालिका †"क" तथा "ख" सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

स्कूल की इमारतों को बनवाने के लिए इलाहाबाद नगरपालिका को सहायता

*९३--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका के स्कूलों को बनवाने के लिये १९५२ से १९५६ दिसम्बर तक कितना अनुदान इमारत बनाने के लिये दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९५६ में १०,००० रु० दिया गया ।

इलाहाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरियां

*९४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में कोतवाली थाने के क्षेत्र में १ मार्च, १९५७ से ८ अप्रैल तक कितनी चोरी हुईं और उसमें कितने आदमी पकड़े गये और कितने मुकदमे चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में कुल ६४ चोरी के मुकदमे अंकित किये गये तथा २६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और १६ मुकदमों का चालान अदालत में किया जा चुका है।

सुल्तानपुर जिले के अकरियापुर ग्राम में गोली काण्ड

*९५--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में थाना सुल्तानपुर में एक गांव में १८ जुलाई, १९५७ को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*९६--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोली चलाने का क्या कारण था और उससे कितने व्यक्तियों को चोट लगी और कितनों की जान गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह कहा जाता है कि पुलिस अकरियापुर ग्राम में दण्ड विधान (आई० पी० सी०) की धारा ३०७ के एक मामले के अभियुक्तों को पकड़ने गई। इस पर अभियुक्तों तथा उनके साथियों ने पुलिस पार्टी पर लाठियों से आक्रमण किया तथा एक देशी पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस पर पुलिस ने भी गोली चलाई। जिससे तीन व्यक्ति घायल हुये और उनमें से एक बाद में अस्पताल में मर गया। इस घटना के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा छानबीन की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)--[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

२-३--श्री प्रताप सिंह --[११ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

---

†तालिका छापी नहीं गयी।

स्थगित प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रश्न स्थगित किये जाते हैं, उनके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कौन सा प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--यह तो एजेन्डे में लिखा हुआ है। अगर आप ब्योरा चाहते हैं तो विधान सभा के सेक्रेटरी से पूछ लीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यहां आने से पहले इसकी सूचना नहीं मिल पाती कि कौन सा प्रश्न स्थगित किया गया है, अगर उसकी सूचना पहले मिल जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष-- बात यह हो जाती है कि अगर जिले से जवाब प्रश्न का नहीं आता है तो गवर्नमेंट उसे आखिर में स्थगित करवाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कौन सा प्रश्न स्थगित किया गया है, इसकी सूचना हमको पहले ही मिल जाया करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्नों की एक प्राविजनल फेहरिस्त पहले भेजी जाती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आज हमको इस बात का पता नहीं चलता कि कौन से प्रश्न स्थगित किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष--दोनों को मिला लीजिये तो पता चल जायगा ।

मन्त्रि मण्डल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान उत्तर प्रदेशीय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास यह अविश्वास का प्रस्ताव कल आया था। उसमें कुछ आपत्तिजनक भाग था जिसके कारण वह वैध नहीं हो सकता था। मैंने श्री रामस्वरूप वर्मा से यह कहा कि यह इस तरह से स्वीकार नहीं हो सकता, तो उन्होंने वह १२वां पैराग्राफ उसमें से काट दिया और उसके बाद उन्होंने स्वयं जो त्रुटि उसमें और रह गयी थी निम्न वाक्य में "सरकार तथा उसके मंत्रिमंडल की नीति तथा कार्यों में अपना अविश्वास प्रकट करता है" और जिस पर मेरी नजर पड़ी थी, वह नुक्स भी उसका उन्होंने दूर कर दिया। नियम १४६ में दिया है कि अगर मैं ऐसे प्रस्ताव को वैध समझूं तो प्रस्ताव को मैं पढ़ूं, यह नियम दिया हुआ है। मैं इसको वैध करार देता हूं और उसको पढ़ कर सदन के सामने सुना देता हूं। वह यह है--

अविश्वास का प्रस्ताव

यह सदन वर्तमान उत्तर प्रदेशीय मंत्रिमंडल की नीति तथा कार्यों में अपना अविश्वास प्रकट करता है क्योंकि--

१--प्रदेश के पूर्वी व पहाड़ी जिलों में अकाल की स्थिति होने तथा पूर्वी जिलों में भुखमरी से मौतें होने के बावजूद भी सरकार खाद्य स्थिति को संभालने में पूर्णतः असमर्थ रही है जिसके कारण प्रदेश के इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन भुखमरी की संकटापन्न स्थिति से गुजर रहा है,

२--बाढ़ तथा कटाव को रोकने व बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों की समुचित सहायता करने में सरकार नितान्त असफल रही है,

[श्री अध्यक्ष]

३—सरकार अपनी मूलनीति विहीनता के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं के बढ़ते हुये भावों को रोकने में सर्वथा असमर्थ रही है,

४—सरकार ने गरीब किसानों की अलाभकार जोतों से मालगुजारी न हटा कर प्रदेश के गरीब किसानों पर चलने वाले अन्याय को जारी रखा है,

५—प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच भी प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में सरकार नितान्त अक्षम रही है,

६—सरकार ने खाद्यान्न जैसी जीवनोपयोगी वस्तुओं पर बिक्री कर जैसे बोझिल टैक्सों को दैन्यता के बोझ से कराहती जनता पर कम नहीं किया है,

७—सरकार ने अब तक प्रदेश में जिला बोर्डों तथा नगर निगमों के चुनाव न करा कर और बराबर टालू नीति अपना कर तथा स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों को मुअत्तल करने की प्रथा बना कर व जिला अधिकारियों के द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करके प्रजातंत्र पर भीषण कुठाराघात किया है,

८—सूचना विभाग को सरकारी पार्टी के प्रचार के लिये इस्तेमाल कर के तथा सूचना विभाग में जी हुजूरों को भर कर व उस विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर और प्रदेश के चरित्र को गिराकर जनतंत्र की हत्या की है,

९—सरकार फजूलखर्ची व सार्वजनिक धन के अपव्यय को रोकने में अक्षम सिद्ध हुई है ।

१०—सरकारी कामों में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने में और राजभाषा को प्रोत्साहन देने में असफल रही है,

११—शासन सत्ता गांव, जिला, सूबा और केन्द्र में उचित रूप से वितरित न कर के प्रजातंत्र को पंगु बनाया है और प्रदेश के उस नाते होने वाले विकास को रोका है,

१२—सरकार ने देशी व मिलों से पैदा होने वाली चीजों के मूल्यों में संतुलन कायम करने की मूल्यनीति न मानकर प्रदेश के तमाम खरीदारों को असुरक्षित छोड़ दिया है ।"

अब जो माननीय सदस्य इस के लिये अनुमति देने के पक्ष में हों वह कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मुझे तो बैठे बैठे ही शुमार करने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप को वैसे ही मान लिया जायगा कि आप अनुमति देने के पक्ष में हैं ।

(गणना के उपरान्त)

तो इस के पक्ष में जो संख्या आई है वह ७६ है और आवश्यकता ८६ की है, दस की कमी है ।

श्री त्रिलोकी सिंह—कुल संख्या सदस्यों की ४३१ है, हिसाब लगाने से ८७ तादाद होना लाजमी है ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है वह ८७ होनी चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, फिर से गिनती कराई जाय, गिनने में शायद गलती हो गई है ।

श्री अध्यक्ष—क्योंकि माननीय सदस्य कहते हैं कि गिनने में शायद गलती हो गई है इसलिये जो अनुमति देने के पक्ष में हों वह कृपा कर एक बार फिर खड़े हो जायं।

(गणना के उपरान्त)

अब की बार सब मिलाकर संख्या ८० हुई है, ७ की फिर भी कमी है, इसलिये सदन की अनुमति इस के लिये नहीं है।

उत्तर प्रदेश एण्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश एण्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५०–७५२ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो अभी पुरःस्थापित किया जा रहा है यह मनी बिल है और कांस्टीट्यूशन की धाराओं के अनुसार गवर्नर महोदय की सिफारिश इसमें आवश्यकीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शब्दावली प्रयुक्त की उससे यह स्पष्ट नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मनी बिल है और यदि है तो क्या इसमें गवर्नर महोदय की सिफारिश आ चुकी है?

श्री अध्यक्ष—जी हां, आ चुकी है। मेरे पास आ चुकी है। वह मेरे पास आना ही जरूरी है। यह कहना जरूरी नहीं है कि राज्यपाल की सिफारिश से मैं पेश करता हूं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, हमें पता कैसे हो?

श्री अध्यक्ष—हां, तो पता अब आपको लग गया। आपने पूछ लिया। मैंने पूछने से रोका नहीं आपको।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक '४७—श्रम और संख्या

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये आय–व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होगा।

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—श्रम और संख्या—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत १,१६,५९,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के सम्बन्ध में उसकी कुछ रूपरेखा और उसके कुछ कार्य के सिलसिले में कुछ थोड़ा सा विवरण संक्षेप में मैं देना चाहता हूं। इसलिये भी कि यह पहली बार इस आदरणीय सदन के सामने लेबर विभाग का बजट पेश किया जा रहा है। यद्यपि विभाग की तरफ से पुस्तक छापी गई है और वह माननीय सदस्यों की

[आचार्य जुगल किशोर]

मेज पर रख दी गई है और इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ से भी एक रिपोर्ट माननीय सदस्यों के सामने है, तब भी मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ इस विभाग के सम्बन्ध में इस समय मैं अवश्य कह दूं और यह शायद असामयिक न होगा और न अनुचित होगा ।

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस विभाग की तरफ से इस साल जो मांग की गई है वह बनिस्बत पिछले साल के ६७ लाख ज्यादा है । इसका क्या कारण है यह माननीय सदस्य जानना चाहेंगे । एक तो यह कि इस वर्ष हमारे इस विभाग में एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज और क्रैफ्ट मेन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित होते थे वह इस विभाग के अन्तर्गत आ गये हैं और अब उनका संचालन इस विभाग द्वारा होगा । इस विभाग में अभी तक एक लेबर कमिश्नर का दफ्तर था और उसके अन्तर्गत अन्य छोटे छोटे कार्य और विभाग थे । इस वर्ष से यह एक नया विभाग आने से एक नया डाइरेक्टोरेट भी कायम हुआ है । वह है रीजनल डाइरेक्टोरेट आफ एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज ऐंड क्रैफ्ट मेन्स ट्रेनिंग इंस्ट्रीट्यूट । इस विभाग द्वारा जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज हमारे इस प्रदेश में कई सालों से चल रहे हैं उनका संचालन इस विभाग द्वारा आगे से होगा । अभी तक २१ एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज हमारे यहां चल रहे हैं और इस वर्ष दस और खोलने का विचार किया गया है जिसके लिये आदरणीय सदन की स्वीकृति मांगी गई है । इसके अलावा क्रैफ्ट मेन्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं । आठ इन्स्टीट्यूट्स इस वक्त चल रहे हैं और एक और चलाने का विचार इस वर्ष है और अगले पांच वर्षों में पांच और खोलने का विचार है । इन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन में इस वर्ष १ हजार से ज्यादा विद्यार्थी हैं । और विद्यार्थियों को ट्रेनिंग इन्हीं संस्थाओं के द्वारा दी जायगी । यद्यपि एक नया इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, तब भी इन ८ संस्थाओं में वहां पर इस तरह का इन्तजाम किया जा रहा है जिससे ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त हो सके । उसी के लिये ३२ लाख रुपये का कर्ज मांगा गया है । दो मदें जो इस वर्ष इस विभाग में शामिल की गई हैं । वे हैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के मातहत जो कि पहले स्कीम फार रिसेटिलमेंट आफ सोल्जर्स एंड लेबर कहलाती थी, जिस पर ११ लाख रुपया खर्च होता था और दूसरी स्कीम फार वोकेशनल ट्रेनिंग थी जो इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा संचालित होती थी और १५ लाख रुपया इस पर व्यय होता था । इस साल २५.२७ लाख रुपया एक के लिये और ३२.३३ लाख रुपया दूसरी के लिये टेक्निकल ट्रेनिंग के विकास के लिये रक्खा गया है ।

इस बात की कोशिश की जा रही है कि इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हम ऐसे स्किल्ड वर्कमैन तैयार कर सकें जिनकी आज इंडस्ट्रियल विकास के लिये आवश्यकता है। साधारणतया विभिन्न विभाग जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट और पी० डब्ल्यू० डी० तथा अन्य विभाग अपनी अपनी प्रशिक्षण संस्थायें चला रहे हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त भी इस बात की आवश्यकता आ पड़ी है कि शार्ट ट्रेनिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस खोले जायं । जहां पर कि जिस प्रकार की आवश्यकतायें हों इंडस्ट्रीज को उनको जांच करके, उनको मालूमात करके उनके मुताबिक शिक्षा दी जाय। इसीलिये यह विभाग जो ट्रेनिंग का है यह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के साथ संलग्न है । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में सूचनायें आती रहती हैं कि इस तरह की मांगें हैं और इस तरह के व्यक्ति इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के पास आते हैं जिससे मालूम होता रहता है कि किस तरह के व्यक्ति बेकार हैं और कैसी उनकी योग्यता है और कैसे उनकी योग्यता बढ़ा कर हम अपने विकास के कार्य में उनका उपयोग कर सकते हैं । इस खयाल से यह ट्रेनिंग का कार्य हो रहा है और मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगले ५ वर्ष तक जैसी कि हमारी योजना है हम इतने ट्रेण्ड आदमी अपने प्रदेश में तैयार कर लेंगे ताकि जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनकी आवश्यकताओं को वे पूरा कर सकें ।

इसके अलावा हमारा लेबर कमिश्नर का दफ्तर है । उसके अन्तर्गत बहुत से आफिसर्स व कर्मचारी हैं । माननीय सदस्यों को मैं इस सम्बन्ध में संक्षेप में बतला दूं ताकि उनको जानकारी

हो जाय कि वहां क्या कार्य हो रहा है। लेबर कमिश्नर के दफ्तर की स्थापना करीबन १९३७ में हुई थी। ४६ से इसमें विशेषतः विकास हो रहा है। पहले ४७ में इस दफ्तर में केवल ३५ गजेटेड आफिसर्स थे और ४०७ नान-गजेटेड आफिसर्स थे और १९५६-५७ में इस विभाग में ८८ गजेटेड आफिसर्स हुये और १७९३ नान-गजटेड आफिसर्स। १९४६-४७ में इस विभाग का बजट ६ लाख ३५ हजार था और १९५६-५७ में ४९ लाख ७१ हजार था और इस वर्ष इस दफ्तर के लिये १ करोड़ १६ हजार रुपये की अनुदान मांगी गई है।

इसमें तीन तरह के कार्य होते हैं। एक तो श्रमिकों के कल्याण के कार्य। इस सम्बन्ध में जगह-जगह पर जहां पर कि हमारी इंडस्ट्रीज कायम हैं, जहां पर ज्यादा संख्या में हमारे श्रमिक हैं उनके कल्याण हेतु कुछ केन्द्र खोले गये हैं। उन केन्द्रों द्वारा न केवल श्रमिकों को, बल्कि उनके परिवार को, न केवल शिक्षा दी जाती है बल्कि उनके लिये दवाई आदि की तथा अन्य सुविधायें भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है जिससे श्रमिक महसूस करे कि यद्यपि आज हमारी आमदनी कम है तब भी समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से हमारे बच्चों की, हमारी स्त्रियों की, हमारी अपनी देखभाल के लिये कुछ न कुछ हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि इस कार्य का ज्यादा विकास हो और यह भी चाहेंगे--कम से कम मैं चाहता हूं--कि यह कार्य हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और हमारी ट्रेड यूनियंस अपने हाथ में ले करके करें। उसके करने से उनके आपस के अच्छे सम्बन्ध कायम होंगे। गवर्नमेन्ट अपना फर्ज समझती है कि जहां वह अन्य नागरिकों के लिये सुविधायें देती है, वहां विशेष सुविधायें श्रमिकों को देती है जिससे उनका उत्थान हो और वह अधिक उत्साह से काम करें। इस वजह से गवर्नमेन्ट इस काम को लेती है। अन्य देशों में ट्रेड यूनियन या इंडस्ट्रीयलिस्ट्स अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से काम करते हैं। यहां पर गवर्नमेन्ट इस काम के लिये हर साल करीब १२ लाख रुपया खर्च करती है।

इस बड़ी रकम के अलावा माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि अभी हाल में ही एक वेलफेयर फंड ऐक्ट भी सदन द्वारा स्वीकृत हुआ है और उसके द्वारा बहुत सी रकम जो कि आज फैक्टरियों में पड़ी है, बकाया रकम जो कहलाती है, उसके लिये एक निधि ऐसी कायम की जायगी, उसमें कोष कायम किया जायगा और उसमें वह रकम जायगी। एक नान आफिशियल बाडी उसका प्रबन्ध करेगी और उसका उपयोग भी श्रमिकों के हित के लिये होगा। तो वह भी एक बड़ी रकम हमारे कार्य के लिये उपलब्ध हो सकेगी। उसके लिये नियम बन गये हैं और मैं समझता हूं बहुत जल्द ही उनको कार्यान्वित किया जायगा। यह कार्य है हमारे जनता के वेलफेयर विभाग का।

दूसरा कार्य जो हमारे विभाग का है वह बहुत से लेबर के जो अधिनियम हैं उनको लागू करवाना, उनको इनफोर्स और इम्पलीमेंट करवाना, यह लेबर डिपार्टमेन्ट का कार्य है। हमारे प्रदेश में माननीय सदस्यों को मालूम तो होगा और रिपोर्टों से भी मालूम हो जायगा कि हमारे यहां कानून हैं, जैसे फैक्टरी ऐक्ट है, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट है, माइनर चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन ऐक्ट है, गवर्नमेन्ट फंड ऐक्ट है, शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैबिलशमेंट ऐक्ट है, मिनमम वेजेज ऐक्ट है, प्रावीडेंट फंड ऐक्ट है, जिनको पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारे इस विभाग की है। इस विभाग द्वारा एक तो फैक्टरी इंस्पेक्टर्स हैं, ब्वायलर इंस्पेक्टर्स हैं और कुछ श्रमिक कार्य को देखने के लिये लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जोकि मिनिमम वेजेज ऐक्ट, कामर्शियल इस्टैबिलिशमेंट की देखभाल करते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो उनका प्रोसीक्यूशन भी वह करते हैं। कम से कम उनके ऊपर इतना नियंत्रण रखते हैं उस ऐक्ट के जरिये से कि वह

[आचार्य जुगल किशोर]

उसके खिलाफ कोई काम न कर सकें, फैक्टरियां या शाप्स न कर सकें। तो यह कार्य है, जोकि हमारे लेबर इंस्पेक्टर जो इस विभाग के हैं, उनके द्वारा होता है ।

(इस समय १२ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुये ।)

इसके अलावा हमारे विभाग का एक और कार्य है, वह इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छे तरीके से कायम रखना, उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और मिल मालिक में ऐसा अच्छा सम्बन्ध रहे जिससे उत्पादन का कार्य भी बढ़ता रहे और जो श्रमिकों के अधिकार हैं, जो आवश्यकतायें हैं वह भी पूरी हो सकें। इस ख्याल से यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट हमारे यहां पास हुआ है और सन् ४७ से वह चल रहा है। उसका संशोधन भी अभी हमारे इस आदरणीय सदन द्वारा हुआ है। उसके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती है कि जो आपस के झगड़े ऐसे पैदा हों श्रमिकों में और मिल मालिकों में, उनमें नौबत इस हद तक न पहुंचे कि आपस में मन मुटाव हो और एक नौबत ऐसी आ जाय कि कोर्ट में भेजें तो कोशिश यह की जाती है हमारी कंसीलियेशन मशीनरी द्वारा या विभाग द्वारा कि जहां-जहां झगड़े पैदा होने की गुंजाइश हो या जहां हो जाते हैं वहां कंसीलियेशन आफिसर्स इस चीज को अपने हाथ में लेकर कोशिश करते हैं कि समझौता हो जाय और बहुत से मामलों में हो भी जाता है। मैं माननीय सदस्यों को संख्या बताना चाहता हू जिससे उनको खयाल हो जाय कि कितना काम हुआ है। पिछले साल ३१-१२-५६ तक ४,०५६ मामले कंसीलियेशन के सामने आये। उनमें से १,१६३ में पार्टियों में आपस में समझौता हो गया। यह काफी अच्छी संख्या है। ८४६ आरबीट्रेशन के लिये दूसरे कोर्ट्स के पास भेज दिये गये हैं और १,२५७ अभी विचाराधीन हैं और ७९० पर कोई फैसला नहीं हो सका है और वह रिजेक्ट हो चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह मामले आरबिट्रेशन के लिये भेजे गये हैं या ऐडजूडिकेशन के लिये भेजे गये हैं?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐडजूडीकेशन के लिये भेजे गये हैं। मैं इस सिलसिले में बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत हमारी कोशिश है कि जहां तक हो सके झगड़े कम करें। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनके लिये आवश्यकता होती है कि उनको ऐडजुडिकेशन के लिये भेज दिया जाय। सेंट्रल ने इंडस्ट्रियल ऐक्ट को अमेंड किया है उसी को हमने अपने यहां लागू कर दिया है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो लेबर कोर्ट्स में जाते हैं। हमारे यहां चार लेबर कोर्ट्स कायम कर दी गई हैं। गोरखपुर, मेरठ, बरेली और कानपुर में। इसके अलावा तीन ट्रिब्यूनल कायम किये गये हैं जिनके स्थान इलाहाबाद में ही हैं। एक में शुगर के मामले में, दूसरे में टैक्सटाइल के मामले और तीसरे में अन्य इंडस्ट्रियल झगड़े जा सकते हैं। उनके प्रेसीडेंट ऊंची पोजीशन के आदमी हैं, वह जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज हैं और ऐसे कंसीलियेशन आफिसर्स हैं जिनको लेबर का काफी तजुर्बा है जिससे यह लेबर की समस्या को समझ सकें और सोशल जस्टिस दिला सकें और फैसले भी जल्दी हो सकें बजाय इसके कि अन्य कोर्टों में जाकर प्रोसीजर वगैरा की दिक्कत होती थी वह न हो। इसलिये यह लेबर कोर्ट्स बनाये गये हैं। इस विभाग द्वारा कोशिश होती है कि हम प्रदेश में शांति कायम रखें और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट भी इस्तेमाल होता है ।

हमारे प्रदेश में इस बात की भी कोशिश होती है कि लेबर की कान्फ्रेंस हों। अभी हाल में रानीखेत में शुगर, टैक्सटाइल और अन्य इंडस्ट्रीज की चार कांफ्रेंसेज हुईं और बहुत से

मामले बहुत दिनों से पड़े थे उनके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और ऐसे निर्णय पर पहुंचे जिससे सभी को संतोष हुआ कि हमने जो फैसले किये हैं वह हमारे व्यवसाय के लिये और इंडस्ट्रीज के लिये फायदेमंद हैं और इन ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंसेज में यह भी फैसला हुआ है कि एक स्टैंन्डिंग ट्रिपार्टाइट कमेटी बना दी जाय जिसमें ऐसे मामले अगर हों तो भेज दिये जाया करें। मैं समझता हूं कि आज बहुत से मामले जो आरबिट्रेशन में, एडजुडिकेशन में और ट्रिब्युनल वगैरह में जाया करते हैं उनका फैसला सम्भवत: इस ट्रिपार्टाइट कमेटी में हो सकेगा और उनके आगे जाने की जरूरत न पड़ेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा हाल ही में शूगर ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस के जरिये से बोनस का मसला समय समय पर तय होता रहा है। अब रिटेंनिंग एलाउन्स के बारे में भी उन्होंने एक फैसला दिया है और हमारा ख्याल है कि ऐसी ही ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस के द्वारा आगे के लिए भी कि क्या बोनस का रेट होना चाहिए उसका, फैसला होगा।

माननीय सदस्यों को मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं यद्यपि उनको समाचार-पत्रों से मालूम हो गया होगा कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया द्वारा एक टेक्सटाइल वेज बोर्ड और शुगर वेज बोर्ड भी कायम किये जा रहे हैं और उन वेज बोर्डों का काम यह होगा कि सारे प्रदेश को इन व्यवसायों के सम्बन्ध में, जो समस्याएं हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करके किसी फैसले पर आना और मैं आशा करता हूं कि जो फैसला वे वेजेज के बारे में देंगे, वह हमारे वर्कर्स के स्तर को ऊंचा करने में और हमारी इन्डस्ट्री को बढ़ाने में सहायक होगा।

अब कुछ थोड़ा-सा मैं वर्कर्स की हाउसिंग स्कीम के बारे में कह देना चाहता हूं। अब तक हमारे श्रमिकों के रहने के लिए १७,३४६ मकान बनाये गये हैं जो कि सबसिडाइज्ड स्कीम के अन्तर्गत हैं और शूगर स्कीम के अन्तर्गत १,०५६ मकान बनाये गये हैं। हमारा खयाल है कि अगले चार पांच वर्षों में २५-३० हजार मकान हमारे प्रदेश में बन जायेंगे। मैं जानता हूं कि इससे हमारे श्रमिकों के रहने की समस्या का पूर्ण रूप से हल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो हल हो ही जायगा। अगर माननीय सदस्य कानपुर में कालोनीज को जाकर देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि सुव्यवस्था उन हाउसेज की है। और हमारा इरादा है कि वेलफेयर्स सेन्टर्स और ऐक्टीविटीज के सेन्टर्स भी वहीं कायम करें, ताकि श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके।

मैं और ज्यादा न कह कर माननीय सदस्यों को इस विभाग के सम्बन्ध में जो सुझाव देने हों, या जो आपत्तियां हों, उन को सुनने के बाद हमारी तरफ से जवाब दिया जायगा। मैं उन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उन के सुझाव होंगे उन पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और जहां तक सम्भव हो सकेगा उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन की स्वीकृति के लिए अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या २८--श्रम और संख्या--लेखा शीर्षक : ४७--विविध विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्रीमन्, देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए श्रमिकों का जो महत्व है उस को स्वीकार करते हुए समाज ने जो श्रमजीवियों और मजदूरों को मान्यताएं और प्रतिष्ठाएं प्रदान की हैं क्या हमारी इस सरकार की श्रम नीति से उन मान्यताओं और प्रतिष्ठाओं में किसी प्रकार का उरोज आया है, क्या किसी प्रकार का कोई प्रस्फुरण हुआ है और जब मैं इस कसौटी के ऊपर इस प्रदेश की सरकार की श्रम नीति को कसता हूं तो उसको खरा नहीं पाता। किसी भी श्रम-नीति के संचालन के सम्बन्ध में रुपयों का प्रश्न नहीं होता बल्कि प्रश्न इस बात का होता है कि क्या वे आधारभूत बातों को पूरा करती हैं। किसी भी सफल श्रमनीति के लिए ४ बातें

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

अत्यन्त आवश्यक हैं। पहली तो यह कि क्या मजदूरों के अन्दर सामूहिक समझौते की शक्ति बढ़ रही है? दूसरी, क्या औद्योगिक शान्ति और औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हुए हैं? तीसरी, क्या रोजगार में किसी तरह की बढ़ोत्तरी हुई है और चौथी क्या मजदूरों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के अनुसार उनको व्यवसाय के प्रबन्ध करने में किसी प्रकार का भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। मैं यह समझता हूं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रदेश में मजदूरों के अन्दर एक उभार आया था। उन्होंने एक आन्दोलन चलाया था और वे अपनी सामूहिक समझौते की शक्ति के अनुसार महंगाई और बोनस के तथा अन्य प्रश्नों को हल करने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार ने उनके उस उभार को रोकने के लिए ऐसी कार्यवाहियां कीं जिससे उनकी शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती चली गयी है और आज भी क्षीण हो रही है। सरकार ने मजदूरों के बढ़ते हुए आन्दोलन का दमन किया, उनके अन्दर फूट पैदा की और इसी समय एक ऐसी संस्था का जन्म दिया जिसने प्रदेश में जगह जगह पर मजदूरों के बढ़ते हुए आन्दोलन को फूट में परिणत करने के लिए अलग अलग संस्थायें कायम कीं। श्रीमन्, मजदूर लड़कर सामूहिक समझौते की शक्ति द्वारा जिस चीज को प्राप्त करते थे, सरकार ने उन तमाम बातों से मजदूरों को हटाने की कोशिश की और इस कारण मजदूर आज मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़े हुए हैं और उस के जरिये से वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब मुकदमे शुरू होते हैं तो मजदूरों की जो शक्ति होती है, वह क्षीण होती है और उसका परिणाम मालिकों के हित में होता है। इस देश में क्या सन् १९४७ से लेकर अब तक इस तरह की प्रणाली रही है, जिससे हम कह सकें कि हमारे प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं। जो आंकड़े दिये गये हैं उन के अनुसार मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमारे प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। सरकार की ओर से जो पुस्तिका वितरित हुई है "ऐनुअल रिव्यू आफ ऐक्टिविटीज, डिपार्टमेंट आफ लेबर, उत्तर प्रदेश", उसके पृष्ठ १७१ पर यह अंकित है कि १९४९ में इस प्रदेश में कुल ५४ लाक आउट्स तथा स्ट्राइक्स हुये थे, लेकिन १९५६ में यह ९४ हो गये। तो इससे अन्दाज हो सकता है कि प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्ध कितने खराब होते जा रहे हैं और यह मैं समझता हूं कि जब कि मजदूरों की सामूहिक समझौते की शक्ति क्षीण हो चुकी है और उनके हड़ताल करने के अधिकार छीन लिये गये हैं उस समय भी इस प्रदेश में इस तरह के खराब औद्योगिक सम्बन्ध विद्यमान हैं।

श्रीमन्, इसी तरह से रोजगार की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में श्रमनीति को देखें तो यह पता चलेगा कि हमारे प्रदेश में किसी तरह से श्रमजीवियों और मजदूरों की खपत नहीं हुई है। हमारे प्रदेश में सन् १९४७ में कुल ९६७ फैक्टरियां थीं और उनमें २ लाख ४० हजार ३९६ मजदूर काम करते थे। सन् १९५५ में कुल फैक्टरियां १,४९६ हो गयीं, यानी पहले की संख्या से ५२९ बढ़ी हुई हैं। लेकिन उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या है २,०९,६७४ और इस तरह से आप देखेंगे कि ५२९ फैक्टरियों के बढ़ने के बावजूद भी सन् १९४७ में जितने मजदूर कारखानों में काम करते थे उनकी तादाद में ३०,७२२ की कमी हो गयी है। यह इसलिए कि हमारे प्रदेश की सरकार ने यहां के उद्योगपतियों को छटनी करने की, प्लें आफ करने की और मजदूरों को नौकरी से अलग करने की सुविधा प्रदान कर दी है।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि मजदूरों को जो वर्तमान प्रतिष्ठायें और मान्यतायें मिली हैं, उनके आधार पर हमने मजदूरों को कहां पर व्यवस्था में हिस्सा लेने का अधिकार दिया है। मैं समझता हूं कि दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां के उद्योगपति इस बात के लिए राजी नहीं थे कि मजदूरों को मिलों और उद्योगों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया जाय तो यह सरकार का पुनीत कर्त्तव्य था कि वह अपने कारखानों में श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने देती। उसकी तीन, चार फैक्टरियां हैं, चुर्क का सीमेंट का कारखाना है, केसा का बिजलीघर है, वह मजदूरों को वहां के मनेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती

और उनकी प्रतिष्ठाओं तथा मान्यताओं को पूरा करती, लेकिन सरकार ने इन सब कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ली।

मैं इस प्रदेश के श्रमजीवियों और मजदूर भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आजादी के बाद अपने उत्तरदायित्व को समझा और वह समझते थे कि राष्ट्र के विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए उत्पादन बढ़ना चाहिए। उत्पादन बढ़ने के सिलसिले में अगर आप कानपुर की रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उससे पता चलेगा कि पिछले १० सालों में सूती मिलों, शक्कर के कारखानों तथा दूसरे कारखानों में उत्पादन निरंतर बढ़ता चला गया है। सन् १९५२ से हमारे प्रदेश की सूती मिलों में साढ़े दस प्रतिशत टोटल उत्पादन बढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मजदूर ने अपने उत्तरदायित्व को निभाया तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की हामी है। जब मजदूर उत्पादन बढ़ाता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसकी मजदूरी में भी किसी तरह की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे दुख है कि सरकार की ओर से इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अमरीका जैसे पूंजीवादी देश में भी जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके साथ-साथ वेज कास्ट भी बढ़ जाती है। वहां पर तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की कोई बात नहीं है। मैं एक न्यूज बुलेटिन के आधार पर माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि सन् १९५० से लेकर १९५५ तक अमरीका में ११ प्रतिशत टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उस के साथ-साथ वहां पर वेज भी २२ प्रतिशत बढ़े। हमारे यहां साढ़े दस प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन वेज कास्ट कुछ भी नहीं बढ़ी है, और इसके सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोडेक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के उद्योगों में न नया कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, न नयी टेक्नीक प्रचलित की गयी और न नये आदमियों को काम दिया गया लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ा है और इसके प्रतिकूल कुछ आदमियों को नौकरी से जरूर निकाल दिया गया है। मजदूरों की संख्या घटी है। तो मजदूरों की संख्या घटने के बावजूद भी हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उससे मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ।

श्रीमन्, इस प्रदेश में रेशनलाइजेशन की बड़ा चर्चा है। सन् १९५१ में, जब मिलों कुछ स्टाक जमा हो गया था उस समय यहां के उद्योगपतियों ने इस बात की आवाज बुलन्द की थी कि हमारे यहां स्टाक जमा है और कोई ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए कि जिससे हमारा यह स्टाक खत्म हो और जिससे हमारे उत्पादन का खर्च भी कम हो। और उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए हमारी प्रदेश की सरकार ने जांच करायी और जांच कराने के बाद इस बात की कोशिश की कि यहां सूबे के सूती मिलों के कारखानों में अभिनवीकरण की योजना को, रेशनलाइजेशन की योजना को लागू किया जाय। कानपुर के बहादुर साथियों ने ८१ दिन की हड़ताल की। उस हड़ताल के जरिये उन्होंने यह दिखाया कि हम रेशनलाइजेशन की स्कीम को किसी तरह से नहीं चाहते। इसके बावजूद एक कमेटी बिठायी गयी जिसने इस बात की जांच की कि आखिर हमारे प्रदेश में रेशनलाइजेशन की स्कीम को चलाने से क्या अवस्था रहेगी। रेशनलाइजेशन रिपोर्ट में कुछ फैसले किये गये हैं और उनको लागू करने सरकार जा रही है या नहीं, इसका कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जो जांच हुई है और जो तथ्य सामने आया है उससे यह पता चलता है कि उससे टोटल प्रोडक्शन का १० प्रतिशत घट जायगा।

अगर हमारे यहां के मजदूरों की बम्बई के मजदूरों से तुलना की जाय तो उससे यहां के मजदूरों पर ४० प्रतिशत वर्क लोड बढ़ जायगा और ४० प्रतिशत वेजेज कम हो जायंगी। जब इससे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसकी क्या आवश्यकता है कि इस रेशनलाइजेशन स्कीम को लागू किया जाय। अभी १२, १३ तारीख को दिल्ली में एक कान्फ्रेंस हुई थी। उस कान्फ्रेंस में यह तय हुआ था कि जब तक यह बात निश्चित न हो जाय कि रेशनलाइजेशन की स्कीम से

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से लाभ होगा, प्रदेश या देश में तब तक रेशनलाइजेशन स्कीम को लागू न किया जाय। हमारे यहां की जो रेशनलाइजेशन रिपोर्ट है उसके अनुसार रेशनलाइजेशन योजना को लागू करने से हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह रेशनलाइजेशन की स्कीम को बालाये ताक रखें और इस प्रदेश के सूती मिल मजदूरों को राहत की सांस लेने दें। हमारे प्रदेश के सूती मिलों में लगभग ६ हजार मजदूर टेम्पोरेरी की हैसियत से काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को हर महीने की २६, २७ तारीख को निकाल दिया जाता है और महीने में वह इतने दिन ही काम करते हैं। उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। महीने के अन्त में उनको अलग कर दिया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मजदूरों के कई अंग हैं। कुछ तो उत्पादन में लगे हुए हैं, कुछ सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं। कुछ बाजारों में दुकानों पर काम करते हैं। कुछ खेतिहर मजदूर हैं, कुछ घरों पर काम करते हैं। मैंने अभी आपके सामने सूती मिलों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बतलायी। अब आप चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों की हालत देखें। यहां सरकार ने सन् १९४७ में एक निम्बकर कमेटी बिठायी थी। हमारे मन्त्री जी कुछ समय तक उसके चेयरमैन थे। उनकी सदारत में यह तय किया गया कि २५ प्रतिशत . . .

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद--श्रीमन्, यह मजदूरों का प्रश्न है। इसलिए मुझे कुछ और समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--आपको अन्त में जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की सेवा में इस अनुदान के समर्थन में चन्द शब्द रखना चाहता हूं। बड़े मौके से यह अनुदान लाया गया है। इस विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, फलस्वरूप मजदूरों के रहन-सहन में काफी तरक्की हुई है, इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को तथा विभाग के अन्य कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। यहां यह सवाल पैदा होता है कि तुम तो बधाई देते हो, लेकिन यह विरोधी वृन्द मुखालिफत क्यों करते हैं। इन योग्य और त्यागी माननीय सदस्यों की राय अच्छी नहीं है? कोई अच्छा कहता है और कोई खराब कहता है, यह बात क्या है। बावजूद इसके कि हमारी सरकार ने सब कुछ किया है, लेकिन यह मुखालिफत क्यों होती है। इसका एक ही जवाब है कि राजनीति है। मुखालिफत तो मामूली बात है, राजनीति में तो न जाने क्या-क्या होता है। बावजूद इसके कि सरकार ने बड़ी मदद की, बड़ी सहायता की, फिर भी असन्तोष बढ़ता ही जा रहा है और शिकायत भी बढ़ रही है। अब तक जो लोग तकलीफ में रहते थे, उनमें से अनेक अब पक्के मकानों में रह रहे हैं और वहां पर रहने वाले मजदूर सरकार की शिकायत करते हैं। सरकार की शिकायत ही हो, यह भी गनीमत की बात है, लेकिन वहां तो हड़ताल होती है, काम बन्द होता है, नारे लगाते हैं और यही नहीं, बल्कि सरकारी अफसरों को घेर लिया जाता है, जहां पहले थोड़े से आदमी थे, वहां अब बहुत ज्यादा आदमी हैं, लेकिन काम कम होता है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--गोलियां भी चलायीं।

श्री सीताराम शुक्ल--और गोलियां भी चलानी पड़ती हैं। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि कमजोरी कहां है? ऐसा क्यों है? कारण यह है कि सरकार का प्रचार विभाग कमजोर है। सोचते हैं कि कुयें बनवा देंगे, बीज अच्छा दे देंगे, पैदावार बढ़ जायगी। मकान बनवा देंगे, लोगों को रहने का आराम हो जायगा, इसलिए प्रचार पर खर्च करना आवश्यक

नहीं। लेकिन शिकायत फिर भी बढ़ती जाती है। आप हुक्म दीजिये तो हजार रुपया पाने वालों की मीटिंग करा के पास करा दूं कि हमारी तनख्वाह कम है, और बढ़नी चाहिए। यह तो सुझाने वाले के ऊपर होता है। पढ़े-लिखे सेक्रेटेरियट के बाबू लोगों ने भी मांग पेश की। सेण्ट्रल गवर्नमेंट के डाकखाने के कर्मचारी तो हड़ताल ही करने वाले थे, इत्तफाक से वह रुक गयी।

क्या वजह है, क्या वे पढ़े-लिखे नहीं हैं और क्या उनको हिसाब नहीं मालूम है ? वे भी जानते हैं कि सरकार दिक्कत में है लेकिन वे लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंसकर गलती कर जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक विद्वान् जज, जिसका काम है मुकदमा सुनना और फैसला करना वह भी गलती कर सकता है यदि एक ही तरफ के वकील की बहस सुन कर फैसला करे। गर्ज कि आपको चाहिये कि मजदूरों को बतलायें कि सरकार ने उनके लिये क्या-क्या किया है और आगे क्या-क्या करने जा रहे हैं ताकि वे किसी तरह की गलतफहमी में न पड़ें।

जनाबवाला, बात यह है कि सुख और दुख मानने से हुआ करता है। आप आराम से बैठे हों और किसी ने कह दिया कि आपको बड़ा दुख है और आपकी यह चीज खराब है, तथा वह चीज खराब है, तो आप परेशान हो जायेंगे और अगर आप तकलीफ में भी हों और यह बतला दिया जाय कि यह तो होता ही रहता है, सुख दुख आता जाता रहता है, "दुखम् धैर्येण मुंचति" धैर्य से दुख कटता है। तो उसे कम कष्ट होगा। श्रीमन्, आपने देखा कि शरणार्थी लोग अपना सब कुछ छोड़ कर नंगे पैर यहां आये। उनमें जिन लोगों ने अपना संतुलन खो दिया और घबड़ा गये उन्होंने तो खुदकुशी करके अपनी जान दे दी लेकिन जिन लोगों ने अपना संतुलन तथा धैर्य कायम रखा वे आज बड़े आदमी हो गये हैं और पुनः मोटरों पर चल रहे हैं। तो यह सुख दुख सब मानने से भी हुआ करते हैं। भर्तृहरि ने कहा है कि--

"वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषोविशेषः।
सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि परितुष्टे कोर्थवान् को दरिद्रः।"

भावार्थ कि आप वल्कल से सन्तुष्ट हैं और दूसरा दुशाले से सन्तुष्ट है तो दोनों की खुशी बराबर हुई। वह गरीब है, जिसकी लालच बड़ी है किन्तु जब मन सन्तुष्ट है तब कौन गरीब और कौन धनी है ? तात्पर्य करोड़पति होने के बावजूद यदि कोई और धनी बनना चाहता है तो वह गरीब है तथा १० रुपया माहवार पाने वाला भी यदि सन्तुष्ट है तो वह धनी है। इसलिये मैं आपको बतलाऊं कि गलतफहमी तभी दूर हो सकती है जबकि आप वर्कस की मीटिंग बुलावें और वहां पर अपने होशियार आदमियों को भेजें जो उस मीटिंग में जाकर बतलावें कि सरकार की क्या-क्या दिक्कतें हैं। उनके सामने वह रख दे कि सरकार का यह बजट है, अब किस मद का पैसा घटा कर आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय अथवा यह आप बतला दें कि किस पर टैक्स लगा दिया जाय जब कि टैक्स पहले से ही बढ़ा हुआ है तो फिर कैसे टैक्स बढ़ा दिया जाय ? सुस्त को चलाया जा सकता है लेकिन तेज को और तेज नहीं किया जा सकता। घर का जो मालिक होता है वह कोशिश करता है कि उसके बाल बच्चे आराम से रहें लेकिन घर का बच्चा कहता है कि पिता जी मेरे लिये मिठाई नहीं लाते। लड़की कहती है कि मेरे लिये यह नहीं लाते। उधर स्त्री कहती है कि जब से मेरा इनका साथ पड़ा है, मेरे तो भाग्य ही फूट गये। कहने का मतलब यह है कि उससे घर के सब लोग नाराजगी प्रकट करते हैं हालांकि वह अपने बाल-बच्चों को आराम देने की हर तरह कोशिश करता है। ठीक वही हालत सरकार की है। जितनी भी गड़बड़ी होती है वह सब न समझने की वजह से और गलतफहमी की बजह से ही होती है।

एक बात और हड़ताल के सम्बन्ध में कहनी है। हड़ताल की चर्चा बहुत चलती रहती है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि आपको जो कुछ देना हो उसके सम्बन्ध में पहले से ही निश्चित कर लीजिये। लेकिन हड़ताल होने के बाद आपने किसी की तनख्वाह

[श्री सीत राम शुक्ल]

बढ़ा दी तो इसका मतलब यह होगा कि आप हड़ताल करने के लिये दावत देते हैं कि जो हड़ताल करेगा उसकी तनख्वाह आप बढ़ा देंगे। मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी करना हो उस सम्बन्ध में आप पहले जो निश्चय कर लें उसके बाद हड़ताल करने की वजह से झुकिये मत ।

आचार्य दीपांकर (जिला मेरठ)—आदरणीय अधिष्ठाता जी, यदि इस अनुदान को उपयोगिता के लिहाज से देखा जाय तो इसकी मात्रा में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी इसके साथ-साथ हम यह भी नहीं चाहते कि जो वास्तविक समस्या है उसकी तरफ से सरकार की निगाह को और अपनी निगाह को ओझल करें। पिछले चन्द वर्षों में हमारी औद्योगिक प्रगति क्या रही है, उसके मुताल्लिक तो मैं यहां पर कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिये कि उसका प्रसंग यहां नहीं है लेकिन मजदूरों की क्या स्थिति हुई है, उसके बारे में सदन का ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगा ।

सब से पहली बात यह है कि पिछले चन्द वर्षों में हमारे सूबे के औद्योगिक मजदूरों की संख्या या तो जहां की तहां खड़ी हुई है या कहीं वृद्धि हुई है तो केवल नाममात्र की। कुछ नये सरकारी उद्योगों को मिलाकर भले ही वृद्धि की बात कही जा सकती हो लेकिन वास्तव में औद्योगिक मजदूरों की संख्या जहां की तहां है। अगर हम सन् ५३–५४, और ५४–५५ के आंकड़ों को देखें तो पहले वह १७५ हजार थी, फिर वह १७४ हुई और ५५ में १७६ हो गई। इसी तरह से यह प्रकट है कि जहां वह पहले ही गिरी हुई थी, बीच में वह और घटी।

इसी तरह से मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी लगातार गिरी है, जहां तक आमदनी का सवाल है। हां, सरकार की ओर से बीच में जो क्वार्टर्स वगैरा का प्रबंध उनके लिये किया गया है या और सुविधायें दी गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूं कि उससे मजदूरों को बहुत राहत मिली है और उसके लिये मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की सुविधाओं की वृद्धि लगातार होती रहेगी। लेकिन उनके आर्थिक स्तर का जो आधार है वह उनका मौलिक वेतन ही हो सकता है। अगर उसको देखा जाय तो पिछले तीन चार साल के सरकारी आंकड़ों से मालूम होता है कि वह ज्यों का त्यों ही चला आता है और घटा भी है। सन् ५३, ५४ और ५५ के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उनकी औसत आय जहां सन् ५३ में ९३९ रुपया थी, वह उसके बाद ९२९ हुई और फिर ८६४ ही रह गई। इस तरह से आप देखें कि उनकी बेसिक आय लगातार घटी है। इसके बाद के जो तथ्य हमारे सामने आयेंगे, उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा ।

दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो औद्योगिक दुर्घटनाओं में बराबर वृद्धि हुई है। किस तरह का मैनेजमेंट का रवैया मजदूरों के साथ है, यह दुर्घटनाओं से प्रकट है। उन से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, उनके ऊपर कम्पनियां बर्कलोड बढ़ाती जाती हैं। इस तरह से उनकी शारीरिक शक्ति भी गिरती जाती है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के अगर हम ५३, ५४ और ५५ के आंकड़ें देखें तो ५३ में उनकी संख्या ६६ सौ है, उसके बाद वह बढ़कर ६९ सौ हुई और सन् ५५ में ७२ सौ हो गई। इस तरह से औद्योगिक दुर्घटनाओं में बराबर वृद्धि हुई है। इसके अलावा इन दुर्घटनाओं का परिणाम यह होता है कि बहुत से लोग तो स्थायी तौर पर बिलकुल बेकार और मजबूर हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं और किसी काम के योग्य नहीं रहते वे जिन्दगी से हाथ धो बैठते हैं और निराश हो जाते हैं। ५३, ५४ और ५५ के आंकड़े बताते हैं कि उनकी संख्या जो जीवन भर के लिये अशक्त हो गये ५३ में १८९ थी, उसके बाद वह १९१ हो गई और उसके बाद दो तीन साल के लिये २५८ हो गई। इसके अलावा ये दुर्घटनायें कितनी गम्भीर हैं इसको भी देखा जाय तो मृत्यु संख्या भी इन दुर्घटनाओं में काफी बढ़ी है। मुआवजा भी बहुत कम दिया जाता है और लगातार घट रहा है। सन् ५३ में जहां १,८०६ रुपये मिलते थे तो एक साल के बाद वे १,७४१ हो गये और ५५ में केवल १,५४० रह गये। हमारे प्रदेश के पूंजीपतियों के रजिस्टर में एक श्रमिक का क्या मूल्य है, यह इसी से जाना जा सकता है।

यह हालत है जिसमें मजदूर काम करता है और इसी से हम उस आर्थिक और मानसिक परिस्थिति का ज्ञान कर सकते हैं जिसमें वह काम करता है। यह उनके विषय में एक नग्न चित्र है जिसका मैंने आंकड़े देखकर दिग्दर्शन कराया है।

जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी और सैद्धांतिक बात कही कि उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिये और यह कि मजदूरों के हित में अधिक से अधिक कल्याण-कारी कार्य होने चाहिये। तो उसके बारे में भी विचार करें तो देखना होगा कि सामाजिक न्याय के तौर पर यदि किसी समाज में उत्पादन की वृद्धि होती रहती है और उसके साथ-साथ श्रमिक की आमदनी नहीं बढ़ती, श्रमिक की शारीरिक संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो ऐसी हालत में उत्पादन वृद्धि घोरतम और क्रमतम आर्थिक शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। आज उत्पादन की वृद्धि हुई है लेकिन श्रमिकों की संख्या में ज्यों की त्यों है और अलावा इसके जो उनके आर्थिक साधन हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इससे यही नतीजा निकलता है कि यह उत्पादन वृद्धि क्रूरतम शोषण के अलावा और किसी चीज की निशानी नहीं बन सकती। आर्थिक विकास के सिद्धांत ये ही हैं कि सामाजिक न्याय के लिये उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की संख्या और साधनों में वृद्धि आवश्यक है।

इसी तरह से माननीय श्रम मंत्री जी ने ऐडजुडिकेशन की बात कही है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मेरी जहां तक जानकारी है वह यह कि ऐडजुडिकेशन के सुपुर्द जितने केसेज किये गये हैं उनकी तादाद बहुत कम है। शायद फीसदी हो या १० फीसदी। ज्यादा से ज्यादा जो आंकड़े माननीय श्रम मंत्री जी ने दिये हैं उनसे भी तादाद १८,१९ फीसदी से ज्यादा नहीं पहुंचती है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि जो केस ट्रिब्यूनल के सुपुर्द किये गये हैं उनको भी देखा जाय, तो यही पता चलेगा कि मजदूरों को सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं होता।

एक बात कुछ वैसी है, कहने में मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती लेकिन एक तथ्य है और वह मजदूर आंदोलन के लिये नुकसानदेह है, उसकी तरफ भी मैं सदन का ध्यान और माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। असल में उत्तर प्रदेश में तीन चार ट्रेड यूनियन संगठन हैं। उन तीनों चारों प्रकार के ट्रेड यूनियन संगठनों में अच्छे से अच्छे देशभक्त, अच्छे से अच्छे मजदूर कार्यकर्ता हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि आई० एन० टी० यू० सी० सरमायेदारों से मिलने वाली संस्था है और दूसरी संस्थायें ही मजदूरों की संस्थायें हैं। हर तरह के आदमी हर जगह हैं। मैं भी एक मजदूर यूनियन का पदाधिकारी हूं और वह आई० एन० टी० यू० सी० से एफिलिएटेड है, इसलिये यह शक नहीं होना चाहिये कि मैं उसके विरुद्ध हूं, लेकिन फिर भी आई० एन० टी० यू०सी० के लिये तमाम अधिकारियों को जिस तरह से दबाया जाता है और जिस तरह से तमाम फैसले किये जाते हैं यह बहुत आपत्तिजनक है। उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिये। जो श्रमिक पदाधिकारी या अफसरान नियुक्त किये जाते हैं फैसला करने के लिये, अमूमन वह पक्षपातहीन नहीं होते। मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं उनकी जगह बैठूं तो ऐसी स्थिति में जब कि दोनों तरफ सन्देह की स्थिति हो तो मेरे लिये या किसी भी व्यक्ति के लिये पक्षपात हीनता का वातावरण बनाना और पक्षपातहीन होकर काम करना कठिन होता है। इस समय ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था है लेकिन फिर भी जो सामाजिक ढांचा है, उसमें भी वह लोग इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, जिससे औद्योगिकों को, मिलमालिकों को लाभ पहुंचता है और श्रमिकों का नुकसान होता है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---मान्यवर, जो श्रम मंत्री जी ने श्रम विभाग का अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने मैं खड़ा हूं। साथ ही साथ मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट मैंने देखा और उसकी मदें मैंने देखीं तो इस विभाग को मैंने मिसलेनियस में पाया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि श्रम का इतना महत्व होते हुये भी उत्तर प्रदेशीय सरकार इसके महत्व से उदासीन है, ऐसा मेरा खयाल है। साथ ही साथ इस पर तो मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने कुछ लाख रुपये ज्यादा मागें हैं, पर अच्छा होता कि और ज्यादा मांगते और श्रम विभाग के जरिये जो काम हुये हैं उनमें जो कमी थी उनको और अच्छी तरह से पूरा किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। नमूने के लिये मैं कहूं कि शाप्स एंड कामर्शियल इस्टैबिलशमेंट ऐक्ट जो है उसके जो विवाद आते हैं वे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं। मालिक तरह-तरह के तरीके निकाल के उन कानूनों को लागू नहीं होने देते। जब हम श्रम विभाग से शिकायत करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि उन कानूनों को हम पूरी तरह से लागू कर सकें। अच्छा होता कि इसमें और अनुदान मांगा जाता और हम खुशी-खुशी उसे तसलीम करते तो श्रम करने वाले मजदूरों के लिये कुछ अधिक लाभ हो सकता।

इसके अलावा जब हम इस विभाग की मदों को देखते हैं तो पाते हैं कि काफी बड़ा हिस्सा ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च किया जाने वाला है। फिर भी हम समीक्षा करें और देखें कि जो व्यय इस पर होता है उससे मजदूरों को क्या लाभ हुआ और आज दस वर्षों के बाद मजदूरों की क्या स्थिति है और आज श्रम विभाग के जरिये से मजदूरों के लिये जो कानून बनाये गये जैसे श्रम कल्याण कानून और अदालतें वगैरह, उनसे मजदूरों को कितना लाभ हुआ तो यह समीक्षा करते हुये मुझे ऐसा लगता है कि सन् ४८ में जो मजदूरों के वेतन मुकर्रर हुये, वही वेतन आज भी उनके हैं, उनमें कोई तरक्की नहीं हुई, वार्षिक तरक्की का कोई प्रश्न ही नहीं। साथ ही साथ अगर हम दृष्टिपात करें तो सन् ४८ में मजदूरों को जो महंगाई मिलती थी, उससे आज महंगाई कम हो गई। उस वक्त ५२४ इन्डैक्स नम्बर थे और आज ५० हैं। जाहिर है कि मजदूरों की महंगाई में कमी हुई है।

इसके अलावा भी अगर हम देखें उद्योगों में आज उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख उद्योग हैं, टेक्सटाइल और शुगर। इन में मजदूरों की क्या स्थिति है? अगर हम शुगर को लें तो सन् ४८ में इस उद्योग में ८३ हजार मजदूर काम करते थे, लेकिन आज सन् ५६ में उसमें ७३ हजार मजदूर काम कर रहे हैं। इसके मानी यह हुये कि १० हजार मजदूर उससे छांट कर बाहर कर दिये गये हैं।

अगर टेक्सटाइल को देखें तो सन् ४८ में अकेले कानपुर में ६२ हजार मजदूर इस उद्योग में काम करते थे और ५६-५७ में ४५ हजार, यह सन् ५६ के फीगर्स हैं और ५७ में ३ हजार के करीब घट गये होंगे। आज ४२ हजार मजदूर काम करते होंगे। मुझे याद है एक प्रेस कान्फ्रेंस में जो आज मुख्य मंत्री हैं और उस समय वे श्रम मंत्री थे, इन्होंने इस बात को तसलीम किया था कि सूती उद्योग में कानपुर से १५ हजार मजदूर छांट दिये गये हैं।

इसके अलावा मैं यह भी देखूंगा कि सूती और शुगर इंडस्ट्री के मजदूरों ने इन १० वर्षों में क्या पाया? ४८ में मजदूरों को बोनस दिया गया, पर ५७ में बोनस की स्थिति क्या है यह सभी लोग जानते हैं और इसीलिये मिलमालिकों ने रेशनलाइजेशन की स्कीम जारी की।

श्री अधिष्ठाता---अब आप लंच के बाद अपना भाषण जारी रखियेगा।

श्री उमाशंकर शुक्ल---श्रीमन्, निवेदन यह है कि ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—लंच के बाद आप ५ मिनट और ले लीजियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर शुक्ल—मान्यवर, मैं श्रम के अनुदान पर अपनी बात कह रहा था और उसमें मैंने बताया था कि प्रान्त के जो दो उद्योग हैं, शुगर और टेक्सटाइल, इसमें १९४८ और १९५७ के बीच में क्या फर्क पड़ा। जो संख्या मजदूरों की सन् १९४८ में थी, उस से सन् १९५७ में घट गयी, जो उनका वेतन सन् १९४८ में था वह सन् १९५७ तक वहीं है पर कन्सालिटेड वेज, जो उन को है, वह घट गयी। इसके अलावा जो बोनस उनको मिलता था, वह नहीं मिला। पर इन मजदूरों ने १० वर्षों में उत्पादन बढ़ाया। यह सरकारी फिगर्स से भी स्पष्ट है और आल-इन्डिया बेसिस पर भी जो गवर्नमेंट के फिगर्स आ रहीं हैं उससे मालूम होता है कि पहली पंच-वर्षीय योजना में ३५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। इसके साथ ही साथ शूगर को खास तौर से कोट करना चाहता हूं कि शूगर में सन् १९४८ में क्या उत्पादन था और सन् १९५६-५७ में कितना हो गया। सन् १९४८ में शूगर का उत्पादन ५ लाख टन था और सन् १९५७ में ९.६९ लाख टन हो गया। पर मजदूरों की संख्या घटी, यह मजदूरों की इस प्रदेश की हालत है। इसमें एक मनोरंजक बात यह है कि जो डीयरनेस अलाउंस उत्तर प्रदेश में मजदूरों को मिलता है, उसका बेसिस निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट का आधार लेकर के ६३ परसेंट न्युट्रलाइजेशन करके वेतन दिया जाता है। पर इस सवाल को लेकर मद्रास के मजदूरों ने लेबर अपीलेट ट्राइब्युनल में एक मुकदमा दायर किया था और लेबर अपेलेट ट्राइब्युनल ने वहां यह फैसला दिया कि मजदूरों को ८० प्रतिशत कम से कम न्युट्रलाइजेशन मिलना चाहिए, इसलिए माननीय जजेज ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई वजह नहीं है कि मजदूरों पर इतना बर्डेन डाला जाय और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ८० प्रतिशत न्युट्रलाइजेशन हो। बम्बई और अहमदाबाद में सेंट पर सेंट डीयरनेस अलाउंस मिलता है। पर उत्तर प्रदेश में केवल ६३ पर सेंट है। हमारी मजदूरों की संस्था ने महंगाई का एक मुकदमा सन् १९५५ में दायर किया और हम ने यह फैसला किया कि हम अदालत से लड़कर के ले लेंगे, क्योंकि हमारा खयाल था कि जो मद्रास का फैसला है वही उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस मामले को पता नहीं सरकार ने क्यों इनएक्सपीडियेंट कह के, दाखिल दफ्तर कर दिया। इसका कोई जस्टिफिकेशन हमारे सामने नहीं है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया मजदूरों के मामले में।

इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश में उद्योग हैं, उनमें सरकार ने मिनिमम वैजेज ऐक्ट लागू करने की बात कही है, पर चन्द उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों में वह ऐक्ट लागू नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मजदूर हैं जिनका पूरा वेतन, कन्सालिडेटेड वेज ५० रुपया है और हालत यह है कि सरकार ने मकान बनवाये कि सरकार ने मकान और मजदूरों को अच्छे मकानों में रखने की व्यवस्था की है। लेकिन जो मजदूर ५० रुपये महीने वेतन पाता है, उस से सरकार जो किराया लेती है, वह दस बारह रुपया महीना है, यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

श्रीमन्, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं दो एक बातें कह देना चाहता हूं। सरकार ने बहुत से अच्छे कानून बनाये हैं जैसे स्टेट इंश्योरेंस। इससे मजदूरों का फायदा हुआ है, हालांकि आलोचना की जाती है कि दवाओं में पानी मिला रहता है तो भी मजदूर साल भर में १२ दिन का वेतन देता है और २७ दिन का वेतन प्राप्त करता है। इसी तरह से प्राविडेंट फण्ड लागू हुआ है और इन के अलावा बहुत सी अच्छी बातें सरकार ने की हैं जो मजदूरों के हित में हैं और बहुत सी बातें करना बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उदारता से काम ले। मैं चाहता हूं कि सरकार मजदूरों की सिक्योरिटी आफ सर्विस का प्रयत्न करे।

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

दूसरी बात उद्योगों में मजदूरों का साझा हो जिस को सरकार ने सिद्धान्त रूप से मान लिया है। इसके अलावा मकानों का भाड़ा कम हो, सालाना तरक्की की व्यवस्था हो, उन को बोनस दिलाने का प्रयत्न करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवती सिंह जी विशारद के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जैसा कि इस सरकार के आंकड़ों द्वारा मालूम होता है कि १९४४-४५ में श्रम विभाग के ऊपर ३ लाख २५ हजार के करीब खर्चा होता था जो आजकल १ करोड़ १६ लाख ५९ हजार ६०० रुपये की मांग माननीय श्रम मन्त्री जी ने की है। बजट का खर्चा बहुत बढ़ गया है। मगर मजदूरों की संख्या को देखा जाय, तो कारखाने तो जरूर बढ़े हैं, उस के अनुपात से मजदूरों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। यदि कहीं हुई है तो उनकी आर्थिक हालत बहुत जर्जर हो चुकी है और खास कर इस प्रदेश के मजदूरों की और दूसरे प्रदेशों के मजदूरों की जहां उद्योग काफी संख्या में हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं, वहां नहीं हुई है।

श्रीमन्, सब से बड़ा आधारभूत सिद्धान्त मजदूरों का दुनिया के इतिहास में अपना हक होता है। मजदूर समाज में जितने उत्पादन के साधन होते हैं उनमें अपना अधिकार मानता है, क्योंकि उत्पादन बिना मजदूरों के नहीं हो सकता है। मैं इस के दार्शनिक सिद्धान्त की चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना अर्ज कर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि दुनिया में उत्पादन बिना मजदूरों के नहीं हो सकता है। जो मजदूर इतना उत्पादन करते हैं, कपड़े बुनते हैं, चीनी बनाते हैं, लोहा पैदा करते हैं, जूट का सामान बनाते हैं, उन की इतनी दुर्गति है कि वह अपनी गाढ़ी कमाई में हिस्सा नहीं पाते हैं। हमारे यहां खासकर दो तीन उद्योग हैं, चीनी, कपड़ा और जूट। इनमें काफी मजदूर काम करते हैं। श्रीमन्, मैं सब से पहले माननीय सदस्यों का ध्यान आप के द्वारा चीनी मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सन् १९४६-४७ में प्रदेश की सरकार में एक जांच कमेटी निम्बकर कमेटी के नाम से स्थापित किया। स्वर्गीय माननीय निम्बकर साहब एक बहुत बड़े मजदूर नेता थे। मजदूरों के सम्बन्ध में उन की बहुत बड़ी जानकरी थी। उन्होंने बहुत मेहनत के बाद एक रिपोर्ट प्रदेशीय सरकार को दी थी। आज वे इस संसार में नहीं हैं। मुझे सरकार से यह गिला करना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उस की बहुत सी बातें लागू नहीं की गयीं। सरकार ने जहां देखा कि उस रिपोर्ट के कुछ अंशों को लागू कर देने से मजदूरों का विरोध कम हो जायगा, वहां उन को लागू कर दिया। मैंने स्वयं निम्बकर साहब से बात की थी। अभी कमेटी की रिपोर्ट आउट नहीं हुई थी। उन्होंने बड़े दर्द से कहा था कि मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, पता नहीं सरकार हमारे सुझावों को मानेगी या नहीं। चीनी मिल मजदूरों के बारे में निम्बकर कमेटी ने यह रिपोर्ट दी थी कि २५ परसेंट उन को रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाय। लेकिन आज तक रिटेनिंग का मसला खटाई में पड़ा हुआ है। त्रिदलीय कान्फ्रेंसेज में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जब चीनी मिल मजदूर रिटेनिंग की बात करते हैं तो उन को भुलावा देने के लिए अभी हाल में एक आदेश संख्या १८२, दिनांक १५ दिसम्बर, १९५६ के अन्तर्गत जो समिति बनी हुई है उसके अन्दर उन का मामला अभी भी खटाई में पड़ा हुआ है और वे मजदूर जो सीजनल फैक्टरी में काम करने के नाते घर पर बैठने के लिए मजबूर होते हैं उनको यह रिटेनिंग एलाउंस नहीं मिल रहा है। उस समय यकबयक उन की कन्सालिडेटेड पे ५५ रुपये कर दी गयी। आज तक उन के वेतन के सम्बन्ध में कोई ग्रेड्स नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है जहां छोटे से कुली से लेकर के मजदूर मुखिया मुकद्दम तक के लिए ग्रेड न बना हो? वह बेचारा चीनी मिल का अभागा मजदूर है, जिसका कोई वेतन-क्रम नहीं है। अभी माननीय श्रम मन्त्री जी ने हमें बताया कि इस सम्बन्ध में ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में शुगर वर्कर्स के लिए एक वैज बोर्ड बनाने की बात तय की गयी है। वह वैज बोर्ड सम्भवतः कारखानों की हालत की जांच करेगा

कि वे कितना वेतन दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री जी उसके काम में जरा जल्दी करायें, और पिछले दस साल में चीनी मिल मजदूरों ने जो तकलीफें उठायी हैं उनका भी ध्यान रखें।

अब मैं एक दूसरी बात की ओर माननीय सदस्य का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मजदूर आन्दोलन १५ अगस्त, १९४७ के बाद हिन्दुस्तान में बहुत तेजी से आया और अगर हमारे माननीय सदस्यों को खयाल होगा तो सन् १९४७-४८ में सारे हिन्दुस्तान में मजदूरों ने अपने मामले को लेकर लड़ाई लड़ी। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने हड़तालें कीं। तब ऐसे कानून हमारे ऊपर लादे गये कि जो मजदूरों का बुनियादी हक है "राइट टु स्ट्राइक" वह नहीं मिला। आज जिस तरह से चीनी के कारखानों में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सरकार द्वारा एक विशेष संस्था द्वारा कुचलने की चेष्टा की गयी है उस से मजदूर आन्दोलन मर सा गया है। मेरा मतलब आई० एन० टी० यू० सी० से है। जब वह संस्था दिल्ली में बनी उस समय जो लच्छेदार भाषण दिये गये थे, उनको मैंने पढ़ा था। यह उसी आई० एन० टी० यू० सी० का किया है। बम्बई में अगर किसी कारखाने के अन्दर ज्यादा प्रतिशत मजदूर किसी दूसरी यूनियन के होते हैं तो उनको मैनेजमेंट की ओर से रेकाग्निशन मिलता है। मगर चीनी मिलों में सन् १९४८-४९ में जो मजदूर काम करते रहे, उन के फेडरेशन, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के थे, नहीं माने गये। लेकिन उनमें एक-एक जगह आई० एन० टी० यू० सी० के पांच-पांच और सात-सात आदमी थे, उनकी यूनियन का रिकग्नाइज किया गया और आज तक उनका यूनियमन रिकग्नाइज्ड माना जाता है। मैं तो यहां तक कहने की धृष्टता करने के लिए तैयार हूं कि आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन को रिहैबिलिटेट करने के लिए श्रम विभाग की ओर से ग्रान्ट मिलती है। बजट में कुछ व्यवस्था है कि यूनियनों को उन के स्वस्थ विकास के लिए सहायता दी जायगी। मगर वह सब खाना आई० एन० टी० यू० सी० को ही मिलता है और उस के मुकाबले में वह सब जो दूसरी यूनियनें काम करती हैं, वह केस लाते हैं तो उन को ऐडजुडिकेशन के लिए भी नहीं भेजा जाता है और आई० एन० टी० यू० सी० जब कोई केस बनाती है तो उन पर ऐडजुडिकेशन ग्रान्ट हो जाता है। सम्भवतः हमारे श्रम मन्त्री आंकड़े देंगे कि कितने विरोधी पार्टियों के ऐसे केसेज हैं, कितने परसेंटेज उन के केसेज को ऐडजुडिकेशन की अनुमति मिली। इस सिलसिले में मैं तीन-चार साल पहले का एक किस्सा बताऊं। हरदोई चीनी मिल के मजदूरों पर लाठी चार्ज हुआ। सन् १९४९ में सरदार नगर के ४-५ सौ मजदूर मिल से निकाल दिये गये। सरकार ने फरमाया कि उनकी हड़ताल गैरकानूनी थी। इस गैर कानूनी होने के कारण उन की मांगों पर भी कोई खयाल नहीं किया गया और उन को बिलकुल क्रश कर दिया गया। देवरिया जिले में एक और मिल है छितौनी वहां पर दूसरी यूनियनें खड़ी हैं। वहां आई० एन० टी० यू० सी० के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किया मगर उन्होंने सत्याग्रह किया और उसके सिलसिले में सरकार ने मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को भी पलाउट किया। उन को रिहैबिलिटेट किया गया और मदद दी गयी। कानून बुरे हों या अच्छे इसकी शिकायत हमें ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी शिकायत यह है कि जो हमारी यूनियनें काम करने वाली हैं, उन को दूसरा समझा जाता है और आई० एन० टी० यू० सी० के लाड़लों को दूसरा समझा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---एक ही विषय को बारबार दोहारने से कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री उग्रसेन---दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितने मजदूर हमारी सरकारी फैक्टरियों में काम करते हैं उन की संख्या को देखते हुए उन के लिए अस्पतालों में डाक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। उन के अतिरिक्त राजकीय विभागों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, इसी सचिवालय की बात करता हूं कि साढ़े ६ हजार में से ढाई हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो १०

[श्री उग्रसेन]

वर्ष से लगातार अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और अब उन को आदेश हुआ है कि उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर जाना पड़ेगा और वहां न हो सका तो मुझे शक है कि उन्हें निकाल न दिया जाय।

हमें मालूम नहीं है कि ट्रांस्पोर्ट विभाग में जो ९ हजार मजदूर काम करते हैं उनके लिए कितने श्रम कानून, पेमेंट आफ वैजेज ऐक्ट, मिनिमम वैजेज ऐक्ट या फैक्टरीज ऐक्ट या दूसरे और कानून जो प्राइवेट फैक्टरीज के लिए लागू हैं, लागू हैं या नहीं। उन को लागू होना चाहिए।

अब मैं लेबर वेलफेयर सेन्टर्स की बात कहता हूं। लाखों रुपया सरकार वेलफेयर सेन्टर्स पर खर्च करने जा रही है। मगर रूस का उदाहरण आप के सामने है, चीन का उदाहरण आप के सामने है, जितना वहां पर मजदूरों के स्वास्थ्य लाभ करने के लिए रिट्रीट होम्स बने हुए हैं और जितना कम खर्च उन से उस के लिए लिया जाता है, उसी तरह से सरकार कानपुर में ही नहीं बल्कि जिन जगहों पर कारखाने हैं, वहां-वहां यह लागू करना चाहिए।

श्रीमन्, एक बात मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। उन की संख्या, जो फार्मों पर काम करते हैं, कुछ हजार हैं। उन पर मिनिमम वैजेज ऐक्ट लागू हैं। मगर जब जिले के इन्स्पेक्टर उन फार्मों को जांच करने जाते हैं तो फार्म का मालिक दूसरा रजिस्टर दिखला देता है और इस से मिनिमम वैजेज ऐक्ट का लाभ उन को नहीं मिल पाता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। हमारी सोशलिस्ट पार्टी की यह मांग है कि वेतन का अनुपात १ और १० का होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रदेश का मजदूर कम से कम १०० रुपये मासिक पाये और लेबर कमिश्नर की तनख्वाह १,००० रुपये मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सकरार के लिए भी सुविधा की बात होगी कि वह १,००० से अधिक के वेतन की कटौती करने के बाद श्रम विभाग तथा दूसरे विभागों के मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दे पायेंगे और उनके वेतनों का अनुपात १ और १० का हो जायगा।

लेबर हाउसिंग स्कीम के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि १७,३४७ मकान बनाये गये हैं, लेकिन मुझे शिकायत है कि कानपुर में उनका एलाटमेंट ठीक से नहीं होता। इस में बड़ी दिक्कतें हैं और उस के बाद जो यह २,०९,६७४ मजदूर हैं, उन के लिए यह १७,३४७ मकान बहुत नाकाफी हैं। आज उन को १० रुपया उन का किराया देना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन के लिए जो मकान बनाये जायं, वे उन को कुछ कम किराये में सुलभ होने चाहिये।

श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय भगवती सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज भवन के सामने जो तकरीरें हुईं उन में अधिकतर शहरों के मजदूरों के बारे में ही बातें कही गयी हैं। सरकार ने उन की सुविधा के लिए अब तक बहुत से कार्य किये हैं, उन की महंगाई बढ़ायी है, उन की मजदूरी के सम्बन्ध में विचार हुआ, उन के रहने के लिए शहरों में मकान बनाये गये और समय-समय पर उन की सुविधा के लिए विचार होता रहा है। किन्तु गांव का खेतिहर मजदूर, जो कि बिखरा हुआ है और शहर में रहने वाले मजदूरों से, जिन की संख्या काफी अधिक है उन पर अब तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन की दशा, शहर के मजदूर से कहीं अधिक दयनीय है। उन की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उन के पास रहने के लिए न स्वास्थ्यप्रद मकान हैं, न उन की मजदूरी के लिए कोई दर नियत हैं और न काम का समय ही नियत है। उन के सामने तमाम परेशानियां हैं। आप देखेंगे कि जब जमींदारी समाप्त हुई तो उस के पहले खेतिहर मजदूरों को बटाई पर खेत मिल जाया करते थे, किन्तु अब वह भी नहीं मिलते। जो किसान पहले उन को खेत दे दिया करते थे, वह अब इसलिए नहीं देते कि कहीं यह दो साल जोतने के बाद उस पर अपना कब्जा न जमा ले। कहीं लड़ाई-झगड़ा

न पैदा हो जाय। इसलिए उन को खेत भी नहीं मिलते हैं। गांव में मजदूरी उन को साल में केवल ५–६ महीने ही मिल पाती है। बाकी दिनों में उन्हें कोई काम नहीं रहता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उन के मकानों के लिए कोई योजना बनायी जाय ताकि उन को स्वास्थ्यप्रद् मकान मिल सकें, उन की दवा का इन्तजाम हो, उन के बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार वहां कुछ ऐसे उद्योग चलाये जिन से कि उन को साल के खाली दिनों में, जब खेत में काम नहीं होता, मजदूरी मिल सके।

एक तबका गांव में और है जो बुनाई का काम करता है, उन को कोरी कहा जाता है। आज वह भी मजदूर हो गये हैं। मिलों का कपड़ा बाजार में सस्ता बिकता है और उसका मुकाबला वे नहीं कर पाते, इस कारण उन की दशा बहुत ही गिर गयी है। सरकार उन की तरफ भी ध्यान दे। उन के लिए कोई ऐसी योजना होनी चाहिए, उन के लिए कपड़े का डिजाइन ऐसा नियत होना चाहिए जिस से उन के बनाये हुए माल भी बाजार के अन्दर खप सकें।

इस के अलावा एक बात मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कानपुर मजदूरों का बहुत बड़ा केन्द्र है। वहां पर मजदूरों के लिए जो बस्ती बेना झाबर के पास बनायी गयी है, वहां पर एक गन्दा नाला है। वहां पर जानवरों के काटने का एक बूचड़खाना हैं जो अभी तक हटाया नहीं गया है। डेवेलपमेंट बोर्ड ने इसको हटाने के लिए योजना बनायी थी लेकिन वह अब तक नहीं हटा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां पर बस्ती बनायी जायं और जहां पर मनुष्य रहें वहां पर उन के स्वास्थ्य का लिहाज रखते हुए इस तरह की चीजें शीघ्र से शीघ्र हटाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस के साथ ही मैं यह भी आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मजदूरों के अलावा और भी मजदूर हैं। रेस्टरां के मजदूर हैं, दुकानों के मजदूर हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, वह लागू होनी चाहिए। इस के अलावा सरकारी दफ्तरों में जो चपरासी होते हैं उन की तनख्वाह भी बहुत कम होती है। कानपुर में जिस तरह से मजदूरों के लिए मकान बनाये गये हैं सरकारी चपरासियों के लिए वहां पर कोई मकान नहीं हैं। उनको मकान नहीं मिलते हैं। मैंने लेबर आफिसर को लिखा, लेकिन उन्हें उस पर कुछ करने का अधिकार नहीं है। इस में कोई व्यवस्था उन के लिए नहीं है। लेबर आफिस कहता है कि चपरासी मजदूरों की केटेगरी में नहीं आते हैं। उनकी तनख्वाह को देखत हुए उनको भी उसी केटेगरी में आना चाहिए और वही सुविधा उन को भी मिलनी चाहिए जो मजदूरों को मिलती हैं।

इस के अलावा एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई व वेतन के लिए, बहुत काफी समय हुआ, जांच की गयी थी। उसके अनुसार उन की महंगाई, भत्ता और वेतन नियत किया गया था। उस समय से अब मंहगाई काफी बढ़ गयी है और बहुत सी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक जांच कमेटी बिठाये जो फिर से बाजार भाव की जांच करे और जांच करने के बाद महंगाई और तनख्वाहों के सम्बन्ध में फिर से दरें नियत की जानी चाहिए। साथ ही साथ राज्य बीमा योजना जो चलायी गयी है उसमें दवाइयों के सम्बन्ध में जो कठिनाई है उसकी जांच की जानी चाहिये। इस प्रकार की बहुत सी शिकायत हुई हैं कि उनको ठीक प्रकार से दवाई नहीं मिलती है। जो लोग बीमार होते हैं और छुट्टी के लिये दरख्वास्त देते हैं उनको सही ढंग से छुट्टी न मिलकर ऐसे लोगों को छुट्टी मिल जाती है कि जो बीमार नहीं हैं। लेकिन जो वास्तव में बीमार हैं और जिनको छुट्टी मिलनी चाहिये

[श्री मुरलीधर कुरील]

उनको नहीं मिलती है । तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिये । जो छुट्टी के अधिकारी हैं और जिनकी तबियत खराब है और जिनको छुट्टी की जरूरत है उनको छुट्टी मिलनी चाहिये ।

साथ ही साथ यह जो श्रम कल्याण निधि विधेयक पास हुआ था, वह गांवों के एरिया में भी जहां पर फार्म हैं या छोटे-मोटे कारखाने जो गांवों में चलते हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं, उन पर भी लागू होना चाहिये। वहां पर, इस तरह से जो धनराशि मिले, उससे बच्चों के खेलने-कूदने के लिये, उनकी दवा के लिये और अन्य सुविधाओं के लिये जो शहरों में मिलती हैं, वहां गांवों में भी मिलनी चाहिये । इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह ऐक्ट गांवों के मजदूरों पर जो खेती या फार्म में काम करते हैं, या फैक्टरीज में काम करते हैं उन पर भी लागू होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान देगी ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पिछले १० वर्ष में मजदूरों के सम्बन्ध में जिस नीति का पालन किया है और जिस प्रकार से समय-समय पर कानूनों में संशोधन किये गये हैं, यदि हम उनका सिंहावलोकन करें, तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार की नीति मजदूर विरोधी नीति है । पिछले १० वर्षों से मजदूरों की बराबर यह मांग रही है कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से उसकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिये । सरकार बराबर इस मांग को जानबूझ कर ठुकराती रही है । यों, तो श्रम मंत्री जी कह सकते हैं कि वेतन में वृद्धि हुई है मगर महंगाई और उत्पादन के अनुपात से नहीं हुई है । यह सरकारी नीति मजदूर-विरोधी है ।

मजदूरों की सबसे बड़ी मांग यह रही है कि बड़े उद्योगों में वेज बोर्ड बनाये जावें । वह मजदूरी की सिफारिश सरकार को करे और उसके अनुसार सरकार मजदूरी तय करे । सरकार ने इस मांग को भी बराबर ठुकराया है ऐसे भी मजदूर हैं जिन पर इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट लागू नहीं होता है जैसे कानपुर के केसा के मजदूर । उनकी मजदूरी बढ़ाने के बारे में सरकार कहता है कि उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं होता है । इस बारे में सरकार मौन है कुछ दिन पहले यहां के स्थानीय प्रेस कर्मचारियों ने मांग की थी कि उनका वेतन कम है और इस प्रश्न की जांच के लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करे। सरकार ने पहले तो उस मामले को एडजुडिकेशन के सुपुर्द कर दिया लेकिन बाद में प्रेस कमीशन को देखने के लिये यह प्रश्न दिया गया और इस बहाने से वह मामला एडजुडिकेशन से वापस ले लिया गया । बड़े कहने-सुनने के बाद वर्किंग जर्नलिस्ट्स की बात तो प्रेस कमीशन के सामने आई परन्तु ८० प्रतिशत मजदूरों के मामले की जांच का अधिकार उसे नहीं था और वह ज्यों का त्यों पड़ा रह गया । कमेटी के बाद जो रिपोर्ट हमको दी गई है उसमें इसकी चर्चा है । सरकार ने उसकी सिफारिशों को पूरी तौर से लागू नहीं किया है । मैं श्रममंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी सिफारिशों को लागू किया जाय ।

पिछले १० वर्षों में श्रम कानून में जो संशोधन होते रहे हैं और जो अंतिम हुआ है यूनियनों के सम्बन्ध में और मजदूरों के हड़ताल करने के हक के सम्बन्ध में, उन सबके देखने से मालूम होता है कि मजदूरों के हक पर सरकार ने जान-बूझकर हमला किया है । ऐसा मालूम होता है कि प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार की एक ही नीति है और केन्द्रीय सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने तो एक कदम आगे बढ़कर हड़तालों पर रोक लगाने का प्रयास किया था। फीरोजाबाद में पिछले साल हड़ताल हुई जिसमें मजदूरों की मांग थी कि ८ घंटे से अधिक काम नहीं लेना चाहिये और इस वर्ष भी उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी। सरकार के सामने भी यह समस्या आई लेकिन उसने इस बात की जांच नहीं की कि वहां मजदूरों के साथ क्यों ज्यादती की जाती है ?

सबसे बड़ा हमला सरकार ने मजदूरों पर रेशनलाइजेशन के द्वारा किया है। प्रदेश के कोने कोने से मजदूरों ने मांग उठाई और ऐतिहासिक हड़तालें हुईं जिनमें सरकार को गोली—लाठी का भी सहारा लेना पड़ा था। पब्लिक ओपीनियन को ठुकराकर सरकार ने इस नीति को लागू किया है। यह नीति अवैज्ञानिक है और कम से कम आने वाले २ वर्षों के लिये इसे स्थगित करके इस पर फिर से विचार होना चाहिये। सरकार ने कहा कि कि वह त्रिदलीय सम्मेलन इसलिये कराती है कि सरकार के, मजदूरों के और मालिकों के बीच में सम्बन्ध अच्छे हों। लेकिन इस सम्मेलन का स्कोप अधिक विस्तृत होना चाहिये। इस समय उसमें ऐसी यूनियनों के प्रतिनिधि बुलाये जाते हैं जो आंख मूंद कर सरकार की नीति का समर्थन करते हैं और सरकारी पिट्ठू होते हैं। पिछली बार जब रानीखेत में यह त्रिदलीय सम्मेलन हुआ तो कानपुर क प्रसिद्ध नेता श्री यूसुफ ने लिखा था कि टी० आई० यु० सी० का भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिये लेकिन सरकार ने कहा कि केन्द्रीय यूनियनों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रतिनिधि बुलाये गये उनसे यह सिद्ध होता है कि सरकार ने केन्द्रीय लोगों को भी बुलाया था। यूनाइटेड चीनी मजदूर फेडरेशन जो माननीय शिब्बन लाल जी की देखरेख में है,उसे इसमें भाग लेने का कोई अवसर नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने एक परामर्श दात्री समिति बनाई है जो समय-समय पर मिलकर सरकार को सुझाव पेश करती है ताकि सरकार को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहूलियत हो। यह समिति कितनी दक्षता के साथ काम करती है उसका एक ही प्रमाण मैं दिया चाहूंगा कि सन् १९५६ में उसकी महज एक बार बैठक हो सकी जबकि मजदूरों की इतनी समस्यायें सरकार के सामने थीं। त्रिदलीय सम्मेलन तो १९५६ में एक बार भी नहीं बुलाया गया। ऐसी सूरत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन मजदूरों के श्रम से उत्पादन बढ़ रहा है और इस आदरणीय सदन में मंत्रिगण इस बात की घोषणा करते हैं कि कपड़े, लोहे और सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह उत्पादन मजदूर की गाढ़ी कमाई से बढ़ रहा है और मजदूर क्षमता से कार्य कर रहा है। मजदूर का वेतन भी उसी अनुपात से बढ़ना चाहिये।

सरकार ने १९४७ में एक कमेटी का निर्माण किया था, जिसने सिफारिश की थी कि म्युनिसिपल बोर्डों के भंगियों की बेसिक पे में महंगाई का १/४ मिला दिया जाय। लेकिन आज तक बहुत से म्युनिसिपल बोर्डों में इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि उनको इनफीरियर एम्प्लाईज में नहीं माना गया है। जो फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं जैसे सहारनपुर है वहां पर इनफीरियर स्टाफ को सेकेंड ग्रेड की तनख्वाह दी जाती है। इन सारी बातों को देखते हुए मजदूरों की कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये और उन्हें इस बात का मौका न दिया जाना चाहिये कि वह सरकारी काम में दिल न लगायें, हड़ताल करें या काम को धीमा करें या और कोई कदम उठायें।

*डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मंत्री जी ने पश किया है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक तयशुदा मसला है कि मजदूर हमारी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये और मुल्क की दौलत को बढ़ाने के लिये बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता है। मैं थोड़े में ही आपके सामने यह रख देना चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक मंत्री जी ने क्या किया है। जहां तक इंश्योरेंस स्कीम का ताल्लुक है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० जयगोपाल]

इससे मजदूरों को बहुत बड़ी तादाद में फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा एक नया आर्डर भी हुआ है कि टी० बी० के मरीजों को ३० हफ्ते तक आधी तनख्वाह मिलेगी। जिन लोगों के आजा टूट जाते हैं वह मुहैया किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी साधन मुहैया किये जायेंगे कि औरतें काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को वहां ठहरा सकें।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा वाकया भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि पिछले दिनों कानपुर की एक इंडस्ट्री ने यह इरादा किया कि वह बंद कर दी जाय। उस पर सरकार से कोशिश हुई और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से एक आर्डिनेन्स जारी हुआ जिसके जरिये से उस कमी को पूरा किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हो गयी थी कि क्लोजर बिला नोटिस दिये किया जा सकता है। यह कोई छोटा काम नहीं था। इससे हजारों मजदूर बेकार होने से बच गये। यह बात अवश्य है कि कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट और लेबर डिपार्टमेन्ट माननीय मंत्री जी के साथ कोआपरेट नहीं करता है। यदि वे कोआपरेट करते तो आज जो दिक्कतें आती हैं वे न आतीं और मजदूरों को जो फायदा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--यह शिकायत माननीय मंत्री जी को भी है या आपको ही है।

डाक्टर जयगोपाल--मुझे है। मैं मंत्री जी की बात नहीं जानता कि उनको भी है या नहीं है।

जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, मैं आपके सामने एक चीज अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज कल एक ऐसी आदत हो गयी है कि कोई भी मामला हो वह फोरन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भागने की बात करता है। अगर सरकार कोई बात लागू करती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट लागू नहीं होना चाहिये। अगर किसी तरह से यह गलती हो जाय कि उसका नाम लिख दिया जाय वह आगे अपील में नहीं जा सकता है क्योंकि इन्डिविजुअल आगे नहीं जा सकता। आप अगर पिछले रिकार्ड को देखें तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल ७८ के करीब केस हाईकोर्ट में गये और सन् ५६ में १०७ केस हाईकोर्ट में गये।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेन्ट और लेबर डिपार्टमेन्ट को एक कर दिया जाय ताकि दोनों की एक पालिसी हो सके और मैनेजमेंट के ऊपर कुछ दबाव भी पड़ सके। उसका एक नतीजा यह भी होगा कि मजदूरों के साथ जो ज्यादती वे लोग करते हैं वह भी नहीं कर पायेंगे।

इसके अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये छोटी-छोटी दस्तकारियों का खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। उसके लिये यह मालूम किया जाय कि उनके लिये किन-किन बातों की आवश्यकता है, जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके। और इस तरह से अगर आप आसाम गवर्नमेन्ट के सेट-अप को देखें तो वहां लेबर और इंडस्ट्री एक ही मिनिस्टर को दिया गया है और इस की वजह से इन कामों में बहुत मदद मिली है।

इसके अलावा मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सूबे में शुगर की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि साउथ में जितनी शुगर मिलें हैं वे तो ९ महीने के करीब चलती हैं, वेस्ट में जो शुगर मिलें हैं वे ६-७ महीने के करीब चलती हैं और पूर्वी जिलों में जितनी शुगर मिलें हैं वे तीन-चार महीने ही चलती हैं। तो अगर इसके मुताल्लिक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो यह दिक्कत हो सकती है कि पूर्व की शुगर मिलें पश्चिम और साउथ की शुगर मिलों के कम्पटीशन में न ठहर सकें। अगर वे उस कम्पटीशन में फेल हुईं तो जहां पहले ही से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हालत बहुत खराब बतलायी जाती है, वहां की रूरल इकनामी बिलकुल अपसेट हो जायगी और

इसलिये उसके अन्दर लेबर डिपार्टमेन्ट का या इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट का, किसी न किसी का दखल दिया जाना निहायत जरूरी है ।

इसके बाद हमारे सामने जो दूसरा मसला आता है वह लेजिस्लेशन का है। डिपार्टमेन्ट की कमजोरी की बात मैं कहता हूं वह इस तरह से है कि मैंने इस रिपोर्ट के अन्दर यह देखना चाहा था कि सूबे में इंडस्ट्रियल लेबर कितना बढ़ा है, तो उसकी फिगर यहां नहीं है। सन् तक ४४ से ५६ घटता ही गया है। उसके बाद जब एक दूसरी जगह देखा जाता है कि यहां पर यूनियनों के अन्दर कितनी मेम्बरशिप है तो उससे मालूम पड़ता है कि सन् ५६ में इंडस्ट्रियल लेबरर्स बढ़े हैं। तो यह क्या है, यूनियनों की जो मेम्बरशिप है उसको लेबर के अन्दर नहीं दिखलाया गया है। मान लीजिये कि आप उनको लेबर में नहीं गिनाना चाहते तो उसका एक नोट होना चाहिये था, उसको कहीं लिखा होना चाहिये था जिससे मालूम होता कि इतने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट्स से गवर्न होते है और कितने लेबरर्स सूबे के अन्दर मौजूद हैं। कितने बेढंगे तरीके से इतने बेतुकेपन से रिपोर्ट के अन्दर फिगर देना और फुलझड़ियां लगा कर, निशान लगा कर यह दिखलाना कि इतना घट गया या इतना बढ़ गया, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके आप क्यों लोगों को चक्कर में डालना चाहते हैं।

अब मैं, आपके सामने रेशनलाइजेशन की जो कुछ बातें कही गयी हैं, उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। रेशनलाइजेशन के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सेंट्रल ट्रिपर्टाइट कांफ्रेंस के अन्दर जो उसूल तय हुए हैं उन्हीं के मुताबिक उसे चलाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो रूल्स बने हुए हैं उसी के मुताबिक काम होना चाहिये मैं फिर डिपार्टमेन्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक लाक आउट की बात है, जब तक कोई ऐसी मजबूरी न हो जो मैनेजमेन्ट के कंट्रोल के बाहर की बात हो और जो ऐक्ट के अन्दर प्रोवाइडेड रूल्स हैं उनके खिलाफ जाने की कुछ वजह हो, तब तक लाक आउट नहीं होना चाहिये ।

कस्टमरी के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। इसके अन्दर ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ है कि २० साल की चीज कस्टमरी मानी जाती है लेकिन इसके अन्दर अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गयी है। जब इस तरह की कमियां बढ़ती जाती हैं और कांसिलियेशन मशीनरी की कोई रूलिंग नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अन्दर जो कुछ अधिकार मिले हुए हैं कहीं ऐसा न हो कि अपनी शिकायतों को दूर करने का जो उनको जरिया मिला हुआ है उनका वह जरिया भी समाप्त हो जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष जी, किसी भी राज्य की श्रम नीति इस बात को बतलाती है कि वह राज्य कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहता है या सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहता है। जब हम इस कसौटी पर इस राज्य की श्रम नीति को कसते हैं तो हमको यह मालूम पड़ता है कि हम पिछले दस वर्ष में कुछ न कुछ रिऐक्शन की तरफ बढ़े हैं और रिऐक्शनरी होते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आप को उदाहरण के रूप में एक नमूना बताना चाहता हूं। दस साल से जो लेजिस्लेशन चला आता था उस के मुताबिक कोई भी मजदूर जो किसी रजिस्टर्ड यूनियन से सम्बन्ध रखता था, अपना मुकदमा कांसिलियेशन के लिये दाखिल कर सकता था लेकिन अब जो संशोधन हुआ है यहां से सेंटर तक उससे उसका वह फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है। अब दो साल पहले के रजिस्टर्ड यूनियन के द्वारा ही दाखिल हो सकता है। यह कांसिलियेशन न होने पर एडजुडीकेशन के लिये लेबर डिपार्टमेन्ट में जायगा। इस तरह से सारा अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है क्योंकि सरकार को उसे अस्वीकृत करने का अधिकार है। जब हम किसी देश या प्रदेश की श्रमनीति को कसौटी पर कसते हैं तो उस के दो पहलू हो सकते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव और दूसर एक्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव को मिसाल तौरमैंने ले लेकिन एक्जीक्यूटिव

[श्री मदन पांडेय]

साइड में भी जो श्रम नीति चलती है उस में भी बहुत सी कमियां रहती हैं। यद्यपि मंत्री जी उच्च सिद्धांतों को लागू करने की बात कहते हैं परन्तु अभी बहुत सुधार की जरूरत है। उधर की बेंचेज पर बैठने वाले लोग हमें कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जिक्र कम करो। लेकिन जब उधर से श्रम के मामलों में भी राजनीति घुसेड़ी जाती है और हमारी श्रम नीति एक राजनीति का अखाड़ा हो रही है तो यह शोचनीय बात है। इस चीज का निदर्शन भी कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है और एक लम्बी लिस्ट बनाई जा सकती है। मैं एक और उदाहरण देता हूं, हमारे एक पूर्व वक्ता ने छितौनी मिल का उदाहरण दिया। मैं उसी के मुकाबिले का दूसरा उदाहरण दूंगा जिस तरह से छितौनी के मजदूरों की सहायता सरकार ने की थी अगर निष्पक्षता के साथ सरकार दूसरी यूनियनों के साथ भी व्यवहार करती तो सहजनवा की जूट मिल के मजदूरों के साथ इतनी ज्यादती न होती। सन् ४६ से वहां के मजदूर परेशानी में हैं, उन्होंने रिप्रिजेन्टेशन भी किये, हड़तालें भी कीं, सत्याग्रह भी किया, अनशन भी किये और अनुनय-विनय भी की लेकिन कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इसलिये मैं मंत्री जी से जो यहां की श्रम नीति का संचालन करते हैं उन से कहूंगा और अनुरोध करूंगा कि आप इस राज्य की श्रम नीति में राजनीति को न घुसेड़िये अन्यथा सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने की बात करना एक भ्रम होगा और आप कैपिटलिस्टक सोसाइटी में भी उस नीति से ठीक तरह से कायम न कर सकेंगे। हमारे यहां का सब से बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है जिस में ६० हजार से ऊपर मजदूर काम करते हैं, कुछ व्यक्तियों ने उन की संख्या ७३ हजार बताई है, उनकी कुछ दिनों पहले की गणना ८३ हजार की थी, उसमें अब घटी हुई है। वहां हड़तालें हुईं, लाठी चार्ज हुये गोलीकांड हुए और मामलों को बिना वजह दबाया गया है और बहुत सी घटनायें हुई हैं। इन तमाम मामलों को लेकर माननीय शिब्बन लाल जी जैसे त्यागी और तपस्वी आदमी को भी अनशन करना पड़ा। लेकिन उस तरफ के बैठने वाले मंत्री जी और सरकार की तरफ से कभी कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया गया और उचित मांगे भी समय से स्वीकार नहीं की गयीं। इन मांगों में सब से ज्यादा जोर निम्बकर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों पर था। यदि वेतन के बारे में यह एक सिफारिश मान ली गई होती तो भी मजदूरों का असन्तोष दूर हो सकता था। उसमें जो लिविंग वेज मानी गई थी और जिस के वगैर कोई आदमी जिन्दा नहीं रह सकता उसको तो मानना ही चाहिये था। उस सिफारिश को मानने से ही मजदूरों को काफी राहत मिल सकती थी। क्यों लोगों से हड़तालें कराई जाती हैं? क्यों सहजनवा के हजारों मजदूरों को इतने दिन तक बेकार रक्खा जाता है? मैं चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं की हमारे यहां पुनरावृत्ति न हो इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि निम्बकर कमेटी की सिफारिशों को मानकर कम से कम उनका वेतन तो इतना कर दीजिये जितना उसके अनुसार आता है। इससे आप उनका सबसे बड़ा भला करेंगे।

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। हम जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। आप हमसे अनुदान की मंजूरी मांगते हैं। हम देने के लिये तैयार हैं। लेकिन जो पैसा हमसे लेते हैं उसका हमें वाजिब रिटर्न मिलना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि सन् ५४ में ३ लाख पच्चीस हजार रुपये का कुल ....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य ने कहा कि आप अनुदान मांगते हैं, तो मैं कोई अनुदान नहीं मांग रहा हूं आपसे।

श्री मदन पांडेय—खैर, क्षमा किया जाय। मैंने सुधार दिया था। माननीय मंत्री जी ने जो आज अनुदान मांगा है उसमें ३ लाख २५ हजार रुपये से १ करोड़ १६ लाख पर आये हैं यानी करीब ३० गुना खर्चा उन्होंने बढ़ाया है लेकिन जो आउट पुट में वृद्धि की है उसका किस्सा जरा सुनिये। आफिसर्स के आउटपुट में जरूर वृद्धि हुई है। पहले १५ गजटेड आफिसर थे और २०० आदमी नान गजटेड थे जिस समय हम ३ लाख २५ हजार रुपया

खर्च करते थे। लेकिन आज १ करोड़ १६ लाख खर्च करके जो वृद्धि हम देखते हैं उसमें करीब ८८ गजटेड और १७६० नान-गजटेड कर्मचारियों की संख्या हो गयी है। तो कर्मचारियों की और आफिसर्स की संख्या में तो वृद्धि हुई है लेकिन मजदूरों की संख्या जिनकी सेवा करने के लिये इतने कर्मचारी बढ़ाये गये, जब हम देखते हैं तो हमारे कारखानों की संख्या ९४३ से बढ़कर १,४९६ इस वक्त दिखाई पड़ती है और मजदूरों की संख्या २ लाख ७८ हजार २ सौ छत्तीस के बजाय २,२९,६७४ हो गयी है यानी इसमें कई हजार मजदूरों की संख्या घटी है। कारखानों की संख्या बढ़ी है, आफिसरों की संख्या बढ़ी है लेकिन जिन मजदूरों की सेवा करनी है उनकी संख्या घट गयी है। और बहुत से प्वाइन्ट ऐसे ही रह जायेंगे, अगर पांच मिनट और दे दीजिये तो मैं चाहता हूं कुछ और निवेदन करूं।

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनट और हैं। जरा संक्षेप में कहिये।

श्री मदन पांडेय—अब मैं एक दूसरी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है बीड़ी मजदूर। आज हम अपने देहाती भाइयों को मदद पहुंचाना चाहते हैं लेकिन एकाध पाकेट्स ऐसे हैं जहां हजारों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं। उनके सम्बन्ध में न एक शब्द यहां कभी सुनाई पड़ता है और न एक शब्द इतनी बड़ी पुस्तक में कहीं दर्ज है और न उनके लिये कोई लेबर लेजिस्लेशन बना हुआ है जिससे कि उनका कोई सुधार हो। ज्यादा वक्त न होने के कारण मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक कमेटी बनाकर उनकी आवश्यकताओं की जांच कराइये। वह एक ऐसी काटेज इन्डस्ट्री है, एक ऐसा उद्योग है जो दूसरों को और अधिक एम्प्लायमेंट दे सकता है कम से कम पूंजी में और थोड़ी मेहनत से। इसके बाद मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी पालिसी को दुरुस्त कीजिये क्योंकि सालों बीत जाते हैं, इसमें भी पक्षपात की नीति बरती जाती है। यह पक्षपात वाला शब्द कहते-कहते मुझे कुछ दुःख हो रहा है। दौराला, अमरोहा और बुलन्दशहर की शुगर फैक्ट्रियों के यूनियनों की दरख्वास्तें एक एक साल से पड़ी हुई हैं रजिस्ट्रेशन के लिये, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक बुलन्दशहर की यूनियन के पास इस तरह की एक चिट्ठी भी पकड़ी गई थी एक जिम्मेदार आई०एन० टी० यू० सी० के कर्मचारी ने कानपुर से लिखा था कि हमने यहां कह रखा है, किसी दूसरी यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। इसी तरह विक्टिमाइजेशन होता है। अगर यूनियनें आई०एन०टी०यू०सी० को छोड़कर किसी दूसरे फेडरेशन या ट्रेड यूनियन संगठन के साथ चली जाती हैं तो उसके साथ विक्टिमाइजेशन होता है। मैं सोहारा का जिक्र करना चाहता हूं जो कि बिरला साहब की फैक्ट्री है। वहां एक रामकुमार नाम का क्लर्क था। वह चूंकि दूसरी यूनियन में शरीक हो गया इसलिये उसको वहां से निकालकर दूसरी जगह पत्थर बीनने भेज दिया गया और जब उसने लिखित मांगा तो उसे निकाल बाहर कर दिया। इस तरह से रामकोला पंजाब शुगर फैक्ट्री है। वहां की यूनियन पहले आई० एन० टी० यू०सी० के साथ थी। वहां के मजदूरों ने उसको छोड़ दिया। जब वह हमारे साथ आये तो वहां का सेक्रेटरी कल्पनाथ सिंह जो बराबर कई साल से पम्प ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था उसको निकाल बाहर किया। यह आपकी विक्टिमाइजेशन की पालिसी है। अगर लाल बत्ती खतरा न दिखाये तो मैं कुछ और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समाप्त कीजिये। इतना काफी है मंत्री जी के लिये।

एक बात मैं माननीय बहुगुणा जी से जानना चाहूंगा कि माननीय डाक्टर जयगोपाल ने कहा कि साउथ में मिलें ९ महीने चलती हैं, आप के यहां यह नार्मल पीरियड क्यों नहीं लागू होता?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—माननीय, इस सदन में जिन विभिन्न प्रवक्ताओं ने अपने प्रवचन किये, उनको हमें और हमारे विभाग की तरफ से माननीय मन्त्री को धन्यवाद देना तो पड़ेगा ही। या तो इसलिए कि उन्होंने हमारी बात को समझा या इसलिए कि हमारी बात को उन्होंने समझने की कोशिश की। इन दोनों हालतों में हम यह महसूस करते हैं कि सरकार के लिए यह बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि इस माननीय सदन के सदस्यों के मन और विचार इस सरकार की श्रमिक नीति की तरफ अधिक रुचि के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। लेकिन एक खतरा जो मुझे दिखायी पड़ता है, उसे मैं आप की सेवा में जरूर उपस्थित करना चाहता हूं कि अधिक प्यार जब होता है तो बहुत मुश्किल भी हो जाती है। आंखें कुछ ब्लर्ड भी हो जाती हैं। जहां उपेक्षा खतरनाक होती है वहां जरूरत से ज्यादा प्यार भी खतरा पैदा करता है और मुझे कुछ ऐसा लगा कि प्यार की मात्रा कुछ माननीय सदस्यों के दिल में जरूरत से ज्यादा आ गयी है और उस प्यार ने उन के दिलों का शायद गुमराह करने में कुछ मदद दी है।

आपके समक्ष विभिन्न लोगों ने जो कहा, जो वर्गीकरण किया उनकी बातों के सम्बन्ध में मैं कुछ थोड़े में कहना चाहता हूं। एक बड़ी बात यह कही गयी कि हमारे प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण का बजट अजीब है कि बजट तो बढ़ता है, श्रमिक कार्यों के सम्बन्ध में काम करने के लिए सरकार का खर्चा बढ़ता है और प्रदेश में श्रमिकों की तादाद कम होती जाती है। मुझे दुख इस बात का है कि बहुत मोटी किताब हमने अपने वार्षिक कार्यकलाप के सम्बन्ध में छापी, पर अफसोस इस बात का है कि पूरी किताब देखने और पढ़ने में शायद उनको दिक्कत हुई। अब हम अगर सदस्यों की राय हो तो ऐसा नहीं करेंगे और सम्मराइज फार्म में किताब अगले साल से भवन के सामने रक्खा करें, क्योंकि जो किताब छपी है उसमें हमारी सारी बातें दे रक्खी हैं और हमें उम्मीद थी कि हमें कुछ ज्यादा यहां कहना नहीं पड़ेगा पर हुआ ठीक उसका उल्टा।

अब अगर माननीय सदस्य तवज्जह देंगे और देखेंगे कि श्रमिकों की संख्या घटी है या बढ़ी है तो उन को स्पष्ट मालूम हो जायगा कि हमारे प्रदेश में न केवल श्रमिकों की संख्या पिछले दस सालों में बढ़ी है, बल्कि खासे अच्छे ढंग से उद्योगीकरण का जो इन्डेक्स है वह ऊपर की तरफ जाने वाला है और सन्तोषजनक है। उसके लिए मैं आपकी तवज्जह इस किताब में जो हमारे ऐनुअल रिव्यूज हैं उन की तरफ दिलाना चाहता हूं। विभिन्न फैक्टरीज से हमारी यह आशा है कि वे अपनी रिपोर्ट्स हमारे यहां भेजेंगे कि उन के यहां कितने मजदूर हैं। वे आंकड़े भेजते हैं। जिन फैक्टरीज ने आंकड़े भेजे उन को हमने संकलित किया। कुछ फैक्टरीज ऐसी हैं जो नहीं भेजतीं। वे गल्ती करती हैं, लेकिन आज तक १०० परसेंट फैक्टरीज ने सन् १९४५ से लेकर आज तक, अपने आंकड़े हमें कभी नहीं भेजे। सच पूछिये तो ९४ प्रतिशत सब से ज्यादा और ८४ प्रतिशत सब से कम उन फैक्टरीज का अनुपात रहा है, जिन्होंने कृपा कर के आंकड़े हमारे पास भेजे। अस्तु एक तो बात यह है कि इसलिए भी प्रस्तुत आंकड़े जो हैं एक दम सही नहीं हो सकते। क्योंकि कई फैक्टरीज ऐसी हैं जिन के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं। जहां किताब में इन आंकड़ों की विवेचना है उस में यह सब दे रक्खा है।

१९५१ से एक बात और शुरू की थी और वह यह कि भारत सरकार का जो सुरक्षा विभाग है उस के फैक्टरी ऐक्ट में आने वाले श्रमिकों की संख्या हम ने इस में जोड़ना बन्द कर दिया। वह हमारा ही तरीका नहीं है, करीब-करीब सभी प्रदेशों की सरकारों ने इस तरह का तरीका इन आंकड़ों के सम्बन्ध में अपनाया है और भारत सरकार के सुरक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उन की संख्या नहीं जोड़ी जा रही है। अगर हमारे विवरण में श्रमिकों की संख्या का आधार सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या जोड़ कर हो अर्थात् उन आंकड़ों को जोड़ दिया जाय जो आंकड़े नहीं आये हैं तो सन् १९५१ के बाद १९५५ तक तो आप को स्पष्ट होगा कि करीब-करीब हर एक वर्ष में ३३,००० से लेकर ४०,००० तक की संख्या का अन्तर पड़ जायगा।

आचार्य दीपंकर--जो गैर सरकारी कारखानों के आंकड़े हैं सन् १९५३ से लेकर १९५५-५६ तक के, उन में तो फर्क नहीं पड़ेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने निवेदन किया कि गैर सरकारी कारखानों में, प्राइवेट सेक्टर में यह फर्क पड़ता है क्योंकि कम व बेश एम्प्लायर्स ने हमारी आंकड़े एकत्रित करने की स्कीम को रेस्पांड नहीं किया। अब उस की कारेस्पान्डिग फिगर्स जो हैं वह इस प्रकार हैं। १९४४ में परसेंटेज रिटर्न्स जो सबमिट हुए वह इस प्रकार थे:--९६ प्रतिशत ; ४५ में ९३.२ परसेंट, ४६ में ९५.५ परसेंट, फिर ४७ में ९४ परसेंट, ४८ में ९५.१ परसेंट; ४९ में ८७.३ परसेंट, और १९५० में ८६.८ परसेंट और १९५१ में ५०.९ परसेंट। इस तरह से रहा है।

तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पूरे आंकड़े इसमें हैं नहीं और कुछ कमी बेश आंकड़े इसलिए भी हो गये कि कुछ परसेंटेज कम और ज्यादा हो गया प्राइवेट सेक्टर का। इसके अलावा ३०-४० हजार डिफेंस मजदूर हैं और १९५१ के बाद उनके आंकड़े हमने इन्क्लूड नहीं किये, यह आप की पुस्तिका के ९वें पन्ने पर दे रखा है कि डिफेंस के आंकड़े ५१ से लेना छोड़ दिया। तो इससे स्थिति स्पष्ट हो जायगी कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की संख्या में इस विवरण पुस्तिका में कमी क्यों मालूम होती है और वस्तुस्थिति वैसी नहीं है जैसी बताने की कोशिश की गयी।

एक चीज और कही गयी और उसको हमारे एक मित्र ने--श्री उमाशंकर जी ने--दुहराया कि टेक्सटाइल में और शुगर में मजदूरों की संख्या में कमी हुई। मैं इन्कार नहीं करता कि इन दो क्षेत्रों में कमी हुई है, इसे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि जो संख्या कम हुई क्या उसके साथ-साथ टेक्सटाइल में जो तीन शिफ्ट चल रहे थे अब कितने चलते हैं। तो यह कारण संख्या की कमी का नहीं है कि श्रमिक इन उद्योगों से छांट दिये गये या निकाल दिये गये या छटनी हो गयी, शिफ्ट की कमी का कारण भी हो गया। यह हमारे हाथ की बात नहीं है और न विरोधीदल के हाथ की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, कपड़े का मार्केट है जिस में कितनी हमारे प्रदेश में कपड़े की खपत है, कितनी रुई मिलती है जिसकी खपत है, बाहर का भी सवाल है, तमाम बातें हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है। दूसरा असर जो होता है वह यह बात हुई है कि कुछ समय से मिल मालिक और मजदूरों के बीच में नेशनलाइजेशन का प्रश्न रहा है उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कुछ सदस्यों ने ऐसा बताने की कोशिश की जैसे नेशनलाइजेशन का प्रश्न हमने पैदा कर दिया हो। मालिक और मजदूरों के बीच में वह स्थिति है और कम्युनिटी के सामने एक बर्निंग सवाल इसलिए है कि हमारा कपड़ा उद्योग अगर बम्बई और अहमदाबाद का मुकाबला नहीं करता, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी एशिया के बाजार में कम्पीट नहीं करता तो हमारे लिए बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी, न केवल प्रदेश के लिए, बल्कि देश के लिए। तो उस के लिए कम्युनिटी इन्टरेस्टेड है--रेशनलाइजेशन में। तो इन झगड़ों के सम्बन्ध में जब वह श्रमिक और उद्योगपति हमारे सामने आये तो मालिक और मजदूरों की राय से एक कमेटी बनायी गयी। अब आज हम से कहा गया कि हम उस कमेटी को भी बालाएताक रख दें। तो मैं कह रहा था कि चूंकि यह विवाद खड़ा हुआ और सन् १९५० से खड़ा हुआ है, तो क्या आंख बन्द करने से वह विवाद सामाप्त हो जायगा।

पिछले सालों में इस उद्योग में (नेचुरल) natural जो वेस्टेज हुई, उस को भी देखा जाना चाहिए। फिर कितने ही रिट्रेंच हुए, कितने निकाले गये पर रिक्त स्थानों को मिल मालिकों ने पूरा नहीं किया। ऐसे स्थानों की काफी बड़ी संख्या कानपुर में है और वह इन स्थानों पर सब्स्टीट्यूट से काम ले रहे हैं। यह किस्सा नहीं हुआ कि छटनी के कारण मजदूरों की संख्या में कमी हुई या क्लोजर हुआ है, बल्कि यही है कि मिल मालिकों ने बड़े हिस्से में उक्त स्थानों की भर्ती न करके सब्स्टीट्यूट से काम लिया और ले रहे हैं। जब तक रेशनलाइजेशन की पोजीशन फाइनल न हो जायगी तब तक वह निश्चय करेंगे ही नहीं।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

शुगर उद्योग के सम्बन्ध में यह कहा गया कि यहां भी मजदूरों की संख्या घटी और उत्पादन बढ़ गया। यदि यह बात वह लोग कहते जो चीनी मिल एरिया के नहीं हैं तो मुझे कोई उज्र नहीं होता, लेकिन जो लोग चीनी मिलों के एरिया के करीब रहते हैं, उन्होंने यह बात कही तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि मजदूरों ने मजबूती से, उदारता से देश के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है और देश का गौरव ऊंचा उठाने में उनका बड़ा हाथ रहा है, लेकिन मैं इस चीज को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हर चीज की तरक्की में हम मजदूरों का नाम लगा दें।

पिछले दस सालों में रिकवरी की क्या हालत रही? गन्ने के क्रशिंग का क्या हुआ? और कितनों गन्ना क्रश किया गया? अगर कोई फैक्टरी ८०० टन रोज गन्ना क्रश करती है और वह दस रोज चली तो कितना उत्पादन होगा और वही फैक्टरी अगर चार महीने चले तो कितना उत्पादन होगा। श्रीमन्, बड़ी स्वाभाविक सी बात थी जिस की तरफ तवज्जह नहीं दी गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि चीनी के मिल मालिकों ने अपना योगदान और सहयोग दिया, हमारे काश्तकारों ने अपना योगदान और सहयोग दिया अच्छा गन्ना पैदा करके, फैक्टरीज ने मदद दी सीजन को लम्बा करके और हमारे कृषकों ने कम पैसा ले करके मदद की। इस तरह से सब ने मदद की और हमारा क्रशिंग सीजन बहुत ज्यादा लम्बा हो गया, पिछले पांच सालों में इसको सब जानते हैं कि रिकवरी हमारी गिर नहीं रही है। इससे हमारे गन्ने के उत्पादन को बड़ा बल और सहयोग मिला। अब यह कहा गया कि श्रमिकों की संख्या कम हुई और फिर भी उत्पादन बढ़ा, तो मैं समझता हूं कि यह वस्तु स्थिति से परे है। श्रम मन्त्री जी ने यह दावा कभी नहीं किया कि हम अब रामराज्य की स्थिति में आ गये हैं। अभी हम ऐसे राज्य की स्थिति में नहीं आ पाये हैं कि हम दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से परे हों। लेकिन जिस स्थिति में हम हैं उस से श्रीमन्, इन्कार करना देश की जनता के साथ अन्याय होगा और 'प्रोग्रेस' के रास्ते में, जो माइल स्टोन लगा रहे हैं, उनको भूल जाना होगा, यदि हम यह कहें कि हम आगे जा नहीं रहे लेकिन हम और अपने प्रदेश के लोग विश्वास रखें और हम और हमारे प्रदेश के लोग दृढ़ता से काम लें तो निश्चय ही जो युग आने वाला है उसमें हम को दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से छुटकारा पाने का मौका मिल सकेगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह यह उठाया गया है कि श्रमिकों की वेजेज गिर गयीं। मेरी यह दुश्वारी थी कि किताब हमारी बहुत बड़ी है। जिन आंकड़ों को पढ़ कर यह राय बनी, उस के एक पन्ने के बाद ही इस सम्बन्ध की सूचना हमारे माननीय सदस्यों ने पढ़ने की कोशिश की होती और उन्होंने यदि कहीं उस को पढ़ लिया होता तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य ही था कि उन को पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। मैं माननीय सदस्यों की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यह जो किताब है इसका एक पैरा है "रिअल वेज इन्डेक्स" यह चीज मैं आचार्य दीपंकर जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक फिगर रखी थी कि मजदूरों की आमदनी घट गयी। शायद यह फिगर प्राइवेट सेक्टर की रखी होगी। इस में अगर देखें तो वेजेज का गिरना प्रतीत नहीं होता है। किस को कितनी तनख्वाह मिलनी है, यह बात वेतन का मूल्यांकन नहीं करती। मैं ने सुना है और मुझे उम्मीद है कि गलत नहीं सुना कि च्यांग काई शेक के जमाने में उन के चीन के आखिरी दिनों में जब एक धोबी अपने कपड़ों की धुलाई लेने के लिए जाता था तो पूरे का पूरा एक गधा बोझ नोटों का घर लाता था, लेकिन एक रजाई बनाने के लिए तीन गधों का वजन नोटों का देता था। तो रियल वेज का अर्थ यह नहीं है कि कितने रुपये पाता है और मुझे विश्वास है कि आचार्य दीपंकर का भी मतलब इससे नहीं है रुपये, आने पाई में कितना वेज मिला। उसका अर्थ तो यह होगा कि उस पैसे की, जो तनख्वाह में मिला, उससे परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी है, और बाजार में उसका मूल्य क्या है। अगर कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स को तनख्वाहों के फिगर्स के साथ लिंक किया जाय तो आप को दिखायी पड़ेगा कि सन् १९३९ में अगर यह १०० था तो वह बढ़ते बढ़ते ११४.७ सन् १९४०

में हुआ और १३३.२३ सन् १९५५ में हुआ। तो रिअल वैज प्रोग्रेसिवली बढ़ी हैं। मेरा इस बात का दावा है कि उत्तर प्रदेश में और देश में रिअल वैज निश्चित ही अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में बढ़ी हैं, जिओमेट्रिकल प्रोग्रेशन में नहीं। यह नहीं कि १ है तो २ हुआ, ४ हुआ, ६ हुआ, लेकिन अगर एक था तो १·५ हुआ, १.७ हुआ, १.९ हुआ इस प्रकार बढ़ी हैं। और मुझ उम्मीद है कि अगर हमारे मित्र दोबारा उन आंकड़ों को जो ठीक उसी पन्ने के बाद दिये हुए हैं, उस पन्ने को जिस में वार्षिक एवरेज वेज की फिगर्स हैं देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जायगा कि रिअल वेज वास्तव में बढ़ी हैं और बढ़ती रही हैं।

एक चीज यह कही गयी कि वैज रुपये, आने, पाई के मापदण्ड में घटी है। हम आचार्य दीपंकर को रुपये, आने, पाई में भी दिखा देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट फैक्टरीज में सन् १९५१ में जहां ८५२ रु० १४ आ० थे, वहां सन् १९५५ में ९२४-१२-२ हो गया। टेक्सटाइल में जरूर कुछ गिरा। उसके आंकड़े इस प्रकार हैं—सन् १९५१ में १०६५, १९५२ में ११०२, १९५३ में १०८९, १९५४ में १०६० और १९५५ में ९४२। अब यह विवाद की बात है कि इस उद्योग में क्यों इतनी कमी हुई। लेकिन आचार्य जी को मैं आपके द्वारा याद दिलाना चाहता हूं और भाई विशारद जी भी सुन लें क्योंकि कानपुर से उनका बड़ा सम्बन्ध है और उन्होंने सेवायें भी टेक्सटाइल मजदूरों की बड़ी की हैं कि उन्हीं लोगों की राय के कुछ लोगों ने सन् १९५५ में ८१ दिन की हड़ताल करा कर मजदूरों की मजदूरी को कटवा कर रख दिया उनको वे फूल चढ़ाना चाहेंगे या पत्थर चढ़ाना चाहेंगे यह मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं। वे चाहें तो अपने उन मित्रों को फूल चढ़ायें या ढोके चढ़ायें।

कहा गया कि श्रम नीति ऐसी है कि आई० एन० टी० यू० सी० के साथ बड़ी रियायत की जा रही है। श्री मदन पांडेय ने तो ऐसी भयावह परिस्थिति बतायी कि मालूम नहीं क्या होने वाला है। और आई० एन० टी० यू० सी० के माननीय उमाशंकर जी को सुनने के बाद यह समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि डियर फूड एलाउन्स का उन्होंने मुकदमा चलाया—सम्भवतः उन्होंने ही चलाया होगा या उनकी यूनियन की तरफ़ से रहा होगा—और हमने उसे अदालत भेजना नामंजूर कर दिया। माननीय मदन पांडेय जी को भी शिकायत है कि हम मुकदमे डिपाज़िट कर देते हैं और माननीय उमाशंकर जी को भी यही शिकायत है। मैं माननीय मदन पांडेय की सेवा में उन आंकड़ों को उपस्थित करके—मैं उस शब्द को तो इस्तेमाल करना नहीं चाहता—इस बात के सिर पर एक लम्बी कील ठोंकना चाहता हूं ताकि यह बन्द हो जाय। इस बात की चर्चा यहां पर बराबर रही कि आई० एन० टी० यू० सी० के साथ बहुत रियायत की जाती है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप को जाहिर होगा कि वाकयात क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप के केवल पांच मिनट रह गये हैं। मैं आप को २५ मिनट दे चुका हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मेरा और माननीय मंत्री जी के समय को मिला कर थोड़ा समय मुझे ज्यादा दिया जायगा ऐसा मैं समझ रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तो मैं श्रीमन्, सन् १९५६ के फिगर्स आप के सामने रख रहा हूं जिससे ज्ञात हो जायगा कि कितना पक्षपात आई० एन० टी० यू० सी० के साथ किया जा रहा है। सन् ५६ में आई० एन० टी० यू० सी० ने ५४१ मुकदमें दायर किये। इनमें २२२ रिफरेंस में भेजे गये और ३१९ रिजेक्ट कर दिये गये। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो हमारे माननीय झारखंडे राय जी के दल के साथ सम्बन्धित श्रमिक संगठन है

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

२०६ मुकदमें उन्होंने दायर किये। हमने उनके ६८ मुकदमें अदालत में भेजे और १३८ मुकदमे नामंजूर किये। हिन्द मजदूर सभा ने ५१४ मुकदमे दायर किये जिनमें से १८८ अदालत में में भेजे गये और ३२६ रिजेक्ट किये गये। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ५२ मुकदमें भेजे। उनमें से २१ अदालत में भेजे गये और ३१ रिजेक्ट किये गये। नान ऐफीलियेटेड यूनियन्स ने ४३४ मुकदमें दायर किये जिनमें से १६५ अदालत में भेजे गये और २६९ रिजेक्ट किये गये। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने आई० एन० टी० यू० सी० के साथ क्या रियायत की।

श्री नारायणदत्त तिवारी--परसेंटेज बतलाइये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अब परसेंटेज की बात मत पूछिये तभी भला है। कितनी यूनियनें किसके पास हैं और श्रम संगठनों की नाप तोल लेना चाहें तो इस बात की समीक्षा हमसे न करें बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जो प्रतिनिधि दिल्ली में बैठे हैं उनसे पूछिए हमारे आंकड़ों में तो शायद आप को शुबहा हो जाय। आई० एन० टी० यू० सी० के साथ कितनी ट्रेड्स की यूनियनें हैं जिनमें दूसरी मुकाबिल यूनियनें नहीं हैं। जाहिर है उनके हिसाब से उनके मुकदमे भी ज्यादा आये होंगे।

आचार्य दीपंकर के ओर से एक दूसरी बहस यह की गयी कि सरकार ने गजब कर रखा है कि १८ प्रतिशत मुकदमें अदालत भेजे। आचार्य दीपंकर जी गणित में अच्छा ज्ञान रखते हैं लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज वे कैसे गलत हिसाब कह गये। ८० प्रतिशत के स्थान पर १८ प्रतिशत ले आये। ११६३ मुकदमे जिनका फैसला समझौता करा कर समझौता बोर्ड में हमारे अफसरों ने ही कर दिया उनको छोड़ क्यों दिया। अगर जो ऐडजुडीकेशन में मुकदमें जायं उन्हीं को आप समझते हैं कि मुकदमे हैं, वही बहादुरी का काम है बड़ा अच्छा काम है तो आप की मर्जी। लेकिन मैं तो उस काम को ग़लत समझता हूं। क्या अदालतों में ही जाकर मजदूर अपनी शक्ति का परिचय दे सकता है। मैं समझता हूं कि मजदूर की असली शक्ति उसके समझौता करने की शक्ति में है जो मालिकों से समझौता करा देती है। और अगर मजदूरों की शक्ति मालिकों से समझौता नहीं करा सकती तो मैं समझता हूं उसकी इंट्रिसिक शक्ति में कोई कमी है, ऐसा मैं मानता हूं। मिल मालिकों के साथ जो ऐग्रीमेंट्स हुए हैं उनकी फिगर्स निकालेंगे तो आई० एन० टी० यू० सी० ने भी ऐग्रीमेन्ट्स किये हैं। एक बात कही गई कि श्रम सम्मेलनों में बड़ा गजब होता है। पता नहीं कहां-कहां से सरकार के पिट्ठुओं को बुला लिया जाता है। "सरकार के पिट्ठू" शब्द ही इस्तेमाल किया गया। शायद यादव जी ने कहा था। मैं तो बड़ा खुश हुआ, यदि आप पिछले त्रिदलीय सम्मेलन को लें तो उसमें हमने संतसिंह, यूसुफ जी और श्री विशारद को बुलाया था। आप अगर उनको सरकार का पिट्ठू कह सकें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

एक बात और कही गयी कि केन्द्रीय संगठनों के नुमाइन्दों को आप नहीं बुलाते। यह बात बिलकुल गलत है। मैं आप के द्वारा आज फिर सरकार की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह है कि जो केन्द्रीय संगठन हों उनके प्रतिनिधि बुलाये जायं बशर्ते कि उनका हमारे उद्योगों में, जिनके संबंध में सम्मेलन हो रहा है, कोई बड़ा हाथ हो। मैं बिजली के उद्योग में ए० आई० टी० यू० सी० को बुलाने वाला नहीं हूं क्योंकि उनको केवल एक यूनियन मिर्जापुर में है, एक छोटी सी यूनियन शाहजहांपुर में है और एक झांसी में है। कहीं भी ५०, ६० मेम्बरों से ज्यादा नहीं है। तो जाहिर बात है कि अगर संगठन साथ न हों तो काम नहीं चलेगा। यहां तो प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, संगठनों को नहीं। जो संगठन प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बुलाया जाता है। हमने शुगर कांफ्रेन्स में श्री ब्रजकिशोर शास्त्री जी को बुलाया। पता नहीं वह अब प्रोफेसर शिब्बन लाल जी के मित्र हैं या नहीं, लेकिन हमारे दिल में उनकी इज्जत है। एच० एम० एस० वाले लोग भी आते हैं। हां, एक बात और कही गयी कि आई० एन० टी० यू० सी० को दिल्ली में सपफाजी बातों के साथ बनाया गया था।

पर जैसे वह बेकार ही बनी हो, श्रमिकों में फूट डालने को बनी हो पर आप चाहें तो एच० एम० एस० का जन्म, उसका नक्षत्र और कुण्डली तक में बना दे सकता हूं। बड़ी मुश्किल है कि वह सारी बात तो आप को याद नहीं रहती कि वह कब बनी, कैसे बनी। यदि आई० एन० टी० यू० सी० इन तमाम दलगत बातों को लेकर चली तो एच० एम० एस० को आप भूलिये मत। देखिये कि वह कैसे बनी? कैसे चली? क्या कर रही है? खैर, मैं इस प्रश्न को यहीं छोड़ता हूं।

एक बात और कही गयी कि हम प्रदेश में जो रेशनलाइजेशन करने वाले हैं उसे खत्म कर दें और यह कि बड़ी स्थिति खराब हो गयी है रेशनलाइजेशन से १० सैकड़ा प्रोडेक्शन घटेगा और ४० सैकड़ा बम्बई से कम वेज मिलेगा। सरकार ने इस कार्य को एक विशिष्ट सज्जन के सुपुर्द उनकी विशिष्टता को मद्देनजर रखते हुए, किया था। वह थे श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद जी, और यह इस सदन की प्रतिष्ठा के विपरीत होगा कि यदि उनके किये हुए कार्यों के विषय में थोड़ी भी हल्की चर्चा यहां हो। उन्होंने प्रदेश की तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सिफारिशें दी हैं। मैं यह बात अभी साफ कर दूं कि हम यह नहीं कह सकते कि हम उनकी सिफारिशों को लागू करेंगे या नहीं, क्योंकि वह सारा काम त्रिदलीय सम्मेलन ने रोक रखा है, जिसके संतसिंह यूसुफ साहब भी एक मेम्बर थे। एक मत से उसने यह फैसला किया। आई० एन० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों ने कहा कि उस कमेटी की सिफारिशों पर अभी विचार न किया जाय। भारत सरकार ने जो वेज बोर्ड बना रखा है, उनसे परामर्श कर लिया जाय और पहले श्रम सम्मेलन की बैठक हो जाय, उसके बाद इस पर विचार किया जाय। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से अभी कोई बात नहीं आई है। बोर्ड के लोगों ने भी अभी कोई अपनी राय नहीं दी, इसलिये मामला स्थगित है, लेकिन यह निश्चित है कि हम इससे चिंतित हैं। उसको विशारद जी ने रद्दी की टोकरी में डालने की राय दी। यदि कानपुर के मजदूर उस को रद्दी की टोकरी में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह तो उस रिपोर्ट को, वह जिस प्रतिष्ठा के योग्य है, उस को वह प्रदान करेगी। इस रिपोर्ट पर लांछन लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसके लग जाने से श्रमिकों को बम्बई से तनख्वाहें कम और काम ज्यादा करना होगा। अस्तु "ऐसी कमेटी की सिफारिशों का क्या फायदा।" कमेटी ने अपनी सिफारिशों में यह बात कहीं नहीं कही है, न उसका ऐसा परिणाम होगा ही। केवल नोट आफ डिसेंट में, जो गणेशदत्त जी वाजपेयी का है, ऐसी कुछ बातें दी हुई हैं। इस संबंध में इतना ही कहूंगा कि यह प्रश्न विचाराधीन है और इस पर हम कुछ करेंगे।

एक चीज और कहना चाहता था कि हमने कुछ रुपया इस वर्ष रखा है, १३,००० रुपये के करीब, ट्रेड यूनियन्स को अनुदान देने के लिये। हमारे एक दोस्त ने कहा कि इससे तो उन यूनियन्स को रिहैबिलिटेड किया जायगा जो आई० एन० टी० यू० सी० से ताल्लुक रखती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन से पैसा लेकर मैं या माननीय मंत्री जी चुपचाप तो खर्च नहीं कर सकते, उसका ब्यौरा आप यहां पूछ ले सकते हैं। वह पैसा यूनियन्स को दिया जायगा बिना किसी राजनैतिक पृष्ठभूमि के। उन्हें दिया जायेगा जो यूनियन्स उन कामों को करने की क्षमता रखती होंगी कि जो उनसे होने वाले हैं। उसके देने में पार्टी का कोई सवाल नहीं होगा।

एक बात शायद मदन पांडेय जी ने यह भी कही कि साहब, सहजनवां जूट मिल में बड़ा अत्याचार हुआ। एक कहावत मुझे याद आ गयी कि "कब मरी बुढ़िया और कब गिरे आंसू।" वहां बुढ़िया १९४९ में ही मर गयी और उसके लिये आंसू आज बहाये जा रहे हैं। वहां का झगड़ा जिसका तजकिरा उन्होंने किया, इस उद्योग का जो इंडस्ट्रियल कोर्ट था उसके सामने तक गया, वहां मजदूरों के खिलाफ फैसला हुआ और मजदूरों ने उसकी कोई अपील नहीं की। वह निकाल दिये गये। आप कहते हैं कि छितौनी में आप क्यों काम कर रहे हैं। तो ग़लतफ़हमी

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

न रह जाय इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि श्रमिकों के पास उनकी संगठन शक्ति ही मूल आधार होती है। छितौनी में कुछ मजदूर निकाले गये। पता नहीं क्यों, मालिकों ने सही हो या गलत, उनको निकाल दिया। मजदूरों ने एक आंन्दोलन चलाया और आज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से वहां कुछ नहीं हो रहा है। दोनों दलों ने, मालिकों ने और मजदूरों ने आन्दोलन से थक कर यह लिख कर दिया कि लेबर कमिश्नर इस मामले को देख लें और फैसला कर दें। अब इसी तरह अगर दोनों दल अन्य जगहों से भी हमारे पास आते हैं तो हम अवश्य उस मामले पर विचार करेंगे, देखेंगे। मैं माननीय पांडेय जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को अपनी यूनियनों को समझा दें कि वह अपने में इस तरह की क्षमता पैदा करें और जब दोनों मालिक मजदूर मिल कर हमारे पास आयेंगे, तो हम उनको ही आर्बीट्रेशन बोर्ड में बैठा सकेंगे, लेकिन यह हमारे मन की बात नहीं है, यह तो उन दोनों की सम्मिलित प्रार्थना ही का फल हो सकता है।

अन्त में मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे काफी समय दिया और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी श्रम नीति का सच्चाई और देश की प्रगति से ही ताल्लुक है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शान्ति से अपने माननीय बहुगुणा जी के भाषण को सुन रहा था और आशा कर रहा था कि श्रम जो कि समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह उस विषय पर गहन प्रकाश डालेंगे। परन्तु श्रीमन्, उनके सारे भाषण को सुनने के बाद मुझे इतिहास की एक घटना याद आ गयी कि जिस समय निर्दोष क्राइस्ट को उस समय के सुवर्ण के उपासकों ने अपने न्यायालय में फांसी लगाने की आज्ञा दी तो रोम का जो गवर्नर उस समय बैठा हुआ था Pontus पाइलट, उसने उस आज्ञा को स्वीकार करते हुए तसले के पानी में हाथ धोते हुए कहा था:
"I wash my hands of the blood of this innocent man."

श्रीमन्, हमारे आदरणीय बहुगुणा जी ने भी अभी कहा कि हम को मिलों के मालिकों ने आंकड़े नहीं भेजे। आश्चर्य है। यह सर्वगुण संपन्न, सर्व प्रभुता संपन्न सरकार, सर्व शक्ति से संपन्न सरकार यह कहे Pontus पाइलेट की तरह कि हम को मिलमालिकों ने आंकड़े नहीं भेजे इसलिये हम उनके खून से हाथ धो रहे हैं, आश्चर्य है। स्वयं सरकार के पास तो आंकड़े इकट्ठा करने के सब साधन उपस्थित हैं, क्यों नहीं उन्होंने उनका प्रयोग किया? जब असफलता होती है तो डेमोक्रेसी के नाम पर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिये बधाई है, मन्त्री और उपमन्त्री दोनों को। श्रीमन्, कहा जाता है कि अगर सुरक्षा विभाग के मजदूरों की संख्या को इसमें जोड़ दिया जाय तो हमारे मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ जाय। मैं तो समझता था कि हमारे मन्त्री महोदय अर्थशास्त्र का ज्ञान तो रखते ही होंगे। अगर बहुत नहीं तो थोड़ा ज्ञान तो जरूर उनको होगा। यह सर्वमान्य है कि डिफेन्स के कर्मचारी-वर्ग की संख्या श्रमिकों में नहीं जोड़नी चाहिये क्योंकि डिफेन्स विभाग के वर्कर्स एक अनप्रोडेक्टिव यूनिट होते हैं। फैक्टरीज के मजदूरों में उनकी गणना नहीं होती है। हो सकता है कि इस गणना में मन्त्री जी या उपमन्त्री जी उन मजदूरों को जोड़ दें लेकिन फैक्टरी के मजदूरों में इनकी गणना नहीं होती। आवश्यकता इस बात की थी कि श्रमिकों के लिये आप कितना ज्यादा अवसर प्राप्त करा सकें जिससे वे लाभ उठा सकें। इस हिसाब से श्रमिकों की संख्या आप के यहां घटी है। मुझे आश्चर्य होता है कि मन्त्री महोदय उस अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी श्रीमन्, शुगर केन के बारे में कहा गया कि शुगर केन तो बिलकुल ठीक था लेकिन ईल्ड कम होती है। क्या कभी सरकार ने इस बात पर विचार करने का प्रयास किया है कि ईल्ड की कमी का क्या कारण है? और कभी उसने उसके कारण दर करने का प्रयास किया है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी। मैं तो देखता हूं कि जब ईल्ड

का अच्छा समय होता है तब फैक्ट्रीज अपने फार्मों में लगे गन्ने का प्रयोग करती हैं और किसानों से गन्ना नहीं लिया जाता है लेकिन जब गन्ने का ईल्ड घट जाता है तब किसानों से गन्ना लिया जाता है। बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न इस विधान सभा भवन में उठाये गये हैं और प्रश्नोत्तरों में उठाये गये हैं और सरकार ने अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया है। तो श्रीमन्, ईल्ड जो घटता है उस को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। क्यों नहीं फैक्टरीज में शुगर केन को समय पर देने का प्रयास होता? क्यों नहीं किसानों के गन्ने का ईल्ड बढ़ाने के लिये, जो साधन हो सकते हैं प्रयोग किये जाते। श्रीमन्, मैं उनको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था उसके २ लड़की थीं। जब उनके विवाह का समय आया तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि उन दोनों लड़कियों के लिये वह २ वर ढूंढ़ कर ला दे। मित्र बुद्धिमान था, उसने कहा कि क्या उमर उन वरों की होनी चाहिये? तो उस व्यक्ति ने कहा औसतन् २५, २५ वर्ष की उमर हो। उस मित्र ने कहा कि इसके लिये एक लाख रुपया लाओ और ६ महीने का समय इसमें लगेगा और इसके बाद मैं वर ढूंढ़ कर ले आऊंगा। उस व्यक्ति ने एक लाख रुपया दे दिया। ६ महीने के बाद वह २ वर ढूंढ़ कर ले आया जिनमें एक की उमर एक साल और दूसरे की ४९ साल थी। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुमने यह क्या किया जो इस तरह से बच्चे और बूढ़े को ले आये। उस मित्र ने जवाब दिया कि एक की उमर १ साल है और दूसरे की ४९ साल है तो औसतन् २५, २५ उमर दोनों की हो गयी। तो हमारे मंत्री जी का औसत भी इसी प्रकार से है।

श्रीमन्, श्रमिकों के बारे में मैं तो समझता हूं और सुझाव की दृष्टि से यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्रमिकों का स्तर ऊंचा उठाना है, मैं समझता हूं कि उनका स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो श्रमिकों के स्तर ऊंचा उठाने के लिये जो साधन होते हैं उनका पूरा प्रयोग किया जाय, देश के उत्थान की दृष्टि से जो साधन होते हैं वह उनको प्राप्त होने चाहिये। इस दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिये। उन साधनों को प्राप्त कराने के लिये उनको पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिलनी चाहिये। आज एक समय है जब कि नयी चीजें हमारे यहां शुरू होने वाली हैं। उनमें उनके लिये प्राविडेन्ट फंड, इन्श्योरेन्स और पेन्शन मिलना चाहिये जैसा कि वाल्टर रुदर ने अमेरिका में यूनाइटेड आटोमोबाइल वर्कर्स को देने का एलान किया है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ भी चर्चा नहीं की।

श्रीमन्, इस बात पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि जो श्रमिक हैं उनको उनके श्रम के अनुसार लाभ देना भी आवश्यक है। जहां आप उनको बोनस देते हैं वहां यह भी आवश्यक है कि उनको पेन्शन भी मिलना चाहिये, प्रोविडेंट फंड भी मिलना चाहिये और इन्श्योरेन्स भी उनके लिये हो। इससे उनके दिमाग में सिक्योरिटी रहेगी और उनका स्तर भी ठीक रहेगा और उनके मन में स्थैर्य भी होगा। प्राफिट शेयरिंग की बात भारत सरकार कर रही है। हमारी सरकार के लिये भी यही उचित है कि मजदूरों के लिये इस प्रकार से सोचे। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि क्यों नहीं वह इस दृष्टि से विचार करे कि यह चीज सारे उद्योगों पर लागू हो। अन्त में उद्योगों को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि जो लोग उद्योगों में लगे हुए हैं, उनको अपने विकास करने का मौका मिले। जिससे वे अपने विचार और अपने अनुभव के द्वारा नया रास्ता बना सकें। मैं निवेदन करूंगा कि वे इसके लिये योजना बना कर चलें और उसको प्रान्त में लागू करने का प्रयास करें।

लेबर के लिये हाउसिंग की भी आवश्यकता है। इस ओर थोड़ा बहुत प्रयास हुआ है। आरंभ में मंत्री जी ने उस प्रयास की संख्या की गणना करायी। मैं समझता हूं कि उनका यह प्रयास ठीक है लेकिन उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इसके लिये एक उदाहरण दूंगा। इंगलैंड में ५३-५४ में जब टोरी गवर्नमेंट थी उस समय वहां भी हाउसिंग की समस्या थी और उन्होंने उस समस्या का हल ५ वर्ष में एक मिलियन हाउसेज बना कर कर लिया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी नकल कीजिये लेकिन अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

ढाल कर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिये और अपनी रफ्तार को तेज कीजिये। आशा है माननीय मन्त्री जी मेरे इन तीनों सुझावों पर ध्यान देंगे और उनको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।

* श्रीमती विद्यादुलारी (जिला बांदा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं आप को धन्यवाद दूंगी कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके बाद मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस अनुदान को पेश किया है। सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, इस पर बहुत-सा वाद विवाद हुआ। लेकिन अगर हम उस समय को देखें जब कि श्रम विभाग नहीं था, श्रमजीवियों की क्या हालत थी, वे कैसे रहते थे, किस तरह की समस्यायें उनके सामने थीं, मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच सदैव झगड़े हुआ करते थे। सरकार ने इन झगड़ों को निबटाने के लिये तरह-तरह की योजनायें बनायीं, उनके रहने के लिये क्वार्टर्स बनाये गये और दूसरे कर्मचारियों की तरह उनको छुट्टियां दी गयीं, तथा उनके स्वास्थ्य का भी प्रबन्ध किया गया तथा यह भी प्रयत्न किया गया कि उनमें किसी तरह की वह अव्यवस्था न रहे जो आजादी के पहले थी। विरोधी लोग यह समझते हैं सब एक साथ हो जायगा। यह कैसे हो सकता है? क्या एक दिन में आप अपना घर बना सकते हैं। पहले हमारे भाई यह सोचें कि अपने घर में ही या अपने कुटुम्ब में कोई सुधार करना चाहते हैं तो कितने दिनों में वह कर पाते हैं? इसी तरह देश को बनाने के लिये भी कुछ समय अवश्य लगेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक दिन में बन जाय और एक दिन में ही पूरी हो जाय।

हर एक चीज के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज के लिये हम यह कह सकते हैं कि इसमें यह बुराई है और यह भी कह सकते हैं कि यह अच्छाई है। हर भाई टीका-टिप्पणी करता है और कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिये था और सरकार जो कुछ करती है उससे विरोधी भाइयों को संतोष नहीं होता है। हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। लेकिन यह किसी से भी छिपा नहीं है कि मजदूरों को क्या क्या सुविधायें दी गयी हैं और हमेशा इस बात का प्रयत्न किया गया है कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता हो। सरकार हमेशा यह प्रयत्न करती रहती है कि किसी भी प्रकार कोई गड़बड़ी न हो और यह भी प्रयत्न सरकार का रहता है कि कोई भी मिल मालिक किसी बहाने अपनी मिल को बन्द न कर दे और लाखों मजदूरों का जीवन संकट में पड़ जाय। अब प्रश्न यह उठाया जाता है कि मिल मालिक और श्रमिकों के बीच में जो समझौते हुये हैं वे ठीक नहीं हुए। हर बात में बुराई होती है और हर बात में अच्छाई होती है, यह मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं। यह कहना कि यह होना चाहिये था और यह एक आदर्श था, ठीक नहीं है क्योंकि आदर्श तो हमेशा आदर्श ही बने रहेंगे। यथार्थता से किसी को संतोष नहीं होगा इन दोनों बातों के समन्वय की आवश्यकता है। यह नहीं होना चाहिये कि एक भाई की टिप्पणी की जाय और एक भाई की न की जाय। यह कहना कि हम ही सुधारक हैं, सरकार कोई सुधार नहीं कर रही है, इसके कोई माने नहीं हैं। मैं कहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने जो कार्य किया है वह सराहना के योग्य है और उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विन्ध्याचल के उन गरीब मजदूर और किसानों की तरफ दिलाऊंगी जो बहुत गरीब हैं और जो दिन रात पहाड़ की गिट्टी तोड़ कर सड़कों के निर्माण में योग देते हैं और सहायक होते हैं लेकिन उन बेचारे मजदूरों को जितनी सुविधा श्रम विभाग की ओर से दी जाती है वह बहुत कम है और उससे कोई लाभ नहीं है। वह दिन रात मजदूरी करते हैं, उनके लिये न तो कोई अस्पताल है, न रहने की व्यवस्था है और उनकी मजदूरी भी इतनी नहीं है कि वह अपना और बाल-बच्चों का पेट भर सकें। न तो उन के पास रहने के लिये घर है और न पहनने के लिये कपड़ा है। इन मजदूरों की अवस्था बहुत खराब है। अक्सर पत्थरों के लुढ़क जाने से वह जख्मी हो जाते हैं और उनकी और उनके बच्चों की जानें जाती हैं लेकिन कोई अस्पताल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रबन्ध नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वहां के मजदूरों को जो आवश्यक सुविधायें हैं वह दी जायं और देखें कि क्या-क्या सहूलियतें उनको दी जा सकती हैं। मैं यह नहीं कहती कि उनको बड़े बड़े मकान दिये जायं या बड़े स्वास्थ्यप्रद मकान दिये जायं या और कोई बड़े बड़े काम उनके लिये किये जायं।

इसी तरह से मैं एक बात और कहूंगी कि नोटिफाइड एरिया के अन्दर आज भी ऐसे टैक्स लगाये जाते हैं जो वह गरीब मजदूर लोग नहीं दे सकते। वहां पर २०० रुपया वार्षिक कमाने वाले को भी टैक्स देना होता है। इस हिसाब से जिनकी आय १६ रुपया मासिक है वह भी टैक्स दें और जब कि श्रम विभाग की तरफ से ही १ रुपए की मजदूरी निर्धारित की जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या यह सही होगा कि सरकार इस पर विचार न करे। इसलिये यह टैक्स जो उन गरीब मजदूरों से लिया जाता है और दूसरे लोगों से नहीं लिया जाता उसको बन्द करे। मैं आशा करती हूं कि मंत्री जी हमारे इन टूटेफूटे शब्दों पर ध्यान देंगे और मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---श्री प्रतापसिंह जी, मैं अब आप को थोड़ा समय इस शर्त पर दे रहा हूं कि आपके बाद माननीय विशारद जी औपचारिक रूप से थोड़ा सा कुछ कह कर अपने कटौती के प्रस्ताव का जवाब दे देंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश या प्रदेश की श्रम नीति श्रमिकों के हित में है या नहीं इसका अन्दाजा मंत्री जी के सुन्दर भाषण से या इन मोटी-मोटी किताबों से जो वितरित की जाती है, नहीं लगाया जा सकता। उसका अन्दाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है या नहीं या उनके रहने, खाने की व्यवस्था ठीक हो पाई है या नहीं। मैं तो तथाकथित समाजवादी सरकार के मंत्री जी से आशा कर रहा था कि यह सन् ५७ जो एक क्रान्तिकारी वर्ष है उस में वह श्रम नीति के सम्बन्ध में यहां एक क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे और घोषणा करेंगे कि श्रमिकों को मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जायगा लेकिन वह क्रान्तिकारी कदम मंत्री जी की तरफ से नहीं उठाया गया। दूसरे देशों में हम देखते हैं कि मजदूरों को मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाता है और हमारे प्लानिंग कमीशन ने और लेबर इन्क्वायरी कमेटी ने भी इस ओर प्रकाश डाला है।

दूसरे हमारे प्रदेश के पी० डब्लू० डी० मजदूरों की जो हालत है वह बहुत खराब हैं; हमारे बहुगुणा जी का जब सीधा सम्बन्ध केबिनेट से या सरकार से नहीं था तो उन्होंने उनके बारे में यहीं पर कहा था कि पी० डब्लू० डी० को देखिये। मंत्री जी इस किताब को पढ़ें या न पढ़ें जो श्रमिकों के सम्बन्ध में छपती हैं मैं यही कहूंगा कि श्रम विभाग ने चौपट कर दिया। हम तो उनसे आज भी सहमत हैं लेकिन उनको सोचने का दायरा और चीजों को देखने का चश्मा अब बदल चुका है। आज यह कहते हुए दुःख होता है कि पी० डब्लू० डी० मजदूर को ११ रुपये महीने तनख्वाह मिलती है। क्या किसी भी समाजवादी सरकार के लिए यह शोभा की बात है कि जिस देश में हजारों रुपया लोगों को तनख्वाह मिलती हो वहां ११ रुपये में भी लोगों को अपनी जिन्दगी बसर करनी पड़ती हो। दूसरे मैं इस किताब की ओर आता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि २६ रु० माह या १ रुपया प्रति दिन। क्या २६ रुपये में एक स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है। एक ओर तनख्वाह का प्रश्न है, दूसरी ओर रहन-सहन का प्रश्न है, तीसरी ओर जो मजदूरों का सम्मान है, जो मैन्युअल लेबर का सम्मान है, उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? एक श्रमजीवी अखबार निकलता है। मैंने उसमें देखने की कोशिश की क्या उसमें किसी मजदूर का भी कोई लेख है, किसी मजदूर का भी कोई अनुभव है लेकिन वह उसमें कहीं नहीं है। पता नहीं कौन लिखता है किससे लिखवाया जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं सच्चे माने में तो हम लोगों से भी लेख लीजिए, मजदूरों से भी लेख लीजिए, सबसे उसमें सहायता लीजिए। तब जाकर हम मैन्युअल लेबर के प्रति जो आज घृणा लोगों

[श्री प्रतापसिंह]

के मन में है, उसे दूर कर सकेंगे और मिल मालिक जो मजदूरों के जीवन को जानवर के समान समझते हैं उनकी मनोवृत्ति को हम बदल सकेंगे ।

पत्रकारों के सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने कहा । उत्तर प्रदेश में सभी पत्रकारों का केस कमिश्नर साहब श्री मिश्रा जी के पास गया । उन्होंने उसे लेबर कमीशन के हाथ में दे दिया । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया । जहां तक मुझे पता चला है उत्तर प्रदेश के तमाम पत्रकारों का केस हमारे लेबर कमिश्नर साहब के पास गया और बिना किसी फैसले के उसको लेबर कमीशन के पास वापस कर दिया । वह इसीलिए कि वह फैसला मालिकों के हक में होने जा रहा था न कि मजदूरों के हक में ।

दूसरे उधर के एक भाई ने इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस की बात की । लेकिन जिस समय वह लागू हुआ था, उस समय जैसा था उसी तरह से आज भी है । मैं तो चाहता था कि आज इस बात की कोशिश की जाती कि इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम श्रमिकों के परिवारों के लिए भी लागू हो । मैं चाहूंगा कि इस बात के ऊपर विचार किया जाय ।

दूसरी बात वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट के बारे में है । वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट लागू नहीं किया गया । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर सोचे क्योंकि दस प्रतिशत वर्किंग जर्नलिस्ट्स हैं और ९० प्रतिशत प्रेस वर्कर्स हैं । मैं चाहूंगा कि इस वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट को लागू किया जाय ।

तीसरी बात मिनिमम वेजेज ऐक्ट की कही गयी । प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ६० एकड़ से अधिक के जो फार्म हैं उनको रजिस्टर किया जाय । उनकी लिस्ट रीजनल कंट्रोलर के यहां रहे और उन फार्म वालों को हिदायत हो कि जो मजदूर वहां रहते हों उनको नियत समय से तनख्वाह मिले । लेकिन जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट खेतिहर मजदूरों के लिए है वह केवल १४ जिलों में ही लागू किया गया है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पूरे ५१ जिलों में इसको लागू करने का विचार सरकार क्यों नहीं कर रही है ?

एक और बात यह है कि जिस देश में अपना पेट भरने के लिए आदमी-आदमी को ढोता हो, वहां हम यह कहें कि हमारी श्रम नीति बहुत सुन्दर है तो मैं समझता हूं यह बहुत गलत बात है । मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि आपका प्रयास उन्नति की ओर नहीं है, यह जरूर है । लेकिन इतना जरूर सोचना पड़ेगा कि जहां रोजी के लिए आदमी-आदमी को ढोता हो, रिक्शा चलाता हो, डांड़ी ले जाता हो, वह कोई समाजवादी समाज नहीं हो सकता । उसमें हमें उनके लिए कोई ऐसी रोजी ढूंढ़नी पड़ेगी जिसमें आदमी को आदमी ढोने की रोजी न देकर, दूसरा काम दिया जा सके । रिक्शा चलाने वालों की जिन्दगी, आप डाक्टरों से पूछिये, कम हो जाती है । मैं समझता हूं कि यह भी श्रम विभाग के अन्दर आता है और इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

लेबर वेलफेयर सेंटर्स के खोलने की बात कही गयी । हम उसका स्वागत करते हैं । लेकिन वहां होता क्या है ? मजदूर जब अपने काम से वापस लौटता है, ५ बजे जब उसे छुट्टी होती है तब क्या टोकरी बुनने का काम या चमड़ा बनाने का काम या और काम सिखाया जाता है ? यह सब कुछ भी वहां नहीं होता । केवल वहां लेबर वेलफेयर आफिसर, क्लर्क और कुछ चपरासी होते हैं, इसके अलावा और कुछ वहां नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें । विलायत की बात मैं आपसे बताना चाहता हूं । वहां मजदूरों का रहन-सहन कैसा है, क्या उनका भविष्य है, किस तरह वह जीवन व्यतीत करते रहे हैं, इसके लिए एक सर्वे बोर्ड होता है । यह बोर्ड इन बातों के बारे में पूरे आंकड़े अपने पास रखता है । मैं चाहता हूं कि इस तरह का सर्वे बोर्ड यहां भी बने ।

दूसरे, वेज बोर्ड का प्रश्न किया गया । मैं यह चाहूंगा कि स्टेट वेज बोर्ड बने और उसके अन्दर जितनी इंडस्ट्रीज हैं सबके लिए अलग-अलग बोर्ड बनें । ताकि उन दोनों के

समन्वय से मजदूर का स्तर समान आ सके। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कान्सीलियेशन बोर्ड है उसको समाप्त कर दिया जाय। इससे मुकदमेबाजी बढ़ रही है और मजदूर जब मुकदमें में फंसा रहे तो उसको आधा वेतन मिलना चाहिये नहीं तो मजदूर निराश हो जायगा और निराश होने पर वह क्रान्ति करने के लिये आमादा हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय भगवती सिंह विशारद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मैं माननीय बहुगुणा जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पहले माननीय मंत्रियों व सरकार की जन्म-पत्री बनायें, क्योंकि उनको और उन सरकार को राहु और केतु की दशा लगी हुई है और जब राहु और केतु की दशा लगती है तो दान और पुण्य किया जाता है। लिहाजा मेरी प्रार्थना है कि यह सरकार मजदूरों के सम्बन्ध में उदारतापूर्वक विचार करेगी तो शायद यह जो राहु और केतु की दशा लगी हुई है वह टल जाय नहीं तो टलने वाली नहीं है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने १९४८ का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकारी फैक्टरी के मजदूरों की संख्या दी जाती थी और अब नहीं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह यदि सन् ४८ के मजदूरों की संख्या से सरकारी फैक्टरी के कर्मचारी अलग भी कर दें तो मजदूरों की संख्या २,०८,९११ शेष रहती है और इस समय ५५ में २,०९,६७४ हैं तो इन ८ सालों में ७६३ आदमी कुल बढ़े हैं।

माननीय मंत्री ने कानपुर की सूती मिलों की हड़ताल का जिक्र किया। उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूती मिल मजदूरों ने यह निवेदन किया था कि एक कमेटी बैठायी जाय। ८१ दिन की हड़ताल के बाद उस समय के श्रम मंत्री ने मजदूरों की मांग को स्वीकार किया तो जो धन्यवाद देना है वह आप उन्हीं को दें। जूट मिल्स में मिनिमम वेजेज लागू की जायं। बाजार कर्मचारियों के लिये पेंशन और प्राविडेंट फंड के लिये व्यवस्था की जाय। निम्बकर कमेटी के अनुसार प्रति ३ प्वाइंट पर कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर महंगाई का भत्ता दिया जाय और उसके साथ-साथ जो बेकारों की संख्या बढ़ रही है उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी जो कि समाज कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में मानव विवशताओं के जो नग्न चित्र दिखाई पड़ते हैं उनके समाधान के लिये व्यवस्था करें। कानपुर के एक मोहल्ले में जहां शाम को मातायें और बहनें बैठ कर लाज और शर्म बेचती हैं और सवेरे वहीं हजारों मजदूर खड़े होते हैं और उनको पेट भरने के लिये मजदूरी भी नहीं मिलती है, इन दोनों का पेट भरने के लिये कोई व्यवस्था करें।

विनियोग विधेयक को कार्यसूची में रखे बिना उस पर वाद-विवाद करने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष—आज बजट का अन्तिम दिन है। इसलिये नियम १५३ अ के अनुसार साढ़े ४ बजे इस अनुदान पर मत लिया जायगा और अब माननीय मंत्री जी साढ़े ४ बजे तक इस पर भाषण कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपसे जरा जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। अगर आप एजेंडा देखने का कष्ट करेंगे तो उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बजट समाप्त होने का आज अन्तिम दिन है और इसीलिये श्रीमन्, आप देखेंगे कि सायंकाल ५ बजे के उपरान्त डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग एलाटमेंट कमेटीज के पर्सनल के सम्बन्ध में श्री मोहनलाल वर्मा के तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में वादविवाद रक्खा गया है। तो पहले मैं यह जानकारी प्राप्त करना

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चाहूंगा कि जो कार्यसूची हमारे पास आई है उसके अनुसार पहले से हम तैयार होकर नहीं आये हैं कि आज बजट के अन्तिम दिवस को हम मान सकें और अन्तिम दिन की कार्यवाही जो बजट के सम्बन्ध में होती है उसके लिये भी सरकार की तरफ से कोई अनुरोध नहीं किया गया। इसलिये या तो सरकार पहले स्पष्ट करे और जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक मैं यह अनुरोध करूंगा कि कार्यसूची में जो विषय निर्धारित हैं उन्हीं को आप लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने जो प्रश्न उठाया गया है इस सम्बन्ध में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि विरोधी दलों के सभी नेताओं ने माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध किया था कि एक दिन एप्रोप्रियेशन बिल के लिये दिया जाय। माननीय अध्यक्ष ने यह आदेश दिया है कि इस बार नहीं, जब अगले वर्ष नये नियम बन जायंगे तो एक दिन दे दिया जायगा और इस मर्तबा हमेशा की भांति जो कन्वेंशन है २ घंटा समय उसके लिये दिया जायगा और तिवारी जी तो सदन के पुराने सदस्य हैं। साढ़े ४ बजे प्रांट स्वीकृत हो जाती है तो उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल शुरू हो जाता है और जो प्रश्नोत्तर विवाद के बारे में उन्होंने कहा तो सम्भवतः आवश्यकतानुसार शब्द पर ध्यान नहीं दिया। २ घंटा एप्रोप्रियेशन बिल के लिये माननीय अध्यक्ष ने समय दिया है तो इस प्रकार साढ़े ६ बजे प्रश्न पर विवाद होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एजेंडे में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---कन्वेंशन मैंने बताया, वह तो आप जानते ही हैं और यह आफिस के जरिये से मालूम हुआ है कि माननीय सदस्यों को पहले किसी पत्र द्वारा सूचना दी जा चुकी है। एजेंडे में नहीं है तो कोई बात नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मैं यह जानकारी...

श्री उपाध्यक्ष---यह तरीका गलत है। उसको बार-बार पूछने से क्या फायदा?

१९५७---५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २८---लेखा शीर्षक : ४७---श्रम और संस्था---(क्रमागत)

*आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं, जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ अपना जवाब दूं, यद्यपि बहुत से प्रश्नों के बारे में मेरे साथी बहुगुणा जी ने जवाब दे दिया है, तब भी दो एक प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करूं कि उन्होंने इस बहस के दौरान में बहुत-सी बातें हमारे सामने कहीं जो मैंने सुनीं और मैं समझता हूं हम उनके ऊपर विचार करेंगे। मैं उनको इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बातें कहीं शायद उनसे कुछ और गलतफहमी की बात कह सकते थे, वह उन्होंने नहीं कहीं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो यह अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है हमने पहले ही माननीय सदस्यों के सामने बहुत सी पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं से सूचना रख दी थी और जो कुछ भी इस विभाग द्वारा कार्य होता है उसको दे दिया था, उसके बाद कोई गलतफहमी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य इस बात पर तुले हुए हैं कि कुछ बातें इस श्रम विभाग के खिलाफ कही जायं---आधारपूर्ण हों या निराधारपूर्ण हों। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं और यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट की जो नीति रही है लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में वह श्रमिकों के हित के खिलाफ रही है। मैं चाहता था कि माननीय सदस्य उसका कोई उदाहरण देते कि कौन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से हमारे यहां ऐक्ट हैं, ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि श्रमिकों के अहित में है या उनके हित में नहीं है । मेरे सामने कई ऐसे बिल्स हैं, फैक्टरी ऐक्ट हैं, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट हैं, शाप्स ऐंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट हैं, प्रोटेक्शन आफ माइनर चिल्ड्रेन ऐक्ट हैं, प्रावीडेंट फंड ऐक्ट इत्यादि हैं, जो कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए बनाये गये हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट खास तौर से है जिसका जिक्र मैंने अपने प्राथमिक भाषण में किया था, उसका उद्देश्य यह है कि श्रमिकों और मिल-मालिकों में इस तरह का वातावरण पैदा हो जिससे उत्पादन भी बढ़े और श्रमिकों का स्थान समाज में अच्छे तरीके से कायम हो सके । तो जो भी कानून बनाये गये हैं उनका कोई और उद्देश्य गवर्नमेंट की नजर में नहीं हो सकता और माननीय सदस्य इसको सही दिल से मानते भी हैं कि उनके अहित में नहीं बनाये गये हैं ।

एक यह उदाहरण दिया गया कि श्रमिकों की संख्या हमारे प्रदेश में कम हो गयी है, तो इससे अव्वल तो कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि यह तो कैपिटिलिस्ट्स की तरफ से कहा जाता है कि आपके जो लेबर लाज हैं वह इतने सख्त हैं कि मिलमालिकों के खिलाफ और श्रमिकों के इतने पक्ष में हैं कि हम आपके प्रदेश में काम चलाने में असमर्थ हैं और हमें यह दिक्कत होती है, हम काम नहीं चलायेंगे । यह उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इस तरह की शिकायत की है और करते हैं और उनकी शिकायत यह है कि हमारे ऐक्ट बहुत ही श्रमिकों का पक्ष करते हैं, यद्यपि हमने जो किया है वह श्रमिकों के पक्ष के खयाल से नहीं, बल्कि जो श्रमिकों के अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए और इस खयाल से कि उद्योगों की उन्नति हो और न्यायपूर्ण वातावरण हमारे कारखानों में कायम रहे, इस खयाल से वह बनाये गये हैं । तो मैं समझता हूं कि यह कहना निराधार ही है, जो यह कहा गया है कि ये ऐक्ट जो बनाये गये हैं वह किसी तरीके से श्रमिकों के अहित में हैं ।

[.....]

दूसरा प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ने कहां तक कोशिश की है कि मैनेजमेंट में श्रमिकों का भी हिस्सा हो । दिल्ली में अभी एक कांफ्रेंस हुई थी उसमें सभी पार्टीज के प्रतिनिधि मौजूद थे । सबने यही मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि कानून बनाये जिससे श्रमिकों को अधिकार प्राप्त हो जाय, मैनेजमेंट में भाग लेने के लिये, उन्होंने यह सोचा कि हम कुछ इंडस्ट्रीज को ले लें और कोशिश करें कि ऐसे पार्टीसिपेशन से क्या फायदा हो सकता है, यह साबित करें, ऐसा ख्याल किया जाता है कि दूसरी फैक्टरीज में भी हम इसको लागू कर देंगे और ऐसे कानून के बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

मैं समझता हूं कि जब तक प्रायवेट सैक्टर की गुंजायश है तब तक हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि मिल मालिकों के साथ मिल कर के जहां तक हो सकें इंडस्ट्रीज को चलायें । इस बात का ख्याल रख करके कानून भी बनाये गये हैं कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें । इसके लिये कानून बनाये हैं और अदालतें रखी हैं और हमारी कोशिश यह रही है कि उनको अधिकार प्राप्त हो जायं । जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है उसकी कोशिश रही है कि श्रमिकों की हालत सुधारी जाय और जैसा कि मैंने सुबह कहा कि उनके लिये मकान बनाये जा रहे हैं, वेल फेयर सेंटर्स खोले जा रहे हैं और अन्य सहूलियतें भी दी जा रही हैं जिनसे उनका स्तर ऊंचा हो । हमारी कोशिश यह है कि मिल मालिक और श्रमिक इस तरह से रहें जिनसे एक दूसरे पर विश्वास करके ज्यादा से ज्यादा अपना काम करें और देश की उन्नति करें । इसको ध्यान में रख कर गवर्नमेंट ने जो कुछ श्रमिकों के लिये किया है वह सराहनीय होना चाहिये । मैं धन्यवाद देता हूं और आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अनुदान की स्वीकृति दे ।

[.....] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८ की धनराशि में एक रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--अम और संख्या--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग के अन्तर्गत १,१६,५९,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल)

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं १९५७ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं कि गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह नहीं लाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश मेरे पास मौजूद है । अगर आप देखना चाहें तो देख लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह तो ठीक है लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी को ऐसा कहना चाहिये "गवर्नर महोदय की सिफारिश से" क्योंकि बिना इसके विधान की मर्यादा पूरी नहीं होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी ज्यादा आवश्यकता है यह देखने की कि गवर्नर महोदय की सिफारिश मौजूद है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री जी को १९५७ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--जब तक एप्रोप्रिएशन बिल बंट रहा है तब तक मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूं ।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडियेट एजूकेशन के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजूकेशन में दो स्थानों की पूर्ति के लिये २७-८-५७ को निर्वाचन हुआ । उसमें सर्व श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी तथा श्री जगदीश शरण अग्रवाल को सबसे अधिक वोट मिले । अतः उन्हें बोर्ड का सदस्य निर्वाचित घोषित किया जाता है ।

और भी कलेक्टियों की काउंटिंग हो रही है और जैसे-जैसे काउंटिंग होती जायगी और नतीजा निकलता जायगा वैसे-वैसे सदन को सूचना दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ संस्कृत स्टडीज के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के हेतु २७-८-५७ को ५ बजे तक का समय नामांकन-पत्र प्राप्त करने के लिये था। इस समय तक निम्नलिखित ४ सदस्यों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं जो सूक्ष्म परीक्षा के पश्चात् नियमित पाये गये :--

१--श्री काली चरण अग्रवाल (एटा),

२--श्री दीनदयालु शास्त्री (सहारनपुर),

३--श्री रामलखन तिवारी (बलिया),

४--आचार्य दीपंकर (मेरठ),

जैसा कि कार्यालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जा चुका है इन नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय ३० अगस्त को सायंकाल ३ बजे तक है। यदि इस समय के भीतर २ नाम वापस नहीं लिये गये तो निर्वाचन ६ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल)--(क्रमागत)

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह एक विधेयक है जो एजेंडा में दिया नहीं गया और एकबारगी पेश किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--आप सदन से तो गैरहाजिर रहे। यह प्रश्न उपस्थित किया जा चुका है और उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--केवल उत्तर देने से ही तो काम नहीं चलता।

श्री उपाध्यक्ष--अब आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पर विचार किया जाय। जो अनुदान इस सदन में आजतक पेश हो चुके हैं और मंजूर किये जा चुके हैं उनमें इस साल में रुपया खर्च करने के लिये जो रकमें रखी गयी थीं वे सब इस बिल में लिखी हुई हैं और इस बिल के जरिये से यह अनुज्ञा मांगी जाती है कि यह सदन इसको इजाजत दे कि उस रुपये को इस राज्य के कामों पर खर्च किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस बिल के लिये केवल दो घंटे का समय है और इसमें कोई भाषण का समय बांधना उचित नहीं। तो मैं उनसे आशा करूंगा कि वे संक्षेप में ही भाषण करें ताकि काफी सदस्यों को इस वाद-विवाद में भाग लेने का मौका मिल सके।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अभी प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। इस साल का जो बजट था उसके अन्तर्गत जितने भी अनुदान थे वे सब इस माननीय सदन ने स्वीकार कर लिये और अब इस बिल के

[श्री नवल किशोर]

द्वारा सरकार इस सदन से यह अनुमति चाहती है कि उन अनुदानों के अन्तर्गत जो धनराशि स्वीकृत हुई ह उसको कंसालिडेटेड फंड से निकाल कर खर्च करने की इजाजत दी जाय।

मैं सबसे पहले इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि इस साल जो हमारे बजट के ऊपर वाद-विवाद हुआ उसका स्तर बहुत ऊंचा रहा। मुझे यह भी जान कर खुशी हुई कि हमारे इस सदन में इस बजट के दौरान में हमारे बहुत से साथी जिनको हम राजा महाराजा के नाम से पुकारते थे उन्होंने भी जब अपने भाषण किये तो उनके भाषणों में भी कुछ समाजवाद की सुगंधि आयी। उनकी जो सहानुभूति तथा भावना दलित वर्गों और विशेषकर किसानों और मजदूरों के साथ रही वह भी अपनी जगह पर सराहनीय है।

यह सही है कि जितने भी आइटम्स बजट के हैं सबको इस सदन ने पास कर दिया है; फिर भी मेरा मत है कि यह जरूरी नहीं है कि वह तमाम धनराशि जो भिन्न भिन्न आइटम्स में दी गई ह सब खर्च ही की जानी चाहिये। मैं इस बात क लिये सरकार से और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि इस भवन को इतना समय नहीं मिलता है कि बजट के ऊपर डिटेल्स में जा सके और हर आइटम को एक्जामिन कर सकें, लिहाजा इस बजट के पास होने के बावजूद एक बड़ा उत्तरदायित्व उनके ऊपर आ जाता है कि वे शिड्यूल आफ न्यू डिमांड्स को दोबारा, तिबारा और हो सके तो चौबारा और पांच बार भी दुहरायें और उन पर गौर करें और यदि ऐसे आइटम्स हैं जो छोड़े जा सकते हैं या जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है तो उनको किया जाना चाहिये। यहां पर मैं संकेतमात्र करके माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान केवल दो आइटम्स की तरफ आकर्षित करूंगा। एक तो यह कि ग्रांट नम्बर २२ के अन्दर हमने ८,४१,९०० रुपये की एक ग्रांट स्वीकार की है। इससे पीलीभीत जिले में १० हजार एकड़ जमीन रिक्लेम की जायगी और उस पर ६७५ फैमलीज को बसाया जायगा। यों तो यह स्कीम साढ़े ८५ लाख की है और यह भी सही है कि इसके लिये आधा पैसा गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलने वाला है। मेरा ऐसा विचार है कि कुछ ऐसी भावना हमारे कर्मचारियों की रहती है कि जो पैसा केंद्रीय सरकार से आता है वे उस पैसे का कोई विशेष मूल्य नहीं समझते। मैं समझता हूं कि यह स्कीम बहुत कीमती है। ६७५ फैमिलीज पर यह रुपया खर्च किया जायगा तो एक फैमिली पर १,२०० रुपये से अधिक पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस योजना को अच्छी तरह से एक्जामिन करके देखें। मेरी राय यह है कि इसको इस वक्त बड़ी आसानी के साथ पोस्टपोन किया जा सकता है।

दूसरी स्कीम नया कांउसिल हाउस बनाने की है। यद्यपि इसमें इस वर्ष २, ३ लाख की धनराशि मांगी गई है और उसको स्वीकार भी कर दिया गया है, मगर पूरी योजना जैसी है उसके लिये बहुत ज्यादा रुपये की --लगभग ३० लाख की जरूरत होगी। हमारा जो अपर हाउस है, यह सही है कि उसकी सदस्य संख्या ७२ से १०८ होने वाली है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह सदन भी पहले २२८ सदस्यों का था और आज ४३१ सदस्य इस हाउस के हैं। यह हाउस भी बढ़ा, लेकिन यहां सीट्स का अरेंजमेंट कर दिया गया। मेरा विचार है कि अगर कौंसिल के अन्दर सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया जाय और उसको कुछ तब्दील कर दिया जाय तो अभी २,४ साल के लिये नया कौंसिल हाउस बनाने की बात टल सकती है।

मान्यवर, जितने भाषण यहां हुये उनमें माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। खास तौर से दो तीन बातों पर जोर रहा है। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरी इनएफीशियेंसी, और तीसरी बचत की बात थी।

जहां तक बचत का सवाल है मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस तरफ कुछ ठोस कदम उठाये हैं। आज से चार-पांच साल पहले एक इकानामी कमेटी बनी थी। उसने बड़ी मेहनत के बाद कुछ सिफारिशें सरकार के सामने रखी हैं। कुछ को सरकार ने माना है और कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जो हमारे सामने नहीं आयी हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि इकानामी कमेटी को एक परमानेंट बाडी बना दिया जाय और वह हमेशा एक स्क्रूटिनी कमेटी की तरह से काम करे। हर विभाग की चीजों के लिये दिन ब दिन के खर्चों को देखें और उनको कंट्रोल करें, और जहां भी बचत संभव हो उसको करें। मेरा अपना विश्वास है कि सरकारी विभागों के अन्दर काफी गुंजाइश इस बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार यह चाहती है, और अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक जी०ओ० ईश्यू किया है कि पहली अक्टूबर तक हम जितनी सरकारी गाड़ियां, स्टाफ कार्स हैं, उनको वापस ले लेंगे। उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं ही नहीं, सभी सदस्य, और सारा प्रदेश इसका स्वागत करेगा। एक शिकायत यह बहुत दिनों से चली आ रही थी कि हमारी कार्स का प्रयोग गलत होता है लिहाजा कार्स का देना बन्द होना चाहिये।

मुझे एक बात का डर है और इसलिये मैं सरकार को थोड़ा सावधान कर देना चाहता हूं। मुझे डर यह है कि विभाग के कर्मचारी इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि सरकार का जो जी० ओ० इश्यू हुआ है उस पर कार्य न किया जाय। इस तरह की बातें कानों में आ भी रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार ने जो जी० ओ० इश्यू किया है वह सही है और सरकार मजबूती के साथ उस पर अपना कदम आगे बढ़ाये।

इस सदन में मैंने पहले भी कहा था और दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि, शासन में जहां पर खर्चे में कमी की बात है वहां पर हमारी सबकी यह मांग रही है कि हमारी सरकार तमाम विभागों के कर्मचारियों से अपील करे कि वह अपनी तनख्वाह में से १० परसेंट कम करायें। मुझे विश्वास है कि उनके अन्दर भी देशभक्ति है। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के सफल होने में उनका भी पूरा-पूरा योग होना चाहिये। मेरा विश्वास है कि सरकारी कर्मचारी हमारी अपील पर ध्यान देंगे, लेकिन अगर वह ध्यान नहीं देते हैं तो विधान ने जो हमको पावर दी है उसको इस्तेमाल करने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिये।

इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत कीमती साहित्य आर्ट पेपर पर छपवा कर हमें बांटा जाता है। एक बहुत बड़ा फोटो छपता है और दूसरी तरह की फोटो उसमें छापी जाती है। इस प्रकार की मनोवृत्ति बढ़ती जाती है। सरकार को चाहिये कि इसको रोकने का प्रयत्न करे।

भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं। यहां पर इस समय कोई विशेष अवसर उसके कहने का नहीं है, किन्तु जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया है सरकार की ओर से और विभाग के मंत्रियों की तरफ से, उससे मुझे विश्वास पैदा होता है कि यह जो हमारा अगला साल है इसके अन्दर सरकार ते जी के साथ हम सब के सहयोग से इसकी तरफ कदम उठायेगी। इस संबंध में हमने देखा कि कुछ भाइयों ने यहां पर कुछ मकानों की शिकायतें कीं। उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कोठियों वगैरह के बारे में जो शिकायत है उसकी वह खुद जांच करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसी स्पिरिट के साथ प्रत्येक मंत्री अपने-अपने विभागों के बारे में जो शिकायतें हैं, चाहे वह किसी बड़े अफसर के बारे में ही क्यों न हों, अवश्य ध्यान दें। इसका बहुत बड़ा असर यह होता है कि आम जनता में इस तरह का विश्वास पैदा होता है कि सरकार इस भ्रष्टाचार को बिलकुल समाप्त करना चाहती है।

[श्री नवल किशोर]

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि हमारा जो बजट होता है उसमें जो एस्टीमेट हमारे सामने आते हैं उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हमारे जो विभागीय संचालक या हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं, वह जो बजट भेजते हैं वह हेपहेजर्ड होता है और खासकर इंजीनियरिंग विभाग की यह शिकायत रही है कि हमारे जो शुरू के एस्टीमेट आते हैं वह आखीर तक काफी बढ़ जाते हैं और काम को शिड्यूल टाइम में पूरा करने की पाबन्दी का ध्यान नहीं रक्खा जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने माताटीला बांध तथा अर्जुन बांध के लिए एक हाई पावर कमेटी नियुक्त की है, जो इन दोनों बांधों के बारे में जांच करेगी कि जो उनके लिये बजट रखा गया था उसमें बढ़ोत्तरी क्यों हुई है और वह समय में पूरे क्यों न हो सके। मुझे विश्वास है कि इसका और विभागों पर अच्छा असर पड़ेगा।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटीज़ का संबंध सीधा बजट से रहता है। वह सही तरीके पर ध्यान दे सकती है। लिहाजा उनको अधिक शक्ति मिलनी चाहिये।

उद्योग का अनुदान पास हुआ। एक संतोष की बात है कि हमारे प्रदेश के औद्योगीकरण में कुछ प्रगति हुई। मुझे बहुत ज्यादा संतोष तो नहीं है, क्योंकि जितनी प्रगति हमारे प्रदेश में, उसका क्षेत्रफल तथा संख्या देखते हुए होनी चाहिये थी उतनी औद्योगीकरण के सम्बन्ध में नहीं हुई। बहरहाल हमारी कोशिश इस तरफ भी है।

इस संबंध में इतना कहना चाहता हूं कि जितनी हमारी कर्मशियल इंटरप्राइजेज हैं वह उतनी कामयाम नहीं हो सकी हैं जितना उनको होना चाहिये। मेरा अपना ऐसा खयाल है कि इसमें फाइनेन्शियल हैंडबुक भी बहुत कुछ बाधा डालती है। माननीय मंत्री जी भी इस बात को सुनने के लिये तैयार हैं कि कौन-सी चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंशल हैंडबुक की वजह से बाधा डालती हैं। मुझे आशा है वह उसमें आवश्यक संशोधन करेंगे।

इंडस्ट्रियल ऐंटरप्राइजेज का आपका परसोनल भी मिसफिट है। आई० ए० एस० और पी० सी० एस० से आप अपनी फैक्ट्रियों का संचालन कराने में कामयाब नहीं होंगे। उनकी ट्रेनिंग और मैन्टैलिटी दूसरी होती है। इसलिये इंडस्ट्रियल और कर्मशियल काडर हमारी सरकार को बनाना चाहिये, क्योंकि हमें पब्लिक सैक्टर में बहुत चीजों को बढ़ाना है। प्राइवेट ऐंटरप्राइज में, जैसे टाटा आदि हैं, वहां भेजकर आप अपने आदमियों को ट्रेनिंग दिलवाइये।

हमारे बजट के समय की बात यहां कई बार आ चुकी है। मैं जानता हूं कि इसका संबंध केंद्रीय सरकार से भी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह सरकार केंद्र को इस बारे में लिखे। मार्च में ज्यादा पैसा खर्च होता है उसे चेक करना चाहिये। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि बजट के लिये हमको बहुत कम समय मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी सोचें कि सदन को बजट की बहस के लिये कुछ और समय दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का दोबारा समर्थन करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि हमारा यह बजट पास होगा और हम सब चाहे जिधर बैठे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, सब मिलकर कोशिश करें कि हमारा प्रदेश दिन पर दिन खुशहाली और प्रगति की ओर बढ़ता चला जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं जरा स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहले ही हम लोगों को खड़ा होना चाहिये था। हमने यह निश्चय किया है कि चूंकि अनावश्यक रूप से एकदम कार्यक्रम इस प्रकार बदल दिया गया है, तो हम इस विधेयक के संबंध में कार्यवाही में बोलने के रूप में भाग न लें।

श्री उपाध्यक्ष--जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हों वे कृपया खड़े हो जावें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, यह सारा बजट इस माननीय सदन के सामने सरकार द्वारा रखा गया है। सभी प्रकार के मतों और पक्षों से बातें कही गईं। मैं समझता हूं कि जितनी बातें इस विवाद में आईं उनके द्वारा सरकार को यह तो मालूम हो ही गया होगा कि सम्पूर्ण सदन का सेन्स क्या है। परन्तु फिर भी मैं उस विषय में एक बात अवश्य रखूंगा। चाहे जिस पक्ष से बात उठी हो, सब ओर से यह बात रही है कि जहां तक शासन की दंडनीति का प्रश्न है, या अन्यान्य विभागों के संचालन का संबंध है, वह समाज के प्रति रेसपांसिव होना चाहिये। कुछ दिन पूर्व माननीय गृह मंत्री ने सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह के बारे में प्रश्नों के उत्तर में कहा था कि उनको सरकार ने दंड इसलिये दिया कि उन्होंने कानून भंग किया, और जब उनसे पूंछा गया कि सरकार की नीति क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया कि मूर्तियों को हटाने के संबंध में हमारी नीति वैसी ही थी। तो उस समय प्रश्न हुआ कि जब आपकी नीति उसी प्रकार की थी और उसे बढ़ाने में अगर कोई व्यक्ति या दल अग्रसर होता है तो उसे आप दंड क्यों देते हैं ? तो उत्तर मिला कि, कानून भंग करने पर। मैं चाहूंगा कि यह सरकार कम से कम इस बात को स्पष्ट करे कि जब नीति और कानून में संघर्ष हो तो फिर केवल राजनीतिक मतभेद को आधार मानते हुये दंड देना उचित नहीं हुआ करता। यह इस बात को सिद्ध करता है कि शासन वुडन है और इरेंसपान्सिव है। जहां सरकार को रेसपांसिव होने की आवश्यकता है वहां उसके साधनों को भी रेसपांसिव होने की आवश्यकता है। बहुत बार लोगों को यह कटु अनुभव हुआ कि शासन का साधन वुडन है और वह शासन-कर्त्ता से अपने को सुपीरियर मान लेता है। उसके परिणामस्वरूप शासन की कुछ भी इच्छा हो, लेकिन उसका उचित प्रयोग न होने के कारण समय-समय पर भीषणता हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार अपने साधनों पर ठीक से कंट्रोल करे और उन पर अनुशासन रखे। उसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी करके कोई सरकारी कर्मचारी निकलने नहीं पावे चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। यदि बड़े से बड़ा अधिकारी कोई अनुचित लाभ उठाता है, अपने स्थान का अनुचित लाभ उठाता है, तो कड़े से कड़ा दंड देने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से मैं आशा करूंगा कि अभी सदन में जो कथा मकानों की और जमीनों की उठी है, जो सरकारी कर्मचारियों ने किया है, जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने हमको जांच करने का आश्वासन भी दिया है, उसकी जांच के बारे में कठोर और उचित कदम सरकार उठावेगी और अगर इसमें माननीय मुख्य मंत्री को यह विश्वास हो जाता हो कि उन अधिकारियों ने गलत कार्य किया है, तो उनके ऊंचे स्थान का ध्यान न करते हुए उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाय, यह मेरा निवेदन है। जब आपके कर्मचारी इस बात को समझ लेंगे कि गलत कार्य करने पर, चाहे कोई कितना बड़ा हो, उनको भी दंड मिलता है तो छोटे से लेकर बड़े तक सब अपने कार्य में दक्ष और ईमानदार रहेंगे और इस भय के फलस्वरूप कार्य भी अच्छा चल सकेगा।

इस सदन में वादविवाद से यह भी इच्छा सबकी निकली है कि शासन में इकानामी और एफीशियेन्सी होनी चाहिये। इकानामी का यह अर्थ न लगाया जाय कि ऐट ऐनी कास्ट हो। इकानामी सदैव एफीशियेन्सी के साथ होनी चाहिये। जितना भी पैसा, समय या अधिकारी आप लगावें, उसका फल इस दृष्टि से भी तोल लें कि उसमें वेस्ट तो नहीं हुआ है। सरकार के बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनके पीछे पैसा और अधिकारी बहुत लगे हैं, परन्तु उनका आउटपुट उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है। इसके बारे में आपकी समितियों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना की इवेलुएशन कमेटी बनी है उसने कई स्थानों पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जिस मात्रा में प्रगति अपेक्षित थी उसमें नहीं हुई। प्रगति कराने के लिए आवश्यक है कि आप जरा अपनी रासों को कसें। जैसे एक घुड़सवार अपनी इच्छा के अनुसार घोड़े से काम लेने के लिये उसकी रासों को कस कर रखता है उसी प्रकार आप भी शासन की रासों

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

को कस कर रखें। कहीं दुर्भाग्य से ऐसा न हो कि घोड़ा आपकी सवारी करके आपको दौड़ाने लग जाय। कभी आपने कर्मचारियों के कार्य का एफ़ीशियसी आडिट भी कराया। यहां कई बार यह प्रश्न उठा है कि क्या आपके एफीशियसी आडिट आफीसर या इंस्पेक्टर आफ आफिसेज एफीशियसी का आडिट करते हैं? क्या आपके दौरा करने वाले अधिकारी कभी इस बात को देखते हैं कि उनके मातहतों ने कैसा काम किया और एफीशियसी आडिट की दृष्टि से भी उसे देखने का प्रयास किया है? क्या तब्दीली हुई, क्या सरकारी कर्मचारियों में एफीशियेंसी बढ़ी या घटी, और अगर घटी तो क्यों घटी और नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी? अगर इसका विश्लेषण किया जायगा तो अवश्य ही आपकी एफीशियेंसी बढ़ेगी। जब एफीशियेंसी बढ़ेगी तो कोई कारण नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इकानोमी न हो। इकानोमी एक ऐसा विषय है जिसके कारण बाज मित्रों में यह विश्वास जमता चला जा रहा है कि कहते तो इसको वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन वास्तव में यह स्वेलफेयर स्टेट है। जहां देखिये अधिकारी तो बढ़ाये जा रहे हैं, लेकिन एफीशियेंसी नहीं बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सूचना विभाग है जो बड़ा जबरदस्त है। उसमें टूरिंग अधिकारी भी बहुत से हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस सदन की मेज पर किसी विभाग की भी ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट नहीं रखी जा सकी, क्योंकि किसी भी ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट से उस विभाग का एवैल्यूएशन होता है, आप टामस कुक एण्ड कम्पनी की तरह से एक्टीविटीज रिपोर्ट सदन के सामने रख देते हैं, लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों का प्रश्न है उनको कार्य में कितनी प्रगति हुई है या घटोत्तरी हुई है, इसके जानने की आवश्यकता होती है। इसलिये ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट का ठीक समय पर आना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स रखने की पहली पद्धति थी उसको फिर से लागू किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निवेदन किया था कि भाषण जहां तक हों, संक्षिप्त हों।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मान्यवर, १० मिनट और दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—दस मिनट तो आपके हो गये, अब और १० मिनट नहीं दिये जा सकते।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अच्छा तो केवल ५ मिनट ही दे दिये जायं।

तो कृपया ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हमारे सामने रख दिया करें। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न हमारे सामने इकानामी का है। दूसरे आपके टैक्स बढ़ाने से लोगों की पर्चेजिंग पावर घट रही है। लगान को भी यदि टैक्स में जोड़ दिया जाय तो आपका टैक्स बढ़ा हुआ है। ऐसे समय में जब टैक्सों के कारण लोगों की पर्चेजिंग पावर घट रही है, प्रकृति का प्रकोप भी हो रहा है, आपको टैक्सों में रिलीफ देना चाहिये। इस प्रकार से आपको ऐडमिनिस्ट्रेशन में इकानोमी करने की आवश्यकता है, एफीशियेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता है और टैक्सों को कम करने की आवश्यकता है।

एक सुझाव और दूंगा और वह प्लानिंग के बारे में है। हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिये उसमें शिक्षा की क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों प्रकार से उन्नति होनी चाहिये। कुछ दिनों पूर्व यहां से कुछ विशेषज्ञ रूस गये। उन्होंने शिक्षा के बारे में रिपोर्ट दी कि रूस का सारा अर्थ और मानव शिक्षा को बढ़ाने में लगा हुआ है। श्रीमन्, आप ही सोचें कि यदि व्यक्ति अशिक्षित रहें तो हमारी सारी प्लानिंग की जो योजनाएं हैं वे कभी भी सफल नहीं हो सकतीं। अगर यह प्रश्न उठाया जाता है कि शिक्षा को क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों प्रकार से बढ़ाने के लिये रुपया कहां से आयेगा, तो उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आप १० प्रतिशत बचत पर विचार कर रहे हैं, क्यों नहीं श्रीमन्, मंत्री महोदय अपने-अपने विभागों को कहते हैं

कि वे अपने खर्च को १० प्रतिशत कम करें और उसको शिक्षा विभाग को दे दें। इससे शिक्षा का विकास हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैंने निवेदन किया कि शिक्षकों का उत्थान करना आवश्यक है? आज सरकारी और गैरसरकारी शिक्षकों में जो वैषम्य पाया जाता है वह सरकार को अविलम्ब दूर करना चाहिये। क्या कारण है कि दोनों की शिक्षा और दीक्षा एक समान होते हुये यह वैषम्य उनके बीच अभी तक है? मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रकार से शिक्षा विभाग के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अपने अधिकारियों को आप इस ओर प्रोत्साहित करें कि कम से कम पैसा खर्च हो।

इसके अतिरिक्त एक बात की तरफ मैं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कि ३० मार्च को रुपया खर्च करने की बड़ी भीड़ लगती है। लोग यह सोचते हैं कि अगर कुछ पैसा बच गया तो लैप्स हो जायगा। क्यों नहीं उनसे यह कहा जाता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करो तो तुम्हारी सफलता और बहादुरी समझी जायगी, तुम्हारा गुण माना जायगा; यह नहीं होना चाहिये कि पैसा किसी तरह से खर्च करना है ताकि वह लैप्स न हो। उनसे कहा जाय कि कम पैसा खर्च करो और अधिक काम करो तभी तुम्हारा श्रेय माना जायगा और इसी तरह से हम इकानामी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अन्त में, मैं इन शब्दों के साथ फिर निवेदन करूंगा कि सरकार और मंत्री लोग सदन की सारी बातों का, सब सुझावों का ध्यान रखते हुए, सेंस आफ दि हाउस को लेते हुए, अपने इस बजट को खर्च करने का प्रयास करें।

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज यह सदन ७ बजे तक या उस वक्त तक बैठे जब तक कि आज के एजेंडे का पूरा कार्यक्रम समाप्त न हो।

श्री उपाध्यक्ष—इस संबंध में मैं सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १५८ के उपनियम (२) की तरफ आकर्षित करूंगा जो इस प्रकार है कि "अध्यक्ष ऐसे विधेयकों को समय के भीतर पारित करने के लिये किसी नियम की क्रिया का निलम्बन कर सकेगा।" तो मुझे इससे विशेष अधिकार वैसे ही है कि जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक सदन को चलने दूं। इसलिये इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि आज के एजेंडे पर इस बिल के अलावा एक आइटम और है जिसके लिये आवश्यक हो जाता है कि सदन का समय बढ़ा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह आधा घंटा का विवाद तो हमेशा हाउस के बिजनेस के बाद ही होता है। जो यह आइटम है वह तो वैसे ही बाद में आधे घंटे के लिये आ सकता है, इसलिये इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह जो आखिरी आइटम आधा घंटे का है मुनासिब हो तो इसे किसी और दिन, या कल रखा जाय ५ बजे के बाद।

श्री उपाध्यक्ष—किसी को कोई एतराज न हो तो मैं इसे कल रख दूंगा। (श्री मोहनलाल वर्मा से) आप को तो कोई एतराज नहीं है।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—जी हां, कल ले लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लेकिन वह हफ्ते में दो ही दिन आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—साधारणतया सप्ताह में दो ही दिन इस विषय के लिये रखे गये हैं, परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे चाहें तो किसी और दिन भी रख सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले मास की १९ तारीख को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत बजट पेश किया था। उस समय से आज तक बहुत से माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर सक्रिय सुझाव दिये और सरकार की ओर से भी मंत्रिगण ने भविष्य के लिये अपनी ओर से बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी प्रदेश का बजट सरकार के उस आकार को जनता के सामने प्रस्तुत करता है जिस आकार को वह आगे लाना चाहती है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक अरब से भी ऊपर के बजट का बीसियों करोड़ रुपया सिर्फ गिलोटीन वोट के साथ पास किया गया और सदस्यों की दिली ख्वाहिश होते हुये भी उनको अपनी राय जाहिर करने का अवसर नहीं मिला। कारण यह रहा कि समय कम था। सन् ३७ में जब १२ या १३ करोड़ रुपयों का बजट था तब भी इतना ही समय था, सन् ४६ में जब आज के बजट का केवल ५० प्रतिशत ही बजट था तब भी इतना ही समय रहा, और आज भी जब कि एक अरब से ऊपर का बजट है तब भी उतना ही समय हमें मिला। साथ ही साथ जब कि २२८ के मुकाबले में आज ४३१ एम० एल० ए० साहबान हैं तब भी उतना ही समय इस बजट के ऊपर बहस करने में दिया जाता है। मुझे यह आशा है कि भविष्य में बजट के लिए और अधिक समय मिलेगा जिससे कि हमारे माननीय सदस्य इस बजट के एक एक पैसे के ऊपर अच्छी तरह से बहस कर सकें और सरकार को सुझाव दिये जा सकें। बजट की प्रत्येक ग्रान्ट आज पास हो चुकी है। पास हो जाने के बाद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है कि उस रुपये का, जो यहां से पास हुआ है और जिस पर प्रदेश के साढ़े छः करोड़ नागरिकों का भविष्य निर्भर है उसका, किस तरह से सदुपयोग किया जाय।

दो प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो खर्चा होना है उसमें हम कितनी इकानामी कर सकते हैं और दूसरे जो हमारी आय की मदें हैं उनमें हम कितनी और वृद्धि कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों पर, मैं यह आशा रखता हूं कि, हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी और हमारी समूची सरकार खासतौर से ध्यान देगी। आज जितना धन ग्रान्ट में पास हुआ है उसमें कितना हम सेव करें, कितनी इकानामी करें, यह सब तभी हो सकता है जब कि हम अधिक से अधिक सचेत रहें उसके एक्सपेंडीचर के ऊपर और जितनी हमारी आय की मदें हैं उसके लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास इस बात का करें कि हमारी अर्निंग बढ़े और यह जो डेफिसिट हमको दिखायी पड़ता है, हमारी अर्निंग या हमारी किफायतसारी से वह डेफिसिट न रह कर के सरप्लस बजट हो जाय। इसके साथ-साथ आज जरूरी यह भी है कि माननीय मन्त्री महोदय अपने अपने विभागों में वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को, जहां तक हो सके, चेक करने की कोशिश करें। अखबार में एक दिन देखने का मौका मुझे मिला था कि इस कौंसिल हाउस को सजाने के लिए, इसके डेकोरेशन के लिए ५ लाख रुपये की योजना है। सजाना यहां का आवश्यक है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां प्रदेश में इससे भी और बड़ी बड़ी जरूरी चीजें हैं तो उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तक पोस्टपोन किया जा सकता है। हमारी लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिए दूसरा भवन बनने जा रहा है। उसको भी अभी स्थगित किया जा सकता है और जिस प्रकार कि इस सदन में २२८ के स्थान पर ४३१ एम० एल० एज० के बैठने का स्थान बनाया गया है उसी प्रकार से कौंसिल के भवन में भी बैठने की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। इसमें रुपये की बचत की जा सकती है। किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि हम, जो आगे का हमारा ५७-५८ का बजट ईयर है, उसमें किस हद तक एफीशियेंसी ला सकते हैं और किस हद तक हम करप्शन को चेक कर सकते हैं, इसकी तरफ हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। मैंने पेश्तर भी कहा था कि हम गर्व कर सकते हैं, और हमारे विरोधी भाई जो हमारे सम्मुख बैठे हैं चाहे न मानें इस बात को, लेकिन आंख उनको भी दी है ईश्वर ने और दिमाग भी दिया है, वह अपनी आंख से इसको अच्छी प्रकार देख सकते हैं कि प्रदेश में पिछले दस सालों से, जिस दिन से आजादी हमारे देश में हुई है,

विकास के इतने कार्य हुए हैं जितने कि अंग्रेज डेढ़ सौ साल में भी न कर सके थे। लेकिन फिर भी हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में कितनी एफीसियन्सी बढ़ी है, हमने करप्शन को कितना और किस हद तक चेक किया है यह प्रश्न हमारे उस विकास का दूसरा पहलू है मैं यह आशा रखता हूं कि जितनी तवज्जह हमारी सरकार की विकास की तरफ है उतनी ही या उससे भी अधिक तवज्जह हमारी गवर्नमेंट की ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफीसियन्सी लाने और करप्शन को चेक करने में होनी चाहिए। जब तक हम करप्शन को चेक नहीं कर सकेंगे, जब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिसियन्सी न प्राप्त कर सकेंगे तब तक हम जनता का विश्वास सरकार के उन विकास कार्यों में अथवा सरकार में अधिक पैदा न कर सकेंगे। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में बेटर मैं नेजमेंट की तरफ हमारा ध्यान होगा और लगातार हमारी यह कोशिश होगी कि हम अधिक सेव (Save) करें और अपनी आय को बढ़ावें।

जैसा कि जनरल बजट पर भी मैं कह चुका हूं, मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस बात की कोशिश करें और अपील निकालें कि जितने भी सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी हैं वे स्वतः और स्वेच्छापूर्वक अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये, विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिये अपने वेतनों में दस फीसदी की कटौती उसी प्रकार करें जिस प्रकार कि माननीय मंत्री महोदय ने रास्ता दिखाया है।

मैं इस ओर भी खास तौर से वित्त मंत्री की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि निर्माण कार्यों के जो एस्टीमेट्स शुरू में पेश किये जाते हैं बाद में कभी-कभी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स डेढ़ गुना और पौने दो गुना तक कर दिये जाते हैं। यह एक तरीका होता है करप्शन का। इस तरफ खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इधर भी खासतौर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज २८ तारीख को एप्रोप्रियशन बिल पास हो जायगा। आपको चाहिये कि जिलों को आप शीघ्रातिशीघ्र सूचना भेज दें कि बजट में तुम्हारे लिये फलां स्कीम के लिये इतना रुपया रक्खा गया है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि इधर ३१ मार्च आई या मार्च का महीना आया तो धड़ाधड़ लाखों रुपये का इस्तेमाल होना शुरू होता है। ३१ तारीख को रात दिन काम करते हैं लालटेनें जलती हैं, बिजलियां जलती हैं कि कहीं वह रुपया लैप्स न हो जाय, लिहाजा सारा रुपया खर्च कर दिया जाय। मेरी माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि इस बजट के पास होते ही इस बात की चेष्टा करें कि जितना रुपया उन्हें जिस मद के लिये खर्च करना है उसकी सूचना वे जल्दी से जल्दी जिलों में भिजवा दें, ताकि उसके खर्च के लिये जल्दी से प्रबन्ध किया जा सके।

मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि स्माल सेविंग्स की ओर हमारी खास तवज्जह हो और चाहे किसी भी विचार धारा के कोई माननीय सदस्य हों उनका खास प्रयास हो कि स्माल सेविंग्स की स्कीम को कामयाब बनाने के लिये पूरी इमदाद दें जिससे हमारे प्रदेश की आय बढ़ सके।

कोआपरेटिव सोसाइटीज के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के कोआपरेटिव मूवमेंट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इनएफीशियेंसी है कि अगर उस तरफ खास तवज्जह नहीं दी गई तो हमारे देश का भविष्य बहुत हद तक उतना उज्ज्वल नहीं होगा जितनी कि हम आशा करते हैं।

साथ ही हमारे माननीय मंत्री महोदय और बड़े कर्मचारी जो एयर कंडीशन्ड कम्पार्टमेंट्स में ट्रेवल करते हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जमाना इकानोमी का है; इस ओर वे खास तौर से तवज्जह दें कि एयर कंडीशन ट्रेवलिंग का अपने प्रदेश के विकास के लिये वे त्याग करें।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के दिन माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने ९५ रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमास ५ रुपये की तनख्वाह बढ़ाई। ७० साल से अधिक जो वृद्ध हों और निस्सहाय हों और जिनकी कोई आमदनी न हो उनके लिये पेंशन देने की व्यवस्था की है। छठी क्लास तक फीस मुआफ की है, सौ रुपये तक के वेतन पाने वालों के लड़कों की नवीं क्लास तक आधी फीस मुआफ रहेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ में खास तौर से यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह ऐसी योजना बना कर चलें जिसके अनुसार इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन ७५ रुपये से कम न रहे। अब उन्हें यह भी प्रयास करना चाहिये कि अधिक वेतन प्राप्त करने वालों का वेतन घटते घटते तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १,००० रुपये से ज्यादा न रहे। यह जमाना प्लानिंग और नियोजन का है, उसके अनुसार हम चलें, तभी हम अपने बजट को भी ठीक ढंग से नियोजित कर सकते हैं और आगे प्रगति भी कर सकते हैं।

डेरी और एग्रीकल्चर फार्म्स की तरफ कृषि मन्त्री की तवज्जह खास तौर से दिलाना चाहता हूं। हमारी जितनी भी डेरीज हैं और कृषि फार्म्स हैं उनको पिछले जमाने से देख रहा हूं कि वह अधिक क्षति में, नुकसान में चलते हैं। मुझे यह उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि माननीय कृषि मंत्री महोदय इसकी तरफ ज्यादा तवज्जह देंगे कि हमारे फार्म्स और डेरी कुछ आय भी हमारे प्रदेश को दें और उनके मैनेजमेंट में एफीसियन्सी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़े।

यह सारी बातें कह कर मैं एक मिनट भी ज्यादा न लेकर सिर्फ इतना और कह देना मुनासिब समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऐक्ट पिछले ५ साल से अमेंड होने वाला है। एक सेलेक्ट कमेटी बनी, कैबिनेट की तरफ से एक सब-कमेटी बनी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। आज तक क्या निर्णय होने वाला है यह भी पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को और आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर महोदय को, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मंत्री महोदय को यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उसमें एक व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और अगर हम उसमें ऐसा करते हैं और जनतंत्र को जिले तक पहुंचाते हैं तो प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मिला करके जिला प्लानिंग कौंसिल, जिला डेवलपमेंट कौंसिल या जिला कौंसिल उसको नाम दें। इससे हम बहुत अधिक एफीसियन्सी अपन ऐडमिनिस्ट्रेशन में ला सकते हैं और सेविंग भी काफी कर सकते हैं, साथ ही करप्शन को बहुत हद तक रोक सकते हैं।

ये बातें कह कर मैं फिर बधाई देता हूं इस बजट पर माननीय वित्त मंत्री महोदय को और आशा करता हूं कि जो सुझाव सक्रिय रूप से इस आदरणीय सदन में सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उन पर सभी माननीय मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय खासतौर से ध्यान देंगे और उनसे फायदा उठाकर जनता के सामने आने वाले वर्ष में अपनी सुव्यवस्थाओं से, एक ऐसा नकशा प्रस्तुत करेंगे जिससे जनता का विश्वास अधिक से अधिक सरकार में उत्पन्न हो सके और ज्यादा से ज्यादा सेवा भी जनता की हो सके।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि आपको थोड़ी सी टाइमिंग में सहूलियत भी हो जायगी, हमारे दल से, जिस रूप से यह विधेयक लाया गया है उसके विरोध में कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा। इसलिए इससे भी सुविधा हो जायगी, अधिक समय आप दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—इस नियम का आप बोल-बोल कर उल्लंघन कर रहे हैं। अगर चुप भी रहते तो मैं समझ लेता।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर बहुत ही कम बोलना चाहता हूं। आज ही प्रवर समिति की अंतिम बैठक थी, मुझे उसमें शरीक होना था, लेकिन मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि मैं कुछ दो चार बातें अवश्य कह लूं। मैं इस नाते भी कुछ विचार आपके सामने रख रहा था कि मैं बाहर से एक नया सदस्य हूं और बड़ी तटस्थता से यह देखना चाहता था कि हमारे प्रान्त के आय-व्ययक पर किस प्रकार से सरकार द्वारा सुझाव सुने या माने जाते हैं। मुझे तो सारी कार्यवाही, जो १८ रोज तक होती रही और एक अरब से ज्यादा रुपये के सम्बन्ध की थी, वह सभी देख कर जरा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने की बात इसलिये थी कि हो सकता है कि जो सदस्य पुराने हैं और प्रति वर्ष इस कार्यवाही में भाग लेते रहते हैं, उनको खटकती न हो, लेकिन जो सदस्य बाहर से आये हुये हैं और अनुभव सीखने के लिये आते हैं, उनको जरूर खटक पैदा होती है। बात यह है कि हम समझते हैं कि हमारा देश अब स्वतंत्रता प्राप्त करके दस वर्ष पुराना हो चुका है। अब हमारा देश किसी दूसरे राज्य द्वारा शासित नहीं है। हमारे लोगों के द्वारा ही शासित है। अतः चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के हों, दोनों एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किन्तु जब बजट का वादविवाद होने लगता है तो ऐसा मालूम होता है कि दोनों पक्ष दो लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। एक पक्ष अपनी बात के समर्थन के लिये तर्क पेश करता है और जिद करता है और हर हालत में उस पर जमा रहता है। दूसरा पक्ष सचाई के साथ बहुत सी बात कह सकता है और उसकी सच्चाई में बहुत से तथ्य भी हुआ करते हैं, फैक्टस हुआ करते हैं, लेकिन उन सबको इसलिये नहीं माना जाता है कि वह विरोधी पक्ष की ओर से आये हैं।

यह बात मैं कहने के लिये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके अनुभव से कह रहा हूं।

(इस समय ५ बज कर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गयाबख्श सिंह, पीठासीन हुए।)

मैंने देखा है कि यद्यपि बड़ी बड़ी मांगों में हर हिस्से पर बहस नहीं हो सकी और थोड़े से दृष्टिकोण को लेकर ही विवाद हो पाया, किन्तु जिन बातों को विरोधी पक्ष ने उचित समझा और संकुचित भाषा में कहा और उन विषयों को लेकर कहा जो आवश्यक थे और कहने के साथ तथ्य भी पेश किये और कहने वाले जिम्मेदार पुरुष थे, उन्होंने अपनी जानकारी के साथ हर चीज को सचाई के साथ कहा, लेकिन उन सबका परिणाम क्या निकला? मुझे आश्चर्य होता है कि इन सारे दिनों के विवादों में कई कट्स पेश हुये। उनमें एक भी हमारे सरकारी पक्ष द्वारा मान्य नहीं समझा गया, जिनका विरोधी पक्ष द्वारा जिक्र किया गया, बल्कि अच्छी से अच्छी बातों का भी मखौल उड़ाया गया।

मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ मंत्रियों ने अपनी मद को पेश करते समय बड़ी उदारता के साथ कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हारे सहयोग से काम करने के लिये तैयार हूं और हर बात को मानने के लिये तैयार हूं। माननीय गौतम जी ने बड़ा भारी रिसपांसिव ओफर दिया। हमारे शिक्षा मंत्री ने गुरुओं की प्रशंसा करके सिर पर चढ़ाया, किन्तु उनके उत्तर सुनने बाद ऐसा लगा कि यह सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं या फिर उनके हृदय में अच्छे अच्छे सजेश्न्स भी सुन करके विचार करने की क्षमता नहीं थी, जो वह मानते नहीं थे। मैंने यह भी देखा है अपने मंत्रिगणों में जो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के समझे जाते हैं, विरोधी पक्ष द्वारा जो बात कही जाती है उसका वह भी उसी तरह से जवाब देते हैं जैसे अन्य मंत्रियों ने दिये हैं। उनकी स्थिति बेबसी के साथ चलते नाव के नाविक की तरह है। उन्होंने अपनी कैबिनेट में अगर कोई चीज पास कर ली है तो उसके लिये वह एक एक पैसे के लिये अड़े रहते हैं। चाहे उनके दिल में भी यह बात आ जाय कि वह सुझाव ठीक है लेकिन फिर भी उसको नहीं मानते हैं क्योंकि वह बंधे हुये हैं। वह एक ढाँचे के साथ चलने वाले हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अतः उदार से उदार मंत्री भी विरोधी पक्ष की अच्छी से अच्छी बात भी न मानने के लिये बाध्य हैं। यह तमाशा है और इस स्थिति को देखकर उन सदस्यों को आश्चर्य होता है, जिनका नया अनुभव होता है, जो इस रंग में रंगे हुये नहीं हैं। जो पिछले सालों यहां रह करके साल ब साल आयी हुई चीजों को दैनिक चीज समझ यों ही सुन लिया करते हैं उनके लिये बाहर वाले समझा करते थे कि हमारे इन विधायकों में विचारपूर्ण विचार हुआ करते हैं, एक दूसरे को समझा जाया करता है और समझदारी के साथ निर्णय किया जाता है। लेकिन ठीक उल्टा हमें दिखायी पड़ा कि यहां समझदारी की बात तो दूर रही, यहां तो अपनी अपनी अड़ है, जो हम कहें वही चले। क्या इसलिये चले कि हम ज्यादा समझदार हैं? या हमारा मत ज्यादा है? या हम सरकार के चलाने वाले हैं? अगर ऐसी ही मनोवृत्ति से हमें अपने कार्य को चलाना है तो मैं तो कहूंगा कि यह विरोधी पक्ष जिसके यहां उपस्थित होने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, जो न केवल उनकी जेबों से ही खर्च हुआ बल्कि सरकार की जेबों से भी खर्च हुआ, वह सब व्यर्थ गया। यदि विरोधी पक्ष का कार्य ध्वंसात्मक ही नहीं होता है, बल्कि रचनात्मक भी होता है तो उनकी बातों को सुना जाना तो अलग चीज है, मुझे अपने प्रान्त के मंत्रियों के रुख को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सचमुच यह समझ नहीं पाया कि यह चीज कैसे आगे चलेगी। हमें अपने रुख को बदलना है और देखना है कि देश का रुपया बर्बाद न हो। हमें इस प्रकार कार्य करना है जिससे जनता के दिल में फर्क न पैदा हो बल्कि जो फर्क हो भी, वह भी कम हो जाय।

खर्च की मदों के बारे में विशेष बात न कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक बड़ी भारी रकम ग्राम सभाओं द्वारा आमदनी की रखी गयी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना विरोध करने पर भी कि, ग्रामों में इतनी गरीबी है जिसके कारण वे सरकार द्वारा लगाये गये टैक्सों का वहन नहीं कर सकते और यह पंचायत का टैक्स ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके का बोझा है, यह बार-बार कहे जाने पर भी और प्रत्यक्ष रूप से यह देखे जाने पर भी गांव सभाओं का टैक्स पिछले ५–६ साल से वसूल नहीं हो सका या होने के लायक नहीं है या लोग नहीं दे सकते या सारी एजेन्सी उसको वसूल करने में असमर्थ है। इन सब बातों के होते हुये भी वह आमदनी बढ़ा कर दिखलायी जाती है। आमदनी को आप चाहे जिस दृष्टि से देखें, लेकिन मेरा यह आपसे आखिरी निवेदन है कि गांव सभाओं की आमदनी को आप बड़ी सशंकित दृष्टि से देखें क्योंकि गांवों की दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपने सोच रखी है। अभी कल ही पूर्वी जिलों की स्थिति को बतलाते हुये सारे हाउस ने एक साथ होकर प्रदर्शन किया था और आज भी एक दूसरे रूप में प्रदर्शित किया गया। यह सब होते हुये अगर हम गांवों को भुला देंगे तो हम समझते हैं कि हम बड़ी भारी गलती करेंगे। गांव सभाओं की आमदनी आप चाहे जितनी उचित या समुचित समझें, लेकिन उसमें सन्देह है। उनके द्वारा इस प्रकार के टैक्सेज का वसूल किया जाना अनुचित होगा।

ज्यादा समय न लेकर मुझे यही कहना है कि अगर हर साल आपका वार्षिक बजट इसी तरह से पास होना है तब तो कोई बात नहीं, आप जैसे चाहें इस पैसे का दुर्व्यय करें, किन्तु यदि इस कार्य को प्रेम के साथ करना है तो आपको लाजिमी तौर से विरोधी पक्ष द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान से सुनना होगा और जो मानने लायक हों उनको मानना होगा। आप यह न समझें कि किसी कटौती को मान लेने से आपकी हेठी हो जायगी या अन्य मंत्रियों के सामने यह होगा कि हमारी कटौती मन्जूर हो गयी या हमने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की झूठी प्रतिष्ठा के लिये होड़ नहीं होनी चाहिये, होड़ होनी चाहिए विरोधी पक्ष की बात मानने के लिये। अन्त में हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष जब हमारी मांगें पेश होंगी तो सरकार के रुख में कुछ परिवर्तन होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय चेयरमैन साहब, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस माननीय सदन के विरोधी पक्ष की सभी पार्टियों की ओर से एक निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी के पास प्रस्तुत किया गया था कि ऐप्रोप्रिएशन बिल पर

वादविवाद करने के लिये एक दिन का समय निर्धारित कर दें ताकि सदन गम्भीरता के साथ विचार करे, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसके विरोधस्वरूप हमारी पार्टी उसमें हिस्सा नहीं लेगी। मैं यह इसलिये कह देना चाहता हूं ताकि आपको और अन्य सदस्यों को भी सुविधा हो।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय सदन को धन्यवाद देता हूं कि उसने शासन द्वारा उपस्थित बजट को स्वीकार किया। अब इस विधेयक द्वारा उस रुपये को खर्च करने के अधिकार की मांग की जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि जो भी रुपया स्वीकृत हुआ है उसका सदुपयोग होना चाहिए। एक-एक पाई उसका इस प्रकार खर्च किया जाय, जिससे जनता को लाभ हो। जब कभी इसका दुरुपयोग, या भ्रष्टाचार, यदि कहीं हो, उसकी शिकायत जनता की तरफ से या माननीय सदस्यों की तरफ से आवे, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

अब मैं माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना रुपया हरिजन कल्याण कार्य के लिये स्वीकृत हुआ है वह सब वर्ष भर में हरिजन कल्याण पर अवश्य खर्च किया जाय। देखा यह जाता है कि साल के अन्त में यह रुपया ३० मार्च को भेजा जाता है और ३१ मार्च तक खर्च करने का आदेश होता है। नतीजा यह होता है कि जिन कामों पर खर्च होना है उनके लिये हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। पिछले पांच वर्षों में बहुत से स्थानों पर हरिजन कालोनीज़ बसाई गई हैं। एक समय था जब हम हरिजनों को शहर के बाहर बसाया जाता था और आज कालोनीज़ बना कर शहर के बाहर रखे जाते हैं। हरिजन छात्रावास खोले जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो रुपया कालोनीज़ बनाने में खर्च होता है वह धन हरिजनों को मकान बनाने के लिये अनुदानस्वरूप दे दिया जाया करे तो ज्यादा अच्छा होगा। हरिजन छात्रावासों पर जो रुपया खर्च होता है वह हरिजन विद्यार्थियों के लिये किताबों पर खर्च किया जाय या छात्रवृत्ति के तौर पर खर्च किया जाय तो हमारा ज्यादा कल्याण हो सकता है।

मैं एक बात और कहूंगा कि बुढ़ौती की पेंशनों पर काफी रुपया इस वर्ष स्वीकृत हुआ है। यह रुपया अधिक मात्रा में हरिजनों के पास जाय तो उन गरीबों को विशेष सहायता मिलेगी। हमारा खयाल है कि इस रुपये का दुरुपयोग भी हो सकता है। बहुत से व्यक्ति जिनको जरूरत नहीं है और ७० साल के ऊपर हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रुपया जो गरीब हों और कार्य कर सकने में असमर्थ हों उनको ही दिया जाय। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब चेयरमैन साहब, जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन मुझको इसका अफसोस है कि बावजूद इस बात के कि आज नहीं बल्कि ५, ६ साल से बराबर जब कि नफीसुल हसन साहब स्पीकर थे यहां पर यह कन्वेन्शन अख्तियार किया गया इस हाउस में जिसमें कि बहुत से मेम्बरान अपोजिशन के भी मौजूद हैं और जिनके सामने यह हुआ, कि अप्रोप्रियेशन बिल शाम के ४।। बजे लेकर ५ बजे तक खत्म कर दिया जायगा। उसी लिहाज से चूंकि इस हाउस का यह एक मुस्तकिल कन्वेन्शन था तो बजट प्रोग्राम में यह रखा गया कि यह आज के दिन पास हो। जहां तक एजेन्डे पर आने का ताल्लुक है, मेरे खयाल में, अगर कापी पिछले ५ सालों की मिल सके और कोई तो मौजूद होगी, उसको देखा जाय तो मालूम होगा कि उनमें कहीं पर अप्रोप्रियेशन बिल का नाम लिखा हुआ नहीं है। वह बिजनेस में नहीं लाया गया। तो ऐसी हालत में अगर इसकी किसी को जरूरत महसूस होती कि इसका वक्त बढ़ाया जाय और अप्रोप्रियेशन बिल पर ज्यादा वक्त तक बहस करें तो गालिबन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

आज से पहले उस सवाल को उठाना चाहिये था इसलिये कि बजट एक ऐसी चीज है जिसको ३१ तारीख तक जरूर पास हो चुकना चाहिये। उस पर गवर्नर की मंजूरी ली जाती है। उसमें भी वक्त लगता है। आज २८ तारीख है और कल २९ तारीख को कौंसिल में भी बहस होनी है। इस बात का हमेशा लिहाज रखना है कि मैं ही खुद मर जाऊं तो ३० तारीख को कन्वेन्शन के तरीके पर यह हाउस यादगार मना ले। ऐसी बात भी हो सकती है कि बजट मुकर्रर वक्त में पास न हो सके। इसलिये यह कैसे मुमकिन हो सकता था कि इस बात को मान लिया जाता कि कल सारे दिन इस अप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो। मैं वक्त देने के लिये इन्कार नहीं करता हूं, लेकिन जो कन्वेन्शन रहा है उसको मैं अर्ज करता हूं। एकलख्त बात सामने आ जाने पर यह बात कैसे मंजूर की जा सकती थी।

दूसरी बात यह है कि यहां पर जो एलान पढ़ा गया और जिसको डिप्टी स्पीकर साहब ने बतलाया, वह यह था कि यह मांग स्पीकर साहब की खिदमत में चन्द मेम्बर साहबान की तरफ से, जो अपोजिशन के हैं, गई थी। उन्होंने उस मांग को इस तरह से तय कर दिया कि आज आधा घंटा के बजाय २ घंटे का वक्त इस बिल पर बहस करने के लिये दिया जायगा। मगर बहस होगी वही साढ़े चार बजे से और २ घंटे तक हो सकेगी। तो मैं यह नहीं समझता कि किस तरह से यह चीज मुनासिब हो सकती है? कैसे वह तरीका अख्तियार किया जाय जो इस सदन में कहा गया?

मेरे दोस्त ने मुझको यह मशविरा दिया कि जिस कदर रकम है उसमें से पूरा खर्चा न किया जाय। मैं मेम्बरान को याद दिलाता हूं कि मैंने अपने भाषण में, जो मैंने इस बजट पर इस सदन में दिया था, अपनी तरफ से यह कहा था कि हर महकमे के लिये जितना रुपया रक्खा गया है उसमें से जितनी किफायत हो सके की जाय। उस के लिये हरएक डिपार्टमेंट में एक कमेटी इस काम के लिये रक्खी गयी है कि इस साल के खर्चे में से जितनी रकम बचायी जा सकती हो, बचायी जाय।

एक हमारे मोअज्जिज मेम्बर साहब ने इरशाद फरमाया कि गवर्नमेंट को या वित्त मन्त्री महोदय को यह तो मालूम हो ही गया होगा कि समूचे लोगों की राय इस बजट की बाबत क्या है, इस सदन में मेम्बरान की क्या राय है। बेशक यह सही है कि वित्त मंत्री को मालूम हो गया है कि इस समूचे बजट के ऊपर सदन की क्या राय है और वह राय उन साहब की राय नहीं है, उनकी राय की मुआफिकत में वह राय नहीं है; बल्कि उनके खिलाफ वह राय है जिसका मैं बयान करने की जरूरत नहीं समझता।

मैंने यह कहीं नहीं सुना कि कुछ लाख रुपया लगा कर कौंसिल हाउस को बनाया जा रहा है या यह कि ५ लाख रुपया खर्च कर के इस सदन की सजावट की जा रही है। यह भी कम से कम मैंने नहीं सुना। मैं इस ओर भी तवज्जह दिलाऊं कि बजट में इस काम के लिये कोई रुपया नहीं रखा गया।

श्री अधिष्ठाता---१० तारीख के भारत में यह चीज थी कि ५ लाख रुपये से इस सदन की सजावट होगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गवर्नमेंट तो अखबारों की जिम्मेदार है नहीं। वह कहीं की सुनी हुई बातों को लिख दें, कौंसिल हाल के बनने की बात भी कही गयी, कौंसिल के लिये इलेक्शन होने वाले हैं, दो, तीन, चार महीने में हो रहे हैं। वहां मेम्बरान की तादाद बढ़ने वाली है, उनके बैठने की जगह के लिये भी इस बजट में कोई रुपया नहीं रक्खा गया है। तो ये सब बातें सुनी-सुनायी हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि कौंसिल मुताल्लिक यह राय हो रही है कि उसी हालत में सीट बढ़ा कर काम चलाया जा सके तो चलाया जाय।

जिन साहबों ने गवर्नमेंट को मशविरा दिया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनके मशविरे पर अमल करूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिये यह दुआ करें कि मुझे उस नेक मशविरे पर अमल करने की तौफीक़ अता हो जो मुझे दिया गया है। इससे और ज्यादा मैं कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहता।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १—३ व अनुसूची

१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१—यह अधिनियम १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५७-५८ के लिये २,०२,०८,१६,००० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सब का कुल योग [जिसके अन्तर्गत १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५७) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियां भी हैं] २,०२,०८,१६,००० रु० (दो सौ दो करोड़ आठ लाख सोलह हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनूसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१—कृषि आय कर (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	..	२,७९,२००	..	२,७९,२००
२—मालगुजारी (भू-राजस्व)		५,५०,१२,८००	..	५,५०,१२,८००
३—राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	..	१,१४,१२,४००	..	१,१४,१२,४००
४—स्टाम्प	..	६,६२,७००	..	६,६२,७००
५—वन (फारेस्ट)	..	२,१५,७४,७००	२८,४००	२,१६,०३,१००
६—रजिस्ट्री	..	१५,८५,४००	..	१५,८५,४००
७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	..	१,१९,८३,०००	..	१,१९,८३,०००
८—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	..	४४,४१,५००	१०,०००	४४,५१,५००
९—राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	..	४,३१,५१,९००	..	४,३१,५१,९००
१०—सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	..	३,८२,८६,४००	..	३,८२,८६,४००
११—इंजीनियरिंग की संस्थाएं		६७,००,२००	..	६७,००,२००
१२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	..	२,८४,२२,२००	१२,४०,०००	२,९६,६२,२००
१३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय	..	३,०६,४८,४००	..	३,०६,४८,४००
१४—गांव सभाएं और पंचायतें		१,०८,४४,३००	..	१,०८,४४,३००
१५—न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस)	..	१,३९,१९,९००	२७,५१,३००	१,६६,७१,२००
१६—जेल	..	१,४४,८०,८००	..	१,४४,८०,८००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
१७—पुलिस	..	९,२४,७८,९००	..	९,२४,७८,९००
१८—शिक्षा	..	१५,१४,५८,०००	..	१५,१४,५८,०००
१९—चिकित्सा (मेडिकल)		४,१५,२२,७००	..	४,१५,२२,७००
२०—जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)		१,६७,७६,८००	..	१,६७,७६,८००
२१—कृषि संबंधी विकास- इंजीनियरिंग और खोज (एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंजिनियरिंग ऐंड रिसर्च)	..	३,३२,१४,५००	४४,१००	३,३२,५८,६००
२२—उपनिवेशन (कालोनाइजेशन)	..	७१,९६,६००	..	७१,९६,६००
२३—पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	..	१,८३,२५,०००	..	१,८३,२५,०००
२४—विद्युत् योजनाओं पर व्यय	..	२,८२,०८,०००	..	२,८२,०८,०००
२५—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय	..	१,४२,४२,४००	..	१,४२,४२,४००
२६—सहकारिता के आधार पर ऋण	..	१,५५,७९,३००	..	१,५५,७९,३००
२७—उद्योग	..	५,६९,२२,६००	२,०००	५,६९,२४,६००
२८—श्रम (लेबर) और संख्या		१,१६,५९,६००	१,०००	१,१६,६०,६००
२९—परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) विभाग		५,१२,९६,२००	५६,०००	५,१३,५२,२००
३०—सूचना संचालक का कार्यालय	..	४७,४६,०००	..	४७,४६,०००
३१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	..	४,१३,९४,८००	२,२२,२००	४,१६,१७,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनु-दान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ ऐन्ड पर्पजेज	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित)	..	३६,५६,२००	..	३६,५६,२००
३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय	..	७१,२५,२००	..	७१,२५,२००
३४—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	..	१,१९,८९,४००	..	१,१९,८९,४००
३५—दुर्भिक्ष सहायता (फैमिन रिलीफ)	..	१९,६७,९००	१६,००,०००	३५,६७,९००
३६—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	..	११,१२,१००	..	११,१२,१००
३७—बुढ़ौती (सुपरिएनुएशन) भत्ते और पेंशनें	..	२,०२,५८,७००	१२,४५,४००	२,१५,०४,१००
३८—लेखन सामग्री (स्टेशनरी और छपाई)	..	१,३०,५४,२००	..	१,३०,५४,२००
३९—विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज)	..	३,४३,१६,२००	१००	३,४३,१६,३००
४०—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	..	९५,५५,३००	..	९५,५५,३००
४१—समाज-कल्याण	..	७०,००,२००	..	७०,००,२००
४२—असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डनरी चार्जेज)	..	३५,८५,१००	१,१५,०००	३७,००,१००
४३—योजना और एकीकरण	८,८४ ४४,९००	..		८,८४,४४,९००
ऋण (डेट) अन्य दायित्वों (आब्लीगेशन्स) पर ब्याज	..	..	९,३०,११,६००	९,३०,११,६००
ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	..	..	२२,८४,६२,५००	२२,८४,६२,५००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण तथा जल विद्युत् कार्यों का सम्पादन	१०,२०,६७,२००	..	१०,२०,६७,२००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	९,९५,६९,०००	४,७९,९००	१०,००,४८,९००
४६	औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट)	२,७५,१३,४००	..	२,७५,१३,४००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउट ले)	९,६०,५२,६००	३३,०००	९,६०,८५,६००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	११,०८,८६,३००	..	११,०८,८६,३००
४९	कृषि इंजिनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	१,६२,२३,८००	५०,०००	१,६२,७३,८००
५०	पेंशनों की संराशि (कम्प्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)	१९,७५,०००	६०,४००	२०,३५,४००
५१	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	..	..	..
	पूंजी से की गई	..	२,०९,००,०००	२,०९,००,०००
	निक्षेप निधि का विनियोग			
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेज)	७,०९,२७,३००	..	७,०९,२७,३००
	योग ..	१,६७,०५,०३,१००	३५,०३,१२,९००	२,०२,०८,१६,०००

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५७ ई० का विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२८ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर)

१ जनवरी, १६५७ ई० से ३० जून, १६५७ तक गोंडा जिले में दण्ड विधि संग्रह की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमों का विवरण

नाम थाना	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमें चलाये गये
१—कोतवाली	१८७
२—इंतिया थोक	८४
३—कर्नलगंज	२४५
४—घनेपुर	४१
५—कौड़िया	४३
६—उतरौला	१६१
७—मनकापुर	२५०
८—छपिया	१६२
६—सादुल्लानगर	७७
१०—तरफगंज	१३५
११—वजीरगंज	८५
१२—नवाबगंज	१८५
१३—परसपुर	१६५
१४—बलरामपुर	६१
१५—तुलसीपुर	१८१
१६—लालिया	१७
१७—पचपेड़वा	६३
योग ..	२,२३२

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६९१ पर)

उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७

यू० पी० एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को संशोधित करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७।

यह इष्टकर है कि यू० पी० एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन।

२—यू० पी० एंटरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द :

"Is two annas, but does not exceed three annas.	One anna.
Exceeds three annas, but does not exceed four annas.	One anna six pies.
Exceeds four annas, but does not exceed eight annas.	Two annas six pies.
Exceeds eight annas, but does not exceed rupee one.	Five annas.
Exceeds rupee one but does not exceed rupees two.	Ten annas.
Exceeds rupees two, but does not exceed rupees three.	One rupee.
Exceeds rupees three, but does not exceed rupees four.	One rupee eight annas.
Exceeds rupees four, but does not exceed rupees five.	Two rupees four annas.
Exceeds rupees five, but does not exceed rupees six and annas eight.	Three rupees.
Exceeds rupees six and annas eight, but does not exceed rupees ten.	Four rupees, eight annas.
Exceeds ten rupees, for every five rupees or part thereof in excess of the first ten rupees.	Three rupees in addition to the payment on the first ten rupees."

निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Is 12 nP but does not exceed 19 nP ..	10 nP
Exceeds 19 nP but does not exceed 25 nP	15 nP
Exceeds 25 nP but does not exceed 50 nP	25 nP
Exceeds 50 nP but does not exceed Re 1 ..	50 nP
Exceeds Re. 1 but does not exceed Rs. 2..	Re. 1
Exceeds Rs. 2 but does not exceed Rs. 3 ..	Rs. 1·50
Exceeds Rs. 3 but does not exceed Rs. 4 ..	Rs. 2·25
Exceeds Rs. 4 but does not exceed Rs. 5 ..	Rs. 3·50
Exceeds Rs. 5 but does not exceed Rs. 6·50	Rs. 4·50
Exceeds Rs. 6·50 but does not exceed Rs. 10	Rs. 6·50
Exceeds Rs. 10, for every five rupees or part thereof in excess of the first ten rupees.	Rs. 4 in addition to the payment on the first ten rupees."

म० प्र० वी० ऐक्ट संख्या ८,१९३७ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

उपधारा (१) में शब्द "stamped with an impressed embossed, engraved or adhesive stamp (not before used) issued by Government for the purposes of revenue and" निकाल दिये जायं।

(२) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) Government may on such conditions as may be prescribed, require the proprietor to pay the amount of the entertainment tax due either—

(*a*) by stamping the tickets with an impressed embossed, engraved or adhesive stamp (not before used) issued by the Government for the purposes of revenue and denoting that the proper entertainment tax payable under section 3 has been paid,

or

(*b*) in accordance with returns of the payments for admission to the entertainment and on account of the tax,

or

(*c*) by a consolidated payment of a percentage, to be fixed by Government, of the gross sum received by the proprietor on account of payments for admission to the entertainment and on account of the tax,

or

(*d*) in accordance with results recorded by any mechanical contrivance which automa ically registers the number of persons admitted."

(३) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

उद्देश्य और कारण

मनोरंजन-कर में वृद्धि करने के सरकारी निर्णय को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से प्रस्ताव है कि मनोरंजन-कर की नयी दरों की व्यवस्था करने के निमित्त और उन्हें सिक्कों की दाशमिक प्रणाली में प्रकट करने के निमित्त यू० पी० एंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ को संशोधित किया जाय। इस संशोधन के फलस्वरूप ऐक्ट की धारा ४ में कतिपय परिणामिक संशोधन भी आवश्यक हैं और उन्हें इस विधेयक में करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१२९ एल० ए०—१९५७—७९९